संसदीय पत्रिका

खंड 69 अंक 4 दिसंबर 2023

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 69 अंक 4 दिसम्बर 2023

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 69 **अंक 4** **दिसम्बर 2023**

इस अंक में

भाषण **पृष्ठ**

मान्नीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा शिलांग, मेघालय में 29 से 30 जुलाई 2023 तक आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र, जोन-III के 20वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया भाषण..... 1

मान्नीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 9 अगस्त 2023 को राज्य विधान मंडलों की महिला सदस्यों के लिए प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान दिया गया भाषण..... 7

मान्नीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा उदयपुर, राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 तक आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र सम्मेलन के दौरान दिया गया भाषण..... 13

19 सितंबर 2023 को संसद सत्र की अंतिम बैठक के दिन पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संसद सदस्यों को सम्बोधित भाषण..... 23

मान्नीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण..... 24

मान्नीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा दिया गया भाषण..... 33

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां..... 36

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती..... 38

संसदीय शिष्टमंडलों के परस्पर दौरे..... 40

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)..... 41

संसद सदस्य संदर्भ सेवा..... 43

विशेषाधिकार संबंधी मामले..... 45

प्रक्रिया संबंधी मामले..... 46

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम 51

संवैधानिक और संसदीय महत्व के प्रलेख..... 56

पृष्ठ

सत्रीय समीक्षा

लोक सभा..... 88

राज्य विधान मंडल..... 143

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य..... 144

परिशिष्ट

एक. सत्रहवीं लोक सभा के बारहवें और तेरहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण..... 149

दो. राज्य सभा के दो सौ साठवें और दो सौ इक्सठवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण..... 157

तीन. 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण..... 164

चार. 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयकों की सूची..... 170

पांच. 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची..... 171

छह. 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश..... 179

सात. लोक सभा और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों में दलों की स्थिति..... 185

माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा शिलांग, मेघालय में 29 से 30 जुलाई 2023 तक आयोजित 20वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन-III सम्मेलन के दौरान दिया गया भाषण

20वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन-III सम्मेलन का आयोजन 29 से 30 जुलाई 2023 तक शिलांग, मेघालय में किया गया। 29 जुलाई, 2023 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया।

प्रस्तुत है माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 29 जुलाई, 2023 को सम्मेलन के दौरान दिया गया उद्घाटन भाषण।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला शिलांग, मेघालय में 29 जुलाई 2023 को 20वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन-III सम्मेलन के दौरान उद्घाटन भाषण देते हुए

श्री कॉनराड के. संगमा, माननीय मुख्यमंत्री, मेघालय;

श्री हरिवंश नारायण सिंह, माननीय उपसभापति, राज्य सभा:

श्री पासंग डी. सोना, माननीय अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा और सभापति, सीपीए भारत क्षेत्र जोन-III:

श्री थॉमस ए. संगमा, माननीय अध्यक्ष, मेघालय विधान सभा:

विधान सभाओं के माननीय सदस्य;

प्रतिनिधिगण तथा देवियो और सज्जनो:

सीपीए इंडिया क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में, मैं सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें मिले स्नेह और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए हम मेजबान सीपीए शाखा के आभारी हैं। यह आयोजन इसलिए खास है क्योंकि यह हमारे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के विधायकों को एक साथ लाता है।

अपनी भव्यता, प्राकृतिक सुंदरता और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाले मेघालय को यहाँ के मेहनती और मैत्रीपूर्ण लोग और ज्यादा जीवंत एवं खास बनाते हैं।

यह भूमि मुझे लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और अत्यंत लोकप्रिय स्वर्गीय श्री पी.ए. संगमा जी की याद दिलाती है। उन्होंने अपने असाधारण चरित्र, प्रतिबद्धता और संकल्पशक्ति के बल पर विषम परिस्थितियों में भी बेहतरीन कार्य और समाज सेवा करके महान उपलब्धि हासिल की। मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूं।

सबसे पहले, मैं इस क्षेत्रीय सम्मेलन को क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और चिंताओं पर विचार-विमर्श के लिए एक उपयोगी मंच बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, सीपीए इंडिया रीजन जोन-III के अध्यक्ष, श्री पसांग डी. सोना जी का आभारी हूं।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सीपीए इंडिया क्षेत्र का जोन-III सभी चार जोनों में सबसे अधिक सक्रिय है। अब तक आयोजित हुए 20 वार्षिक सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मैंने ध्यान दिया है कि इस क्षेत्र की विधान सभाओं की एक विशेषता है कि यहाँ की सभाओं की बैठक में बिना व्यवधान के सार्थक और गंभीर चर्चाएं होती हैं। स्वाभाविक है कि इससे संवाद का सार्थक निष्कर्ष भी निकलता है जो इस क्षेत्र और देश के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। निश्चय ही यह अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणा है।

मित्रो, मुझे खुशी है कि सीपीए जोन III ने बहुत ही उपयुक्त विषयों को चुना है । 'प्राकृतिक आपदाएँ और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ'; और वर्तमान

सम्मेलन के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श के विषयों के रूप में 'उत्तर पूर्व क्षेत्र को मुख्य भूमि भारत के बराबर लाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी'। ये दोनों विषय बहुत ही प्रासंगिक और समसामयिक हैं।

बदलते जलवायु परिवर्तन के इस युग में हमें अपनी प्रकृति के प्रति अधिक सजग होना होगा। मुझे याद है कि पिछले सम्मेलन में, उत्तर पूर्व के सामने आने वाली असंख्य चुनौतियों के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। ये चुनौतियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों की आर्थिक क्षमता के समुचित उपयोग में बाधक हैं जिससे यह क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण मापदंडों के मामले में भारत के कई राज्यों से पिछड़ रहा है।

भारत अपनी अनूठी भू-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण बड़ी संख्या में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति अलग-अलग स्तर पर संवेदनशील रहा है। इस वर्ष भी इस क्षेत्र में आपदाओं के कारण जान-माल की भारी हानि हुई है और फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, और यहाँ होने वाली किसी भी पारिस्थितिक गड़बड़ी की घटनाओं के पूरे भारत में पर्यावरणीय स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन की कहीं बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसी नीतियाँ तैयार हों जिनसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को होने वाली अपूरणीय या अधिक क्षति को रोका जा सके।

दूसरा, लोग प्राकृतिक आपदाओं के खतरों के बारे में जागरूक हों, विपरीत परिस्थितियों में उनसे निपटने के लिए अपने स्तर पर भी तैयार हों, ऐसी व्यवस्था हो।

इसके अलावा आपदा प्रबंधन के स्तर पर, हमें हमारे प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय क्षमताओं और पहल के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें आपदा जोखिम प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, आपदा से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना, और आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व आदि आवश्यक कदम हैं।

जहां तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र को मुख्य भूमि भारत के बराबर लाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात है तो मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्व में मुख्य भूमि भारत के बराबर आने की आर्थिक क्षमता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है—बुनियादी ढांचे का विकास।

पीएम गति शक्ति कार्यक्रम भूमि (सड़क और रेल), वायु और जल क्षेत्र में कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों को पुनः बहाल करने के मामले में फायदेमंद साबित हो रहा है। क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इस योजना के तहत लगभग 7 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा के लिए नागालैंड एक्सप्रेस हाईवे का विकास कार्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पांच राज्यों इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक और शिलांग की शेष राजधानी को जोड़ने के लिए कुल 310 किलोमीटर की नई लाइन परियोजनाएं इस दिशा में एक अहम कदम हैं।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर पूर्व क्षेत्र में ऑपेरशनल हवाई अड्डों की संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

इसके अलावा, क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र, अंतर्देशीय जलमार्ग, वन/वन्यजीव अभयारण्य, औद्योगिक पार्क आदि में कई परियोजनाएं चल रही हैं।

आज भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जितने बड़े स्तर पर कार्य चल रहे हैं, वह उनके उस कथन को सही सिद्ध कर रहा है जब उन्होंने कहा था, "उत्तर-पूर्व को देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाना" उनका विजन है।

आज यहाँ न केवल आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है बल्कि इस क्षेत्र को एशिया और भारत के एक्ट ईस्ट में क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी का 'फोकल प्वाइंट' बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आयाम के स्तर पर भी प्रयास हो रहा है।

मैं समझता हूं कि भारत की लुक-ईस्ट नीति और नवीनीकृत एक्ट ईस्ट नीति के साथ-साथ पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ

विभिन्न स्तरों पर देश की अधिक भागीदारी से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय एकजुटता बढ़ेगी।

समग्र रूप से देखें तो यह क्षेत्र अब एक व्यापक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट दिखाती है कि सिक्किम और मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से तेजी से उभरे हैं।

विकास के मोर्चे पर, 2019-20 सीएसओ डेटा से पता चलता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में से कुछ ने राष्ट्रीय विकास के आंकड़े को पार कर लिया है।

मिजोरम ने 13 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की और यह भारत का अग्रणी राज्य है। आज़ादी के बाद भारत के आर्थिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

इसके अलावा, पिछले छह वर्षों में इस क्षेत्र में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इससे यह उम्मीद बन गई है कि शीघ्र ही उत्तर पूर्व क्षेत्र कृषि व्यापार का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

आज, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को न केवल एशिया के सबसे जातीय और भाषाई रूप से विविध क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है, बल्कि इसे अवसरों की भूमि के रूप में भी देखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में अपार संभावनाओं और प्रचुरता के साथ, यह क्षेत्र तेजी से स्थायी पर्यटन, औषधीय पौधों और जीवंत कला और हस्तशिल्प क्षेत्र के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

हमें यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि विकास की इस क्रमिक और सतत प्रक्रिया में हम मानवीय मूल्यों और नैतिकता के मार्ग से न भटकें। अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, वह मानवीयता के तौर पर, एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर हमारे लिए अत्यंत कष्टदायी है। किसी के भी साथ हमारा व्यवहार उसको किसी भी तरह की पीड़ा पहुंचाने वाला न हो, उसकी मान-मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला न हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए।

एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। 'सबका साथ, सबका विकास' की हमारी मूल अवधारणा यही तो है।

अंत में, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को लगातार बढ़ावा देने और इस 20वें सीपीए क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए सीपीए भारत क्षेत्र जोन-III की प्रशंसा करता हूं।

मैं इस सम्मेलन की मेजबानी की जिम्मेदारी निभाने और उत्कृष्ट व्यवस्था करने के लिए मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री और मेघालय विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करता हूं।

मुझे पूरी उम्मीद है कि सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के दौरान क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के सभी विधायक परस्पर सार्थक और रचनात्मक विचार-विमर्श करेंगे और इस तरह के नियमित सम्मेलन देश के तेज विकास के लिए विकासात्मक रणनीतियों को तैयार करने में मदद करेंगे, जिससे क्षेत्र और जन सामान्य की प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा राज्य विधान मंडलों की महिला विधायकों के लिए 9 अगस्त 2023 को प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में दिया गया भाषण

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा राज्य विधान मंडलों की महिला सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रस्तुत है लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा 9 अगस्त 2023 को प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान दिया गया भाषण।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 9 अगस्त 2023 को संसद भवन परिसर में राज्य विधान मंडलों की महिला सदस्यों के साथ

आज संसद भवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिये भारत के सभी प्रदेशों के विधान मंडलों से आई महिला जनप्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

मुझे विश्वास है कि लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा आयोजित यह प्रबोधन कार्यक्रम आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र के विविध पहलुओं को गहराई से जानेंगे, और अलग-अलग प्रदेशों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को समझेंगे।

हमारा यह संसद भवन भारत के लोकतंत्र का आस्था स्थल है। लगभग 75 वर्षों पहले इसी संसद परिसर में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान राष्ट्र नायकों की तरह ही हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, लीला रॉय जैसी विद्वान महिलाएं हमारी संविधान सभा का हिस्सा थीं।

संविधान सभा में हमारी महिला नेताओं ने अनेक विषयों पर अपने सुझाव दिए, सकारात्मक विचार व्यक्त किए, जिसके चलते हमारा संविधान विश्व का सर्वोत्कृष्ट संविधान बना।

आज 9 अगस्त का दिन हमारे इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के दिन वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में समूचे देश की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की थी।

अगले सप्ताह 15 अगस्त के दिन सम्पूर्ण राष्ट्र अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है।

इस अवसर पर, मैं उन महिलाओं का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, फिर चाहे वह 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, स्वदेशी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो; हर एक महत्वपूर्ण क्षण में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।

राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अमिट रही है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया कि मेरे लिए उन सभी के नाम का उल्लेख कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। हमारा इतिहास प्रेरक महिलाओं से भरा पड़ा है।

माननीय सदस्य, अमेरिका और यूरोप के कई विकसित देशों में उनकी आजादी के बाद भी वहां महिलाओं को मतदान का अधिकार तक नहीं था। कई दशकों तक महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए संघर्ष किया।

लेकिन जब हम भारत को देखते हैं, तो आजादी के साथ ही हमारे संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के बराबर का मताधिकार दिया।

जब हम महिलाओं और राजनीति पर बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। राजनीति हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर फैसले लेती है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा आदि सभी विषय राजनीति में अंतर्निहित होते हैं। इसलिए यदि हमारे समाज की आधी आबादी यानि महिलाएं उन फैसलों में शामिल नहीं हैं, तो यह समाज के हित में नहीं हो सकता।

लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आधी आबादी का अच्छा प्रतिनिधित्व न हो या वह लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग न ले। एक बेहतर लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जहां महिलाओं को न केवल चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार है, बल्कि निर्वाचित होने का अधिकार भी है।

आपके माध्यम से मैं देश भर की महिलाओं को कहना चाहूंगा कि अगर आप समाज के लिए सोचती हैं, समाज का उत्थान करना चाहती हैं, तो आप समाज के भले के लिए राजनीति को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं।

महिलाओं में एक अलग किस्म की शक्ति होती है । बहुत सारे ऐसे कार्य, जिनको करने के लिए संवेदनाओं की जरूरत पड़ती है, महिलाएं उनमें अच्छी भूमिका निभाती हैं।

महिलाएं समाज के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती हैं और वे समाज की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाती हैं । सरकार की बहुत सी योजनाएं जो सीधे तौर पर महिलाओं और समाज पर प्रभाव डालती हैं, उनमें नीतियों के निर्धारण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वास्थ्य, कुपोषण, संचार और समाज कल्याण जैसे कई मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर महिला नेताओं ने उल्लेखनीय काम किया है।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का कहना था कि 'मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।'

कई साल पहले हमारे समाज में अधिकतर लोग बालिकाओं को पढ़ाने की सोचते भी नहीं थे। देश की आजादी से पहले हमारे देश में राजा राममोहन राय जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सावित्री बाई फूले जी, बाबा साहब अंबेडकर जी जैसे अनेक राष्ट्र नायकों ने आगे बढ़कर संघर्ष किया। उनके प्रयासों से समाज में चेतना आई, और बालिकाएं पढ़ने लगीं।

आज स्थिति यह है कि देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की सिर्फ भागीदारी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि महिलाएं आगे आकर नेतृत्व भी कर रहीं हैं। अब हम महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। हेल्थ सेक्टर हो या आंगनबाड़ी, देश के गाँव-गाँव को सशक्त बनाना हो या मंगल पर मिशन भेजना, ट्रेन चलाना हो या फाइटर प्लेन उड़ाना हो, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं।

हमारे देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 75 वर्षों में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें मेरा मानना है कि महिलाओं और बालिकाओं ने जिस तरह से समाज में प्रगति की है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

आजादी के समय हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, वहीं आज करीब 115 महिलाएं देश की संसद में प्रतिनिधित्व कर रहीं हैं।

भारत के संविधान ने सदा महिलाओं को ताकत दी है। देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया। समय-समय पर भारत की संसद ने भी अधिनियम बनाते हुए महिलाओं की तरक्की और सुरक्षा के लिए सकारात्मक प्रावधान तैयार किए।

भारत की संसद ने अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। इससे महिलाओं के लिए समानता और न्याय अधिक सुविधाजनक हुआ।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से पंचायती राज और नगर निकायों का संवैधानिकीकरण किया गया है। इसी के साथ स्थानीय स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

इसी का परिणाम है कि आज देश में करीब 14 लाख महिलाएं सीधे तौर पर लोकतंत्र में प्रतिनिधि बनी हैं। (14 लाख महिलाएं ग्राम पंचायत और शहरी नगर निकायों की सदस्य हैं)।

एमबीए और एमबीबीएस कर आज महिलाएं सरपंच बन रही हैं, विधायक चुनी जा रही हैं, और आईएएस बन रही हैं।

आज जब देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज महिलाएं घर के साथ देश का वित्तीय प्रबंधन भी संभाल रही हैं।

आज महिलाएं सिर्फ घर की मुखिया ही नहीं हैं, बल्कि भारत की प्रथम नागरिक यानि भारत की राष्ट्रपति और हमारी तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी महिला है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में अपने पद पर एक वर्ष पूर्ण किया है। वो देश की पहली जनजातीय महिला हैं, जो शीर्ष पद पर पहुंची हैं। ओडिशा के एक छोटे से गांव बैदापोसी से निकलकर दिल्ली के रायसीना हिल्स के शिखर तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था।

इस यात्रा में उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन के सफर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन आज देश में सभी के लिए प्रेरणादायी है।

राजनीति से लेकर अर्थनीति तक महिलाओं की भूमिका परिवर्तनकारी साबित हो रही है। कृषि क्षेत्र में अन्न उत्पादन करके, सहकारिता में, एमएसएमई में और गाँवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करके महिलाएं देश के विकास को दिशा दे रही हैं।

आज देश में हर दिन जो स्टार्ट अप्स रजिस्टर हो रहे हैं, उनमें बहुत से स्टार्ट अप्स का नेतृत्व युवा महिलाएं कर रहीं हैं। भारत में लगभग 15 प्रतिशत यूनिकॉर्न स्टार्ट अप्स में कम से कम एक महिला संस्थापक है और महिलाओं के नेतृत्व वाली इन यूनिकॉर्न कंपनियों का संयुक्त मूल्य 40 अरब डॉलर से अधिक है।

इस साल को पूरा विश्व इन्टरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है। हमारे देश में कृषि कार्य में महिलाएं जिस तरह से सक्रिय हैं। महिलाओं के योगदान के कारण ही आज भारत मिलेट्स उत्पादन में विश्व में अग्रणी है।

जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाती है।

महिलाओं का नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है।

महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-केंद्रित विकास दृष्टिकोण के माध्यम से है और भारत इस दिशा में असीम प्रगति कर रहा है।

माननीय सदस्यो, हमारी संसद और राज्य विधान मंडल जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायिका का प्रभावी कार्यकरण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य जनप्रतिनिधि के रूप में अपने विधायी दायित्वों को कितनी कुशलता से निभाता है।

जनप्रतिनिधि होना वास्तव में सौभाग्य और सम्मान की बात है। लेकिन यह एक विशेषाधिकार होने के साथ एक दायित्व भी है। एक जनप्रतिनिधि का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जनता के सरोकारों को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

संसद की श्रेष्ठ परंपराओं को कायम रखने और संसदीय लोकतंत्र का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधि द्वारा संसद के भीतर और बाहर उचित आचरण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्यों का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे विधायिका की गरिमा बढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि हम सदन की श्रेष्ठ परंपराओं और नियमों का पालन करें।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि सभा में नियमित रूप से उपस्थित रहें। सभा की कार्यवाही में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और सभा के वरिष्ठ सदस्यों से सीखें। सदन में या संसदीय समितियों में, जब भी आप चर्चा में भाग लें, आप अपनी बात सटीक और संक्षिप्त रूप में करें।

सदस्यों को सभा में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आप सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में अपना सार्थक इनपुट दे सकती हैं। आपके इनपुट से जो योजनाएं बनेंगी, वे निश्चित रूप से अधिक प्रभावी होंगी।

माननीय सदस्यो, जनप्रतिनिधि बनकर आप अपने जीवन में तो बदलाव लायी ही हैं, लेकिन अपनी भूमिका से इस समाज और देश में सकारात्मक बदलाव भी आपको ही लाना है।

हमारे लिए आजादी के इन 75 वर्षों की यात्रा गौरवशाली रही है। अब अगले 25 वर्षों के अंदर हमने यदि महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर के साथ-साथ उनकी सोच व चिंतन को भी बढ़ा दिया, तो महिलाओं के नेतृत्व में हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में होगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होगी।

इसी संदेश के साथ आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 21 से 22 अगस्त 2023 तक उदयपुर, राजस्थान में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन के दौरान दिये गये भाषण

9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 21 से 22 अगस्त 2023 तक उदयपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया था। प्रस्तुत है माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 21 और 22 अगस्त 2023 को सम्मेलन के दौरान दिये गये क्रमशः उद्घाटन और समापन भाषण।

9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के माननीय चेयरमैन श्री इयान लिडेल ग्रेन्जर जी,

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत जी;

राज्य सभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी,

राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ. सी.पी. जोशी जी;

राजस्थान विधान सभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री राजेंद्र राठौड़ जी;

माननीय पीठासीन अधिकारीगण;

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के महासचिव श्री स्टीफेन ट्वीग जी;

लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी;

एवं राज्य विधान मंडलों के सचिव;

विशिष्ट प्रतिनिधिगण, देवियो और सज्जनो;

आज सीपीए भारत क्षेत्र के नौवें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यहां आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं वीरता, शौर्य, अध्यात्म और भक्ति की भूमि राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आये पीठासीन अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 21 अगस्त 2023 को उदयपुर, राजस्थान में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

इस अवसर पर मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ. सी.पी. जोशी जी को इस सम्मेलन के आयोजन के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं।

साथियो, वर्ष 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन किया गया था। उसी समय से सीपीए विश्व में संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर काम कर रहा है। इसने हमेशा सुशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया है।

सीपीए राष्ट्रमंडल देशों और उनके नागरिकों के बीच सर्वोत्तम संसदीय प्रथाओं को साझा करने, आपसी सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत विश्व का प्राचीनतम और विशालतम लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है, संस्कारों और विचारों में है। आजादी के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और इसके माध्यम से जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और सपनों को पूरा करने का प्रयास किया

है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब समय आ गया है कि हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएं लोगों के प्रति और जवाबदेह बनें ताकि हम लोगों के अन्दर लोकतंत्र के प्रति और अधिक विश्वास बना सकें।

अपनी विशाल जनसंख्या और अत्यधिक विविधता के कारण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह हमारी सबसे बड़ी विशेषता भी है और शक्ति भी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की अच्छी परंपराओं, परिपाटियों और प्रथाओं को कायम रखें और इन संस्थाओं के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकें।

बदलते परिदृश्य में लोगों से संवाद करने और शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना होगा।

विधायकों को लोकतांत्रिक संस्थाओं की सर्वोत्तम परंपराओं और प्रथाओं का प्रचार करने के लिए लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनसे जुड़े रहना चाहिए।

हमारा युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। हमें न केवल अपने माननीय सदस्यों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए, बल्कि राज्य विधान मंडलों के कर्मचारियों और अधिकारियों को उभरती हुई प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी परिचित कराना चाहिए । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए।

हमारी विधान सभाओं के माननीय सदस्य 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । हमारे विधान मंडल, चाहे वह संसद हो या विधान सभाएं हों, वे 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं । एक जनप्रतिनिधि के रूप में, हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम संसद और विधान मंडलों जैसी संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखें।

हमारे विधायी निकायों के कामकाज में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमारे सदनों में नीतियों और कार्यक्रमों पर जो चर्चा और संवाद होता है, जो कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों के अंदर जो रुल्स बनाए जाते हैं, उन सबका प्रत्यक्ष प्रभाव

जनता के ऊपर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानून बनने के पहले भी और कानून के बनने के बाद भी, जब रुल्स बनते हैं, तो उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो।

इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें एक ऐसा प्रभावी सिस्टम बनाना होगा, जिसके अंदर जनता जनप्रतिनिधियों को या लोकतान्त्रिक संस्थाओं को रूल्स के बारे में या कानूनों में यदि कोई विसंगतियां हों, तो उसके बारे में भी अपना सुझाव दे सके, फीडबैक दे सके।

लोकतान्त्रिक संस्थाओं को अपनी गतिविधियों में समाज के प्रबुद्ध वर्गों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, सिविल सोसाइटी को शामिल करना और संवाद करना होगा, ताकि हमारे सदनों में सारगर्भित चर्चा हो। हमारे सदनों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों से प्रभावित होने वाले वर्गों की विधि निर्माण में सक्रिय भागीदारी हो, ताकि अच्छे कानून बनें।

हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि विधान मंडल लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए काम करे। हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने और हमारी संसदीय परंपराओं को समृद्ध करने की जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधियों की ही है।

वर्तमान परिदृश्य में लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत अधिक उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। जनता की हमसे आशा रहती है कि हम सदनों में उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों के लिए सार्थक विचार-विमर्श करेंगे, जन कल्याणकारी नीति निर्माण में कार्यपालिका का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधि सदन और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन और शालीनता के उच्च मानकों के अनुसार आचरण करें, कार्य करें।

हमारे सदन सार्थक विचार-विमर्श, चर्चा संवाद के केंद्र बनें । हमारे सदनों में जनता के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च गुणवत्ता के संवाद हों । विधेयकों पर हम शालीनता से अपनी बात रखें, पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद के बावजूद हम मर्यादा एवं गरिमा बनाए रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और हमारे सदनों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान निकले, इसी में हमारे सदनों की सार्थकता है।

पीठासीन अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे अपने पद की गरिमा के अनुरूप सदन को निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से चलायें। अपने सदनों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि हम अपने सदनों की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के

लिए काम करें। मैं अपने साथी पीठासीन अधिकारियों से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस पद पर आसीन होते ही हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं।

सदनों के अंदर सुनियोजित व्यवधान और गतिरोध की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने की आवश्यकता है। सदनों के अंदर सुनियोजित व्यवधान और गतिरोध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह भी एक सच्चाई है और यह हमारे सामूहिक चिंता का विषय है।

मेरा विचार है कि अब समय आ गया है, जब हमारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सदनों के अंदर हमारे व्यवहार और आचरण का आकलन करें। जब जनता जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार को अपने मत का आधार बनाएगी, तो हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएं भी अधिक जिम्मेदार बनेंगी और हमारे सदनों की उत्पादकता बढ़ेगी।

हमें गंभीरता से विचार-मंथन करना होगा कि मतदाताओं के सपनों और उम्मीदों को हम जनप्रतिनिधिगण किस प्रकार पूरा करें, उनका मान रखें। जब हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएं रचनात्मक चर्चा-संवाद का केंद्र बनेंगी, तो आम आदमी का कल्याण भी स्वत: सुनिश्चित होगा।

गण्यमान्य सदस्यो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन के दौरान होने वाले सार्थक विचार-विमर्श और उच्च कोटि के चर्चा-संवाद से अनेक नए विचार सामने आएंगे, जिनसे नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस संस्था को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से सीपीए भारत क्षेत्र के संविधान में व्यापक संशोधन किए गए हैं, ताकि इस महत्वपूर्ण संस्था की गतिविधियां और प्रभावी हों। इसके अंतर्गत क्षेत्रों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय प्रावधानों में भी बदलाव किये गए हैं ताकि इस संस्था की गतिविधियों में वृद्धि हो सके तथा राज्य विधान मंडल इसमें और अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकें।

इस संस्था के लिए लोक सभा सचिवालय में एक स्थायी सेल भी गठित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सीपीए को स्थायी रूप से सचिवीय सहायता मिल सके। मुझे आशा है कि इन बदलावों का सकारात्मक प्रभाव होगा।

आप सब इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे, इसके लिए आप सभी का

धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि सीपीए भारत क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले विभिन्न सम्मेलनों से हमें अपने लोगों और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सम्मेलन की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन के दौरान दिया गया समापन भाषण

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 22 अगस्त 2023 को उदयपुर, राजस्थान में 9वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के दौरान समापन भाषण देते हुए

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी;

राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी;

सीपीए कार्यकारी समिति के माननीय अध्यक्ष, श्री इयान लिडेल ग्रेन्जर जी;

राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी जी;

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी;

सीपीए, राजस्थान चैप्टर के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी;

राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यगण;

अन्य माननीय पीठासीन अधिकारीगण;

माननीय जनप्रतिनिधिगण और सीपीए भारत क्षेत्र के सचिव;

शिष्टमंडल के माननीय सदस्यगण; देवियो और सज्जनो :

गण्यमान्य सदस्यो, अब हम सीपीए भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन की समाप्ति की ओर आ गए हैं। सर्वप्रथम, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का हार्दिक आभार

कि उन्होंने इस सम्मेलन में आने के लिए अपनी व्यस्तता में भी समय निकाला। मैं समस्त पीठासीन अधिकारियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का भी इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।

दो दिन तक चले इस सम्मेलन के अंदर सभी पीठासीन अधिकारियों ने जीवंत और सार्थक चर्चा और संवाद किया है, अपने अनुभवों को, अपनी विचारों को, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा किया है।

हमारा उद्देश्य रहा है कि हम भविष्य में किस तरीके से एक रोड मैप बनायें, ताकि आने वाले समय में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता की सक्रिय भागीदारी और अधिक बढ़े।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से संवाद की सुविधा होगी और विधान मंडलों, प्रस्तावित कानूनों और उन पर चर्चाओं, लोक सभा और राज्य विधान मंडलों में किए जाने वाले कामकाज और विधान मंडलों की कार्यवाही के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान की जाएगी । डिजिटल माध्यम से हम विधान मंडलों को जनता से जोड़ पाएंगे । डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम सुशासन स्थापित कर पाएंगे । डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन स्थापित कर पाएंगे।

हमने सीपीए भारत क्षेत्र के नौ ज़ोन स्थापित किये हैं। हम इन सीपीए ज़ोन की गतिविधियों को बढ़ाएंगे। हम हमारे विधान मंडलों में सक्रिय भागीदारी निभायेंगे और जो सीपीए के उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे। अर्थात् कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एवं अन्य सीपीए क्षेत्रों एवं सीपीए भारत क्षेत्र की शाखाओं के बीच संपर्क एवं संवाद के माध्यम के रूप में काम करना, सीपीए भारत क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के विशेष संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक, वैधानिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना तथा उनके संबंध में ज्ञान और सूचना का प्रसार करना, और सीपीए भारत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों एवं एशिया महाद्वीप के अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ निकट संपर्क स्थापित करना।

कई माननीय पीठासीन अधिकारियों ने दो दिनों तक हुई चर्चा में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन महत्वपूर्ण सुझावों को अपनाकर हम इस संस्था को और बेहतर और परिणाममूलक बनाएंगे।

हमने दो दिन तक जो मंथन किया है, हम उन सारे निर्णयों को समयबद्ध तरीक़े से लागू करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे।

हम अपनी-अपनी संस्थाओं के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे ताकि हमारी संस्थाएं प्रभावी परिणाम ला सकें।

राष्ट्र निर्माण में विधायकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । चाहे राज्य के विधान मंडल हों या केंद्र के विधान मंडल, इस अमृत काल के अंदर जब हमारी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे होंगे उस समय देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक और विश्व के जो बड़े एजेंडे और चुनौतियां है, उन चुनौतियों का समाधान भारत की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से निकले। उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की और हमारे विधान मंडलों की विशेष रूप से भूमिका होनी चाहिए।

हम आवश्यक क़ानून में परिवर्तन करके पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था के साथ क़ानून के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए विकसित भारत की ओर आगे बढ़ें।

हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वर्तमान चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा हो और भविष्य के अंदर आने वाले चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा हो।

जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्रों और राज्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करना और भविष्य के लिए एक ऐसी व्यापक कार्य-योजना बनाना ताकि हम एक समृद्ध और विकसित भारत बना सकें।

इसलिए हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जन प्रतिनिधियों द्वारा विधान मंडलों में चर्चा और संवाद के स्तर को ऊपर उठाना, कानून बनाते हुए उसमें सक्रिय भागीदारी करना और अपने-अपने क्षेत्रों और राज्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

मेरा मानना है कि समृद्ध और विकसित भारत बनाने में संसदीय लोकतंत्र हमारी सबसे मज़बूत शासन व्यवस्था है।

संसदीय लोकतंत्र के अंदर विधान मंडलों की गरिमा और प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे जनप्रतिनिधि किस प्रकार सदनों में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और उनके समाधान पर सार्थक चर्चा और संवाद कर रहे हैं। हमारे विधान मंडलों की गरिमा और प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगी, जब वहाँ पर चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि देश और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे।

यहाँ पर पिछले दो दिनों में जो विचार-विमर्श हुए हैं, नए सुझाव दिए गए हैं, उससे निश्चित रूप से विधान मंडलों को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने में सहायता मिलेगी । देश और प्रदेश की जनता के आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा, हम एसडीजी के तहत तय किये गए लक्ष्यों से भी आगे जाकर मानव विकास के उच्चतम आयाम प्राप्त करेंगे तथा अमृत काल में हमारा देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व में अपना स्थान ग्रहण करेगा।

इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी पीठासीन अधिकारियों को पुनः बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि हम सब मिलकर विधान मंडलों को पुनः राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित करेंगे, समर्पित करेंगे।

मैं इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए आप सभी का साधुवाद करता हूं जो विषय इस सम्मेलन के लिए रखे गए थे, उन विषयों पर संवादपरक चर्चा को आपने जीवंत, रुचिकर, सार्थक और प्रासंगिक बनाया है। दो दिनों तक आपने यहाँ पर परस्पर चर्चा की, अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज, अपने नवाचारों को एक दूसरे से साझा किया।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यह सम्मेलन अत्यंत सफल रहा। अपना बहुमूल्य समय निकालकर चर्चा में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और सम्मेलन के दौरान अपने मूल्यवान विचार साझा करने के लिए मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं।

इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देने और सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत एवं आदर सत्कार करने के लिए मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी; राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ. सी.पी. जोशी जी, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्रीगण और राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं माननीय राज्यपाल महोदय का पुनः आभार कि उन्होंने अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया और इस सम्मेलन की शोभा बढ़ायी । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

संसद के पुराने भवन में संसद की बैठक के अंतिम दिन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण

संसद के पुराने भवन में संसद की बैठक के अंतिम दिन 19 सितंबर 2023 को लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य भारतीय संसद की समृद्ध विरासत का स्मरण करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में समवेत हुए।

19 सितंबर 2023 को संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में विशेष सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़; प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला; राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य गणमान्य व्यक्ति

उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़; प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला; राज्य सभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल; संसदीय कार्य और कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी; राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी; और वर्तमान लोक सभा की सबसे लंबे समय तक सदस्य रहीं श्रीमती मेनका संजय गांधी ने इस अवसर पर विशिष्ट सभा को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 सितम्बर 2023 को संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में संसद सदस्यों को संबोधित भाषण

आदरणीय उपराष्ट्रपति जी! आदरणीय स्पीकर महोदय ! मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि सभी माननीय सांसदगण।

आपको और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनेक-अनेक शुभकामनाएं। आज नए संसद भवन में मिलकर के नए भविष्य का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराते हुए, फिर एक बार संकल्पबद्ध होते हुए और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी-जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मानीय सभागृह, यह भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा, विचार करके हमारे संविधान ने यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को गढ़ने की बात पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी लिए।

1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेदारियों से गुजरे हैं, उन्होंने जिम्मेदारियों को संभाला है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोक सभा और राज्य सभा ने मिलकर करीब-करीब 4 हजार से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो संयुक्त सत्र के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिग सर्विस कमिशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास

किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए हैं। इसी संसद में मुस्लिम बहन, बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण गाड़ी कुछ उल्टी पाटी पर चल गई थी, इसी सदन ने हमारी उन गलतियों को ठीक किया और तीन तलाक के विरुद्ध कानून हम सबने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य बाकी जो सुविधाएं हैं, एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सकें, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांगजनों के लिए भी, उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके आकांक्षाओं को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बन गए। आर्टिकल-370 हटाने से लेकर, वो विषय ऐसा रहा कि शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि जिसमें उस पर चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो, आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमने इस सदन में आर्टिकल-370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू-कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों ने जिसे दिया वो महामूल्य दस्तावेज, जम्मू-कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन कर रहा है।

आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू-कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण लालकिले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे, हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना यही ऊर्जा इस देश के कोटि-कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा सिद्धि तक पहुंचा सकती है, ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है, देश जिस दिशा में चल पड़ा है इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे।

आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचा है लेकिन पहले तीन में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो

जानकारियां प्राप्त होती हैं उसके आधार पर, विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं उसके आधार पर, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों को निराशा हो सकती है। लेकिन दुनिया आश्वस्त है, कि भारत टॉप-3 में पहुंच कर रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गर्वनेंस मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टेक विश्व भर में सराहा जा रहा है। मैं इस जी-20 में देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नॉलोजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुहल भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब ऐसे कालखंड में हैं। मैं कहूंगा हम लोग भाग्यवान लोग हैं। ऐसे भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर मिला है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज भारतीयों की आकांक्षाएं उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले हजार साल में नहीं रही होंगी। गुलामी की जंजीरों ने उनकी आकांक्षाओं को दबोच कर रखा था, उनकी भावनाओं को तहस-नहस कर दिया था। आजाद भारत में वो अपने सपने संजों रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं अब वे रूकना नहीं चाहते हैं। वे आकांक्षापूर्ण समाज के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहते हैं। जब आकांक्षापूर्ण समाज के लोग सपने संजोते हों, संकल्प लेकर के निकल पड़े हों, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत भारतीय आकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए, ये हम सब की भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक-एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफार्म करेंगे उसके मूल में भारतीय आकांक्षा सबसे सर्वोच्च पद पर होनी चाहिए, प्राथमिकता पर होनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझकर के कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे अपने सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम अंकित नहीं कर सकते। 75 साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल्प जुड़ जाएं, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए तो हम भी एक भव्य भारत का चित्र अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्यता दिव्य मां भारती की, हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं।

दोस्तो, *अमृतकाल* के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी-छोटी चीजों में उलझने का वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है, और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे। हमारे बड़े-बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भरता की बात करता है तो बहुपक्षवाद के सामने चुनौती तो नहीं बन जाएगा। ग्लोबल इकॉनमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा, लेकिन पांच साल के भीतर-भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लगी है और कौन हिन्दुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हों, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हों, एडिबल ऑयल में हो, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। कृषि प्रधान देश हम कहते हैं। खाने का तेल क्या अब देश बाहर से लाएगा? समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करना होगा, ये हम सबका दायित्व है, उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे और मैंने एक बार लालकिले से कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट न हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफैक्ट न हो, ऐसे जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाले दृष्टिकोण से हमें दुनिया के विनिर्माण क्षेत्र में जाना होगा। हमारे डिजाइनर हों, या हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइंस, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या हमारे हस्तशिल्प हों, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा मान हो इतनी बात नहीं चलेगी, मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव हमें पैदा करना होगा। हमारी यूनिवर्सिटिज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है, एक खुलापन है, सर्व स्वीकृत बनी है। उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है और दुनिया के इस टॉप यूनिवर्सिटिज में, अभी जब जी-20 में जब विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां और जब मैंने उन्हें बताया कि 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो वो सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उससे प्रेरणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, ये हमारा संकल्प है।

आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर-2 और टियर-3 सिटी से, गांव के गरीब परिवारों से, देश के नौजवान, देश के बेटे-बेटियां आज खेलकूद के जगत में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पर हमारा तिरंगा भी लहराएगा। हमें अब हमारे पूरे दिमाग को क्वालिटी पर फ़ोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं को और भारत के सामान्य मानव के मन में भी जीवन स्तर के प्रति जो आकांक्षा बढ़ी है, उसका हम एड्रेस कर पाएं और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप में एक आकांक्षापूर्ण समाज है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय में हैं जब हिन्दुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे बड़ी युवा आबादी ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो तब हमें उसके टैलेंट पर भरोसा है, हमें उसकी संकल्पशक्ति पर भरोसा है, उसके साहस में हमें भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल मैनपॉवर की बहुत बड़ी जरूरत है और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैनपॉवर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको मानव संसाधन की जरूरत है। यह स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर कौशल विकास की तरफ हम बल दे रहे हैं और जितना ज्यादा हम कौशल विकास पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा और हिन्दुस्तानी जहां-जहां गया है, उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है, और हमारे पहले जो लोग गए हुए हैं उन्होंने इससे यही छवि भी बनाकर रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी जरुरत है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटें उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेज का इतना व्यापक रूप से निर्माण हो रहा है, देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है हर छोटी

चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ-नुकसान के गुणा भाग के अंदर अपने आपको बंधक नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश की आकांक्षाओं के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पॉवर का सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए ऊर्जा संकट से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो वातावरण की चिंता है जो प्रौद्योगिकी में बदलाव आ रहा है उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखता है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी प्रौद्योगिकी चिप्स के बिना चल नहीं सकती है और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है, उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रिक विनिर्माण में कोई रुकावट न आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, उनके भी बच्चों को कभी पानी के बिना तरसना ना पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, प्रतिस्पर्धी ताकत के साथ खड़ा रहे। लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, कुशल बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि हम ऐसे भारत का निर्माण करें, जिसमें ज्ञान नवप्रवर्तन हो, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति तक जाने का ये रास्ता भी है और इसलिए पिछले समय हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के बढ़ावे के लिए हमने शोध और नवाचार का एक कानून भी पारित किया है। ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस नवाचार के और चंद्रयान-3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमें शोध और नवाचार के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस पारिस्थितिकी को बनाने के लिए हमने एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है।

आदरणीय बंधुगण,

सामाजिक न्याय, ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बनकर रह गई है, हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे-कुचले व्यक्ति को कोई

सुविधा दें, तो यह सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए तो वह भी सामाजिक न्याय को मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाएं तो वह भी सामाजिक न्याय को मजबूती देता है। जरूरत पड़ने के समय यदि उसे बिना खर्च किये स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, तब जाकर के सामाजिक न्याय को मजबूती मिलती है और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय की जरूरत है, वैसी ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है, ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग के इलाके को समृद्ध बनाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमें लेनी है। असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो, लेकिन कोई अंग भी उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है मानना पड़ेगा, और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना है और उसी के लिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 आकांक्षी जिले पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, कार्यनीति बनाई गई, आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है। देश के कोने-कोने में स्थित 100 जिले जो पीछे माने जाते थे, जिनको बोझ मान लिया गया था, आज स्थिति ये बनी है वो 100 जिले अपने-अपने राज्य में लीड़ कर रहे हैं, राज्य की औसत से भी ऊपर जा रहे हैं और इस सफलता को देखकर के सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 जिलों से आगे बढ़कर के जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉकों को आकांक्षी जिले ब्लॉक के नाते पहचान करके उनको मजबूती देने का काम चल रहा है और मुझे विश्वास है जो ये आकांक्षी ब्लॉक हैं, वे विकास का एक नया मॉडल बनने वाले हैं। वे एक प्रकार से देश के विकास का एक नया ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं, और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय सांसदगण,

आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान गुटनिरपेक्ष देश के रूप में रही है। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे

हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय गुट निरपेक्ष की आवश्यकता अवश्य रही होगी, आज हम उस नीति को ले करके चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्वोमित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं। दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में भारत ने दूरी नहीं, बल्कि जितनी हो सके उतनी निकटता के जरिए, उस रास्ते पर चल करके हम अपने विश्वमित्र के भाव को आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरूरत है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम जी-20 में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। ये बीज, जिसे जी-20 समिट में बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय में देखेंगे, वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, जिसकी छाया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेंगी, ये मुझे विश्वास है।

इस जी-20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल एलाएंस का। हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं और विश्व को बायोफ्यूल एलाएंस में दुनिया के सभी मित्र देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे-छोटे महाद्वीप उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं।

आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय,

आज हम यहां से विदाई ले करके नए भवन में जा रहे हैं। संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिल करके उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य करिए और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं, तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दें दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए ताकि ये हमेशा-हमेशा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बना रहेगा और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों की याद इसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे, और

इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए।

मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां पर जो तपस्या हुई है, जनकल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए सात दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद

संसद भवन के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में 19 सितम्बर, 2023 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा दिया गया भाषण

माननीय उप-राष्ट्रपति जी;

माननीय प्रधानमंत्री जी;

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी;

राज्य सभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल जी;

राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी;

लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी;

संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित माननीय सदस्यगण;

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 19 सितम्बर, 2023 को संसद भवन के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में आयोजित संसद के विशेष सत्र में भाषण देते हुए

संसद भवन का ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष जो हमारे देश की आजादी का साक्षी रहा है, जो संविधान निर्माण का साक्षी रहा है, जिसमें अनेक परिवर्तनकारी एवं ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, इस केन्द्रीय कक्ष में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपतियों एवं कई राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन से हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था को व्यक्त किया है।

इस केन्द्रीय कक्ष से आज हम लोग नए संसद भवन की ओर, नई आकांक्षाओं, अपेक्षाओं एवं नई उम्मीदों के साथ प्रवेश कर रहे हैं।

आज इस अवसर पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाता हूं जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया। मैं आज उन महान नेताओं को भी नमन् करता हूं, जिन्होंने इसी केन्द्रीय कक्ष में संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया तथा जिन्होंने देश में आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाने का दायित्व निभाया।

आज हम उन माननीय सदस्यों का भी स्मरण करते हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने इस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश की प्रगति में योगदान दिया।

मैं आज संसद के उन सभी वर्तमान माननीय सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके लंबे संसदीय अनुभवों का लाभ आज भी हमें मिल रहा है।

यह संसद भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, निर्णयों और परिवर्तनकारी कानूनों के निर्माण का साक्षी रहा है।

हमारी संसद ऐसी कई घटनाओं का मंच रही है जिसने पिछले 75 वर्षों में इस देश को एक स्वरूप दिया है। हमारी संसद देश के करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति एवं भावनाओं का माध्यम रही है, जहां हमने लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप चर्चा और संवाद से अनेक चुनौतियों का समाधान निकाला और श्रेष्ठता के कई प्रतिमान भी स्थापित किए।

इन 75 वर्षों की संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमने देश में क्रांतिकारी बदलाव किए। आज देश की जनता नए भारत के लिए आकांक्षी है। आज लोगों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ी हैं, आकाक्षाएं बढ़ी हैं, उम्मीदें बढ़ी हैं।

ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों का शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करें और उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करते हुए आकांक्षी भारत के सपने को साकार करें।

मान्यवर, हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड में संसद में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस समय भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति और श्रेष्ठ नेतृत्व के कारण हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में एक साथ लेकर वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं।

आज हम जब नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। हमारा संकल्प है कि हम इसी संसदीय लोकतंत्र से सामूहिक चर्चा और संवाद से, कठिन परिश्रम से और सारे देश की जनभागीदारी से इन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी संसद हरेक मुद्दे पर चर्चा करे, कानून बनाते समय सदन में सारगर्भित और सकारात्मक चर्चा हो, ताकि हमारे देश को और अधिक समर्थ एवं समृद्ध बनाने में संसद अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा सके।

आज आजादी के इस अमृतकाल में हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

विकसित भारत बनाने का यह लक्ष्य हमारी संसद के माध्यम से साकार हो, हम ऐसे संकल्प की प्रतिबद्धता के साथ नए भवन में प्रवेश करें।

आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिन में हम अच्छी परंपरायें, अच्छी परिपाटियां, अच्छी प्रथाएं और अच्छे अनुभव यहां से साथ लेकर जाएं और संसद के नये भवन में उनको स्थापित करें ताकि विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र मार्गदर्शक बन सके। नया भवन हमारे देश की आकांक्षी जनता के लिए परिणामदायक हो, परिवर्तनकारी हो ताकि हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता, न्याय और बंधुता का जो संदेश दिया हम उसे पूरा कर सकें।

हम अपनी संसद को देश की जनता की सेवा में सच्चे भाव से समर्पित करें इसी अपेक्षा के साथ मैं इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं, इस भवन को प्रणाम करता हूं।

जय हिन्द।

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां

बजट और आयोजना सम्बन्धी एपीए स्थायी समिति की बैठक: ईरान के इस्लामी गणराज्य की संसद ने 9 से 12 जुलाई, 2023 तक तेहरान, ईरान में बजट और आयोजना सम्बन्धी एपीए स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया । लोक सभा सदस्य श्री जगदम्बिका पाल ने बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान, एपीए बजट की आयोजना के सम्बन्ध में एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।

भावी समितियों के दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की बैठक: उरुग्वे की संसद ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के सहयोग से 25 से 27 सितंबर 2023 तक मोंटेवीडियो, उरुग्वे में भावी समितियों के दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत की ओर से एक संसदीय शिष्टमंडल जिसमें राज्य सभा के सदस्य श्रीमती पीटी उषा, श्रीमती सीमा द्विवेदी, सर्वश्री पी. विल्सन और निरंजन रेड्डी शामिल थे, ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय *"भविष्य को साकार करना: भावी लोकतंत्र, कृत्रिम बुद्धिमता और संसद"* था।

9वां ब्रिक्स संसदीय मंच: ब्रिक्स अध्यक्षता के व्यापक दायरे में, दक्षिण अफ्रीका की संसद ने दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में 27 से 29 सितंबर 2023 तक 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किया। माननीय उपसभापति, राज्य सभा, श्री हरिवंश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल जिसमें राज्य सभा के सदस्य, श्रीमती सुमित्रा बाल्मिक, लोक सभा के सदस्य, श्री इंद्रा हैंग सूबा शामिल थे, ने मंच में भाग लिया।

मंच का प्रमुख विषय *"अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित कार्यान्वयन के लिए ब्रिक्स और अफ्रीका साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए बहुपक्षवाद और संसदीय कूटनीति का उपयोग"* था। मंच का समापन एक संयुक्त घोषणा वक्तव्य को अंगीकार करने के साथ हुआ।

इस अवसर पर ब्रिक्स देशों की संसदों ने ब्रिक्स संसदीय मंच के कामकाज को और मजबूत बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये।

सीपीए भारत क्षेत्र का 20वां वार्षिक जोन-III सम्मेलन: राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र का 20वां वार्षिक जोन-III सम्मेलन 29 से 30 जुलाई, 2023 तक शिलांग, मेघालय में सम्पन्न हुआ।

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा और सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 29 जुलाई, 2023 को सम्मेलन का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। श्री हरिवंश, माननीय उपसभापति, राज्य सभा; श्री कोनराड के. संगमा, मुख्यमंत्री, मेघालय सरकार; अरूणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री पसांग डी. सोना; मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष श्री थॉमस ए संगमा ने भी सभा को संबोधित किया।

सम्मेलन के दौरान, कार्य-सूची के निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया: (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन की रणनीतियां; (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के मुख्य भूभाग के समकक्ष लाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क।

इस कार्यक्रम में अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

असम विधान सभा के नए भवन का उद्घाटन: असम विधान सभा के नए भवन का उद्घाटन 30 जुलाई, 2023 को गुवाहाटी, असम में किया गया। माननीय अध्यक्ष,लोक सभा, श्री ओम बिरला ने असम विधान सभा के नए भवन के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री हिमंत बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, असम; श्री सर्बानंद सोनोवाल, केन्द्रीय पत्तन, नौवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री; श्री रामेश्वर तेली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री और श्री बिश्वजीत दैमारी,अध्यक्ष, असम विधान सभा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया।

9वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन: 9वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी राजस्थान राज्य सीपीए शाखा द्वारा 21 और 22 अगस्त, 2023 को उदयपुर, राजस्थान में की गई थी। 21 अगस्त, 2023 को, माननीय अध्यक्ष,लोक सभा और सीपीए भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी समिति के सभापति, श्री ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता की। इसमें 22 राज्यों की सीपीए शाखाओं और भारत संघ शाखा (भारत की संसद) के 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा; श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान; श्री हरिवंश, माननीय उपसभापति, राज्य सभा; डॉ. सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा; राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने विशिष्ट सभा में भाग लिया और सदस्यों को संबोधित किया। सीपीए के अध्यक्ष माननीय इयान लिडेल-ग्रेनगर और सीपीए के महासचिव, श्री स्टीफन ट्विग को क्रमशः विशेष आमंत्रिती और पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। सीपीए के अध्यक्ष माननीय इयान लिडेल-ग्रेनगर ने भी सम्मेलन के दौरान भाषण दिया।

सम्मेलन में 21 और 22 अगस्त, 2023 को कार्य-सूची के निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया: (i) डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने में जन प्रतिनिधियों को अधिक प्रभावी/कुशल कैसे बनाया जाए; (ii) लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र को सुदृढ़ करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका।

30 प्रतिनिधियों ने पूर्ण सत्र के उपर्युक्त कार्य-सूची विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। सम्मेलन का समापन समारोह 22 अगस्त, 2023 को संपन्न हुआ। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने समापन समारोह में भाग लिया और गणमान्य अतिथियों को संबोधित किया। समापन समारोह में माननीय अध्यक्ष,लोक सभा और सीपीए के अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष; और राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता ने भी भाग लिया और सभा को संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष द्वारा ज्ञापित किया गया।

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सुशोभित हैं, उनकी जयंती और लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों की जयंती के अवसर पर भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) के तत्वावधान में इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिये समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय ग्रन्थागार तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा इन नेताओं के जीवन वृत पर तैयार की गई प्रोफाइल वाली पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं।

1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 की अवधि के दौरान निम्नलिखित नेताओं की जयंतियां मनाई गईं:

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर 6 जुलाई 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया।

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल; श्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खान मंत्री; सुश्री शोभा करंदलाजे और श्री कैलाश चौधरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर 23 जुलाई, 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री ओम बिरला, अध्यक्ष, लोक सभा; राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री सोमनाथ चटर्जी की जयंती के अवसर पर 25 जुलाई, 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री ओम बिरला, अध्यक्ष, लोक सभा; राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. जी. एस. ढिल्लों: डॉ. जी. एस. ढिल्लों की जयंती के अवसर पर 6 अगस्त, 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. जी. एस. ढिल्लों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री राजीव गांधी: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य सभा में विपक्ष के नेता; शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह; श्रीमती सोनिया गांधी, सदस्य, लोक सभा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. बलराम जाखड़ : डॉ. बलराम जाखड़ की जयंती के अवसर पर 23 अगस्त, 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड़ के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

सरदार हुकम सिंह: सरदार हुकम सिंह की जयंती के अवसर पर 30 अगस्त, 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। संसद सदस्यों और अन्य

गणमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री पी.ए. संगमा: श्री पी.ए. संगमा की जयंती के अवसर पर 1 सितंबर, 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री दादाभाई नौरोजी: श्री दादाभाई नौरोजी की जयंती के अवसर पर 4 सितंबर, 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्री दादाभाई नौरोजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संसदीय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

विदेशी संसदीय शिष्टमंडल का भारत दौरा

मलावी: मलावी गणराज्य की नेशनल असेंबली की माननीय अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोटानी हारा के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान के तहत 31 जुलाई से 3 अगस्त, 2023 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 30 जुलाई, 2023 को दिल्ली पहुंचा। 31 जुलाई, 2023 को, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और भारत के दौरे पर आई अध्यक्ष ने द्विपक्षीय संसदीय वार्ता की, जिसके बाद भोज कक्ष में भोज का आयोजन किया गया। दौरे पर आए शिष्टमंडल ने 'विशेष बॉक्स' से लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही भी देखी। उनके लिए संसद भवन परिसर का शो राउंड भी आयोजित किया गया। उसी दिन, शिष्टमंडल ने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 1 अगस्त, 2023 को, शिष्टमंडल ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। 3 अगस्त, 2023 को, शिष्टमंडल ने माननीय विदेश मंत्री श्री एस.जयशंकर और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात की। दिल्ली के अलावा शिष्टमंडल ने आगरा का भी दौरा किया।

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का विदेश दौरा

मंगोलिया: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान के तहत 6 से 8 जुलाई, 2023 तक मंगोलिया का दौरा किया।

शिष्टमंडल में संसद सदस्य सर्वश्री राजेश वर्मा, नारायण दास गुप्ता, रेबती त्रिपुरा, पबित्रा मार्गेरिटा और श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह और लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह शामिल थे। लोक सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव डॉ. अजय कुमार शिष्टमंडल के सचिव थे। 6 जुलाई, 2023 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने मंगोलिया में भारत के राजदूत द्वारा आयोजित भारतीय समुदाय के सदस्यों की एक सभा को संबोधित किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रिभोज हुआ। 7 जुलाई, 2023 को, मंगोलिया की संसद की ओर प्रस्थान करते हुए, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने स्टेट पैलेस में चंगेज़ खान की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी दिन, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने स्टेट ग्रेट हुराल के सभापति महामहिम श्री ज़ंदनशातर गोम्बोजाव के साथ द्विपक्षीय संसदीय वार्ता की। संसदीय सम्पर्क और आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए अध्यक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा महासचिवों के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने मंगोलिया के राष्ट्रपति महामहिम उखनागिन खारेलसुख और मंगोलिया के प्रधानमंत्री महामहिम लुवसन्नामरेन ओयुन-एर्डेने से मुलाकात की। भारत-मंगोलिया संसदीय मैत्री समूह की सभापति ने भारतीय शिष्टमंडल के सम्मान में भोज का आयोजन किया। शिष्टमंडल ने मंगोल रिफाइनरी के मुख्यालय और चंगेज़ खान संग्रहालय का भी दौरा किया। लोक सभा के महासचिव और मंगोलियाई संसद सचिवालय के प्रमुख के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। मंगोलियाई संसद के सभापति द्वारा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में एक सांस्कृतिक प्रदर्शन और उसके बाद भोज का आयोजन किया गया।

8 जुलाई, 2023 को, शिष्टमंडल ने गंडनतेगचेनलिन मठ और पेथुब मठ का दौरा किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मंगोलियाई संसद के सभापति ने भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में मध्याह्न भोज का आयोजन किया। उसी दिन मंगोल घुमंतू सांस्कृतिक विरासत केंद्र में शिष्टमंडल के लिए लघु नादम की प्रस्तुति भी की गयी।

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा से भेंट

स्लोवाकिया में नियुक्त भारत की राजदूत: स्लोवाकिया में भारत की नामित राजदूत सुश्री अपूर्वा श्रीवास्तव ने 18 जुलाई ,2023 को संसद भवन में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा से मुलाकात की।

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 की अवधि के दौरान, संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण

संस्थान (प्राइड) ने सदस्यों/शिष्टमंडलों/परिवीक्षार्थियों/गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम/ समारोह आयोजित किए:

एक. संसद सदस्यों और राज्य विधान सभा के सदस्यों के लिए कार्यक्रम: (i) 28 जुलाई, 2023 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित संगोष्ठी में दो सौ पैंतीस माननीय संसद सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों और लोक सभा, राज्य सभा के अधिकारियों ने भाग लिया; और (ii) भारत में राज्य विधानमंडलों की सैंतीस महिला सदस्यों ने 9 से 10 अगस्त 2023 तक प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया।

दो. संसद सदस्यों के निजी सहायकों/निजी सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2 अगस्त, 2023 को ई-मेल के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय संसद सदस्यों के 57 निजी सहायकों/निजी सचिवों ने भाग लिया।

तीन. अपनी संसद को जानें—समझ संसद की: (i) आजादी के अमृत महोत्सव (आजादी के 75 वर्ष) के अवसर पर, संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) ने राजस्थान के कोटा जिले के छात्रों/प्रतिभागियों के लिए "अपनी संसद को जाने (केवाईपी)-समझ संसद की" कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कोटा, राजस्थान से महिलाओं (महिला मोर्चा) और बच्चों के एक सौ पंद्रह सदस्यों के एक समूह ने 27 और 28 जुलाई, 2023 को उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया; और (ii) 94 छात्रों/प्रतिभागियों ने 16 अगस्त, 2023 को कार्यक्रम में भाग लिया।

चार. परिबोधन कार्यक्रम: संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं में दो परिबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए: (i) 26 से 28 जुलाई, 2023 तक संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं में आयोजित परिबोधन कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा, भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) और भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सेवा (आईसीएलएस) के एक सौ छब्बीस परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भाग लिया; और (ii) 9 से 10 अगस्त, 2023 तक भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) और भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) के 18 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया ।

पांच. लोक सभा/राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम: (i) 5 से 7 जुलाई, 2023 तक मीडिया से संबंधित शाखाओं में कार्यरत 19 अधिकारियों और मीडियाकर्मियों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (ii) 6 जुलाई, 2023 को 47 अधिकारियों ने 'बजट और

वित्त विवेक' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; (iii) 11 और 12 जुलाई, 2023 को 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला में 24 अधिकारियों ने भाग लिया; (iv) 18 जुलाई, 2023 को 'कामकाजी महिलाएं-सामाजिक और संगठनात्मक चुनौतियां' विषय पर आयोजित व्याख्यान/कार्यशाला में एक सौ बीस अधिकारियों ने भाग लिया; (v) 2 से 4 अगस्त, 2023 तक आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम में चौंतीस अधिकारियों ने भाग लिया; (vi) 23 से 25 अगस्त, 2023 तक 'पुस्तकालय प्रबंधन' पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 27 अधिकारियों ने भाग लिया; (vii) 28 अगस्त से 1 सितंबर, 2023 तक डॉ. मार्टी चन्ना रेड्डी, मानव संसाधन विकास संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा मीडिया प्रबंधन पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में छब्बीस अधिकारियों ने भाग लिया; और (viii) 12 सितंबर, 2023 को 'पेंशन और भविष्य पोर्टल' पर आयोजित कार्यशाला में छब्बीस अधिकारियों ने भाग लिया।

छह. अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतरराष्ट्रीय) (क): (i) 17 से 20 जुलाई, 2023 तक संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में बांग्लादेश संसद के 27 अधिकारियों ने भाग लिया; (ii) 26 जुलाई, 2023 को नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी), मसूरी, उत्तराखंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले बांग्लादेश के 45 सिविल सेवकों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (iii) 4 अगस्त, 2023 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के 66वें 'भारत को जानें' कार्यक्रम (केआईपी) के तहत साठ भारतीय प्रवासी युवाओं ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (iv) 18 अगस्त, 2023 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के 67वें 'भारत को जानें' कार्यक्रम (केआईपी) के तहत साठ भारतीय प्रवासी युवाओं ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; और (v) 18 अगस्त, 2023 को आईसीसीआर, नई दिल्ली के जेन नेक्स्ट नेटवर्क डेमोक्रेसी प्रोग्राम के तहत 23 विदेशी प्रतिभागियों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया।

अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) (ख): इस अवधि के दौरान 56 अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) आयोजित किये गये।

सदस्य संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा विशेष रूप से संसद सदस्यों के दैनिक संसदीय कार्य से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह सेवा सभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों/अध्यादेशों पर संदर्भ टिप्पण और विधायी टिप्पण प्रकाशित करती है। 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2023 की अवधि के दौरान, माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त

कुल 1408 संदर्भों का निपटान किया गया इनमें 1182 संदर्भ ऑफ़लाइन और 226 संदर्भ ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। 24 विधायी टिप्पण और 8 संदर्भ टिप्पण तैयार किए गए जिन्हें लोक सभा की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सदस्य पोर्टल के माध्यम से भी माननीय सदस्यों के साथ साझा किया गया। इस अवधि के दौरान सभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर माननीय सदस्यों के लिए 4 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए।

विशेषाधिकार के मामले

लोक सभा

1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 की अवधि के दौरान, विशेषाधिकार समिति की 3 बैठकें क्रमशः 27 जुलाई, 18 और 30 अगस्त, 2023 को हुईं। विशेषाधिकार समिति ने इस अवधि के दौरान एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

विशेषाधिकार समिति (एक)

17वीं लोक सभा में 10 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा अंगीकार किए गए प्रस्ताव/संकल्प के आधार पर संसद सदस्य, श्री अधीर रंजन चौधरी को कदाचार के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था और विशेषाधिकार समिति को इस मामले में आगे की जांच करने और उस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने इस मामले पर अपना छठा प्रतिवेदन 30 अगस्त, 2023 को माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया और 18 सितंबर, 2023 को सभा के पटल पर रखा।

समिति ने अपने तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में यह पाया कि माननीय प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री के भाषण के दौरान सदन की कार्यवाही को लोक सभा के संसद सदस्य, श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा जानबूझकर बार-बार बाधा डालकर या व्यवधान उत्पन्न कर किया गया प्रयास 'सदन की अवमानना' का स्पष्ट मामला है। तथापि, संसद सदस्य, श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान व्यक्त किए गए खेद को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की कि इस मामले में आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अतः, समिति ने सिफारिश की कि श्री अधीर रंजन चौधरी को अब तक किए गए निलंबन को पर्याप्त सजा के रूप में माना जाए और नवंबर/दिसंबर 2023 में आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सदन के फिर से शुरू होने की प्रतीक्षा किए बिना यथाशीघ्र माननीय लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा के सदस्य श्री अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को जारी रखने/रद्द करने पर विचार करें।

प्रक्रिया सम्बन्धी मामले

लोक सभा

बारहवां सत्र

अध्यक्ष-पीठ द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने का दृष्टांत। श्री गौरव गोगोई द्वारा प्रस्ताव: चूंकि 50 से अन्यून सदस्यों ने इस मामले को उठाया, माननीय अध्यक्ष ने 26 जुलाई, 2023 को की गई अपनी टिप्पणी में अनुमति प्रदान की और घोषणा की कि वह दलों के नेताओं से परामर्श करने के बाद सभा में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय तय करेंगे। 8 अगस्त, 2023 को लोक सभा अध्यक्ष ने श्री गौरव गोगोई को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा। 8 अगस्त को शुरू हुई चर्चा 9 अगस्त तक जारी रही और 10 अगस्त, 2023 को समाप्त हुई। यह प्रस्ताव जिस पर 19 घंटे 59 मिनट तक चर्चा हुई थी, 10 अगस्त, 2023 को अस्वीकृत हो गया।

एक.

सदन की गरिमा के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गई टिप्पणी: प्रश्न काल का सुचारू संचालन: 21 जुलाई, 2023 को माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

'माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप सभा नहीं चलाना चाहते हैं;क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

माननीय सदस्यगण, सभी माननीय संसद सदस्य चाहते हैं कि सभा चले। क्या नारेबाजी से समस्याएं हल होंगी? बातचीत और संवाद से समाधान निकलेगा। आपका तरीका सही नहीं है।

आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप नारेबाजी चाहते हैं, आप सभा नहीं चलाना चाहते। देश की जनता चाहती हैं कि सभा चले। मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा।

नारेबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार चर्चा के लिये तैयार है। क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं?"

दो.

सभा की गरिमा के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गई टिप्पणी: प्रश्न काल का सुचारू संचालन: 24 जुलाई, 2023 को, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

उन्होंने कहा, "माननीय सदस्यगण, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। जनता ने आपको सदन में पोस्टर लाने के लिए नहीं भेजा है"।

मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। सबसे पहले प्रश्न काल होगा। प्रश्न काल के बाद चर्चा होगी। प्रश्न काल महत्वपूर्ण है।

क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? आपके नेता ने चर्चा के लिए कहा है और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है।

माननीय सदस्यगण, नारेबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। जिनके लिये आप न्याय करना चाहते हैं, कृपया उन पर चर्चा करें, बहस करें और उनके लिए अच्छे सुझाव दें। सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। पूरी सभा को सामूहिक रूप से चर्चा और विचार-विमर्श करना चाहिए और समस्या का समाधान खोजना चाहिए, सरकार इसे लागू करेगी।

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप सभा में जनहित के मुद्दे उठाएं।

प्रश्न काल महत्वपूर्ण है। प्रश्न काल के दौरान सरकार जवाबदेह है।

आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, पूरी सभा उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है; जनता ने आपको यहां नारे लगाने और तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है।

यह सभा केवल मुद्दों पर चर्चा करके समस्या का समाधान करेगी। नारेबाजी और तख्तियां लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा और आप उन लोगों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन को चलने दें।

कृपया अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। मैं आपको हर मुद्दे पर बोलने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दूंगा।

मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। 12 बजे के बाद, मैं सभी दलों से बात करने और उन मुद्दों पर चर्चा करके आम सहमति बनाने के लिए तैयार हूं, जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं।

आप नारे लगाते हैं, आप तख्तियां लाते हैं। क्या जनता ने आपको इस उद्देश्य के लिए चुन कर यहां भेजा है?"

तीन.

सभा की गरिमा के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गयी टिप्पणी: मर्यादा का पालन और प्रश्न काल का सुचारू संचालन: 25 जुलाई, 2023 को माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"माननीय सदस्यगण, क्या आप नहीं चाहते कि सदन चले? क्या आप प्रश्न काल के समय का उपयोग नहीं करना चाहते हैं?"

प्रश्न काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपसे सभा को चलने देने का अनुरोध करता हूं। आपको चर्चा करनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। आपको सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप हर दिन नारे क्यों लगाते हैं? नारेबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा।

आप सभी कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मैं आपको प्रत्येक मुद्दे पर पर्याप्त समय और मौका दूंगा। मैं आपसे संसद की गरिमा बनाए रखने का आग्रह करता हूं। हर दिन तख्तियां लाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया संसद की गरिमा बनाए रखें। क्या आप सभा नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते?

चार.

सभा की गरिमा के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गयी टिप्पणी: मर्यादा का पालन और प्रश्न काल का सुचारू संचालन: 26 जुलाई, 2023 को, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

'माननीय सदस्यगण, क्या आप मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते हैं? कृपया सभा की गरिमा बनाए रखें।

माननीय सदस्यगण, यह सभा वाद-विवाद और चर्चा के लिए है। आप सभी कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाएं, ताकि चर्चा हो सके।

माननीय सदस्यगण, प्रत्येक विषय और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। यह सभा चर्चा के लिए है। क्या आप चर्चा नहीं चाहते हैं; क्या आप प्रश्न काल नहीं चलने देंगे?

पांच.

सभा की गरिमा के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गयी टिप्पणी: मर्यादा का पालन और प्रश्न काल का सुचारू संचालन: 27 जुलाई, 2023 को, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

'माननीय सदस्यगण, इस सदन की बेहतरीन परंपराएं रही हैं, सर्वोत्तम परंपराएं रही हैं, इसकी अपनी एक गरिमा है लेकिन जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से आप आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं पुन: आग्रह करता हूं कि सभा की गरिमा, सम्मान और उच्च परंपराओं को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जनता ने हमें चुना है और यहां भेजा है ताकि हम उनकी इच्छाओं, उनकी

अभिव्यक्तियों और उनकी भावनाओं को सदन में प्रस्तुत करें। आप यहां नारेबाजी करते हैं, माननीय मंत्री जी के समक्ष तख्तियां लगाते हैं, कुछ माननीय सदस्य अध्यक्ष-पीठ के समक्ष आ जाते हैं और अध्यक्ष के साथ चर्चा करना चाहते हैं, यह उचित तरीका नहीं है और यह संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी नहीं है। पूरा देश इस आचरण को देख रहा है। आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करें, बातचीत करें। मैं आपको हर मुद्दे पर पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करूंगा, लेकिन यह आचरण उचित नहीं है। आपका आचरण संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप यहां खुद कैसा व्यवहार कर रहे हैं? पूरा देश आपके आचरण को देख रहा है।

यदि आप इस तरह का आचरण जारी रखते हैं, तो मैं सदन की कार्यवाही इस तरह से चलाने की अनुमति नहीं दे सकता।

छह.

सभा की गरिमा के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गयी टिप्पणी: मर्यादा का पालन और प्रश्न काल का सुचारू संचालन: 28 जुलाई, 2023 को, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या आप प्रश्न काल चलने देना चाहते हैं या नहीं? प्रश्न काल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है और मैंने सर्वदलीय बैठक में भी कहा है और मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूं। क्या आप नहीं चाहते कि प्रश्न काल चले? यह प्रश्न काल आपका है, इसमें सरकार की जवाबदेही है। क्या आप नहीं चाहते कि प्रश्न काल चले?"

सात.

सभा की गरिमा के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गयी टिप्पणी: मर्यादा का पालन: प्रश्न काल का सुचारू संचालन: 7 अगस्त, 2023 को माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"माननीय सदस्यों, क्या आप सदन को चलने नहीं देना चाहते? क्या यह नारेबाजी की जगह है? आप प्रश्न काल के दौरान सभा को चलने नहीं देना चाहते, यह ठीक नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि सभा नारेबाजी के लिए नहीं है। प्रश्न काल सभा का एक महत्वपूर्ण समय होता है। आपको चर्चा और संवाद करना चाहिए। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्या आप यहां नारे लगाने आते हैं?"

तेरहवां सत्र

देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता के संबंध में संकल्प: 21 सितंबर 2023 को, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:

'हमारे देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। चंद्रयान-III मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की अन्य उपलब्धियां हमारे देश की अंतर्निहित वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रमाण हैं। सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ दूरदर्शी नेतृत्व ने हमारे वैज्ञानिकों को अपनी क्षमता और ऊर्जा का पूर्ण उपयोग कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। यह सभा चंद्रमा के अविजित दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-III की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ इस कठिन और यादगार उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों, विशेष रूप से महिला वैज्ञानिकों का सम्मान करती है और उनके कार्यों की सराहना करती है। अन्य अंतरिक्ष मिशनों के साथ यह उपलब्धि निश्चित रूप से समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगी और हमारे देश को दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में रखेगी।'

संकल्प स्वीकृत हुआ।

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम
(1 जुलाई से 30 सितंबर 2023)

इस लेख में सम्मिलित घटनाएं मुख्यतः संघ और राज्य विधानमंडलों, भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों और दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों सहित पब्लिक डोमेन में प्रामाणिक अथवा उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। अतः लोक सभा सचिवालय इनके सटीक, सत्य होने या न होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

भारत

संघ का घटनाक्रम

संसद का सत्रः सत्रहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ साठवां सत्र 20 जुलाई, 2023 को प्रारंभ हुआ। दोनों सदनों को 11 अगस्त, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 अगस्त, 2023 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सत्रावसान किया ।

सत्रहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ इकसठवां सत्र 18 सितंबर, 2023 को प्रारंभ हुआ। 21 सितंबर, 2023 को दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 सितंबर, 2023 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सत्रावसान किया।

राज्य सभा के लिए चुनाव: 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 की अवधि के दौरान निम्नलिखित सदस्य राज्य सभा के लिए चुने गए हैं :

क्र.सं.	नाम, राजनीतिक दल का नाम तथा राज्य का नाम	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री सदानंद शेट तनावड़े (भारतीय जनता पार्टी) गोवा	17.07.2023	29.07.2023	31.07.2023
2.	श्री झाला केसरीदेवसिंह जी (भारतीय जनता पार्टी) गुजरात	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023
3.	श्री जेसंगभाई बाबूभाई देसाई (भारतीय जनता पार्टी) गुजरात	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023

क्र.सं.	नाम, राजनीतिक दल का नाम तथा राज्य का नाम	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण करने की तिथि
4.	श्री एस. जयशंकर (भारतीय जनता पार्टी) गुजरात	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023
5.	डॉ. दिनेश शर्मा (भारतीय जनता पार्टी) उत्तर प्रदेश	08.09.2023	11.09.2023	18.09.2023
6.	श्री साकेत गोखले (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	17.07.2023	18.07.2023	24.07.2023
7.	श्री देरेक ओब्राईन (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023
8.	सुश्री दोला सेन (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023
9.	श्री नगेन्द्र रॉय (भारतीय जनता पार्टी) पश्चिम बंगाल	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023
10.	श्री प्रकाश चिक बाराईक (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023
11.	श्री समीरूल इस्लाम (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023
12.	श्री सुखेंदु शेखर रॉय (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल	17.07.2023	19.08.2023	21.08.2023

लोक सभा के सदस्य की सदस्यता बहाली: लोक सभा सचिवालय की 7 अगस्त, 2023 की अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, दिनांक "24 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 21/4 (3)/2023/टीओ (बी) के क्रम में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04.08.2023 को अपील की विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 8644/2023 के द्वारा एक आदेश पारित किया जो केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा सदस्य श्री राहुल गांधी से संबंधित मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत द्वारा

दिनांक 23.03.2023 को सी.सी./18712/2019 के द्वारा दिये दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.08.2023 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 8 के प्रावधानों के आधार पर 24 मार्च, 2023 को भारत के राजपत्र में श्री राहुल गांधी की अयोग्यता के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या 21/4(3)/2023/टीओ (बी) पर न्यायालय का निर्णय आने तक रोक लगा दी गई है।"

राज्यों के घटनाक्रम

झारखंड

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 05 सितंबर, 2023 को हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की श्रीमती बेबी देवी को 08 सितंबर, 2023 को डुमरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

केरल

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 05 सितंबर, 2023 को हुए उप-चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के एडवोकेट चांडी ओमन को 8 सितंबर, 2023 को पुथुप्पल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

ओडिशा

विधान सभा अध्यक्ष का निर्वाचनः 22 सितंबर, 2023 को श्रीमती प्रमिला मल्लिक को ओडिशा विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया।

राजस्थान

मंत्री का निष्कासन: 21 जुलाई, 2023 को पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिपरिषद से हटाया गया।

त्रिपुरा

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 05 सितम्बर, 2023 को हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दोनों सदस्य सर्वश्री तफज्जल हुसैन और बिंदु देबनाथ को 8 सितंबर, 2023 को क्रमशः बॉक्सानगर और धानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित घोषित किया गया।

उत्तर प्रदेश

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 05 सितंबर, 2023 को हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के श्री सुधाकर सिंह को 8 सितंबर 2023 को घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

उत्तराखंड

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 05 सितंबर, 2023 को हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की श्रीमती पार्वती दास को 8 सितंबर, 2023 को बागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

पश्चिम बंगाल

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 05 सितंबर, 2023 को हुए उपचुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के श्री निर्मल चंद्र रॉय को 8 सितंबर, 2023 को धुपगुड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

कम्बोडिया

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहणः 22 अगस्त, 2023 को श्री हुन मानेट ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

पूर्वी तिमोर

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 1 जुलाई, 2023 को श्री ज़ाना गुसमाओ ने पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

गैबॉन

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 4 सितंबर, 2023 को जनरल ब्राइस क्लोटेयर ओलिगुई न्गुएमा ने गैबॉन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

पाकिस्तान

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 14 अगस्त, 2023 को श्री अनवार-उल-हक काकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की ।

सिंगापुर

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 14 सितंबर, 2023 को श्री थरमन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

थाईलैंड

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 23 अगस्त, 2023 को श्री रेथा थाविसिन ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

उज़्बेकिस्तान

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 14 जुलाई, 2023 को श्री शौकत मिर्ज़ियोयेव ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की ।

वानुअतु

नए प्रधानमंत्री का निर्वाचन: 4 सितंबर, 2023 को श्री सातो किलमैन को वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया।

ज़िम्बाब्वे

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 4 सितंबर, 2023 को श्री एमर्सन मनांगाग्वा ने दूसरे कार्यकाल के लिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

संवैधानिक और संसदीय रुचि के महत्वपूर्ण प्रलेख

[इस खंड में 1 जुलाई, 2023 - 30 सितंबर, 2023 की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा (संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद) स्वीकृत कुछ महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं ।]

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) (अधिनियम) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबद्ध विषयों के विनियमन का उपबंध करने के लिए विनियमित किया गया था ।

अधिनियम को उसके प्रारंभ से अब तक संशोधित नहीं किया गया है । इसके प्रचालन की अवधि के दौरान सामाजिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकीय विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए और इसे नागरिकों के अधीन अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है । राज्य सरकारों, साधारण जन और अन्य पणधारियों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर अधिनियम, जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्ररूप में है, के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना प्रस्तावित है ।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ-साथ—

(i) अधिकांशत: पब्लिक के फायदे के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के डिजीटल रजिस्ट्रीकरण और इलेक्ट्रॉनिक परिदान के लिए उपबंध अंत:स्थापित करने का उपबंध करता है;

(ii) रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डाटा बेस तैयार करने, जो अन्य डाटा बेसों को अद्यतन करने में सहायता प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पब्लिक सेवाओं और सामाजिक फायदों के दक्ष और पारदर्शी परिदान के रूप में होगा, का उपबंध करता है;

(iii) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारंभ की तारीख को

या उसके पश्चात् जन्मे किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिले, चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाइसेंस) जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह रजिस्ट्रीकरण, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी कानूनी या स्वायत्त निकाय में किसी पद पर नियुक्ति करने, पासपोर्ट जारी करने, कोई आधार नंबर जारी करने तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सुविधा में वृद्धि करने और देश में जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए, दस्तावेजों की बहुलता से बचने के लिए जन्म प्रमाणपत्र के उपयोग का उपबंध करने का उपबंध करता है;

(iv) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से आदेश करने वाले प्राधिकारी को परिवर्तित करके जिला मजिस्ट्रेट या उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी जन्म या मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को विलंबित सूचना की दशा में प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को करना और तीस दिन के पश्चात् किंतु एक वर्ष के भीतर किसी जन्म या मृत्यु की विलंबित सूचना की दशा में नोटरी पब्लिक के समक्ष किसी शपथ-पत्र के स्थान पर स्वत: प्रमाणित दस्तावेज को प्रस्तुत करने का उपबंध करता है;

(v) दत्तक ग्रहण किए, अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, सरोगेट बालक और एकल माता-पिता या अविवाहित माता से बालक के रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सुकर बनाने का उपबंध करता है;

(vi) सभी चिकित्सा संस्थाओं से मृत्यु के कारण का रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने को आज्ञापक बनाने और उसकी एक प्रति सबसे नजदीकी नातेदार को उपलब्ध कराने का उपबंध करता है ;

(vii) किसी आपदा या महामारी में मृत्यु के त्वरित रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विशेष “उप रजिस्ट्रार” की नियुक्ति का उपबंध करता है;

(viii) जन्म रजिस्ट्रीकरण की दशा में माता-पिता और सूचना प्रदान करने वाले के आधार नंबर, यदि उपलब्ध हों, को संग्रहित करने का उपबंध करता है;

(ix) रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार की किसी कार्रवाई या आदेश से व्यथित साधारण जन की शिकायतों को दूर करने का उपबंध करता है; और

(x) अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में वृद्धि करने का उपबंध करता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को क्रमशः 1 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 11 अगस्त 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

उपर्युक्त अधिनियम का पाठ निम्नवत् है:

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. कतिपय अभिव्यक्तियों द्वारा कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन: संपूर्ण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "महारजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वह आता है, "भारत के महारजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 2 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (कख) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "आधार संख्या" का वही अर्थ होगा जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की

धारा 2 के खंड (क) में है;

(कक) "दत्तक ग्रहण" का वही अर्थ होगा जो उसका किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (2) में है;';

(ii) खंड (ख) को उसके खंड (खक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (खक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "डाटाबेस" से डाटा का संगठित संग्रहण अभिप्रेत है जिसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित और एक्सेस किया जाता है;'।

4. धारा 3 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "भारत का महारजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "भारत के महारजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में "महारजिस्ट्रार—भारत" शब्दों के स्थान पर "भारत के महारजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) में "साधारण निर्देश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात् "तथा रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का डाटाबेस" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) भारत के महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय स्तर पर एक डाटाबेस का अनुरक्षण करेगा और मुख्य रजिस्ट्रारों और रजिस्ट्रारों के लिए रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डाटा को ऐसे डाटा बेस के साथ साझा करना आज्ञापक होगा।

(5) धारा 17 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (4) के अधीन अनुरक्षित रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डाटाबेस को, अनुरोध किए जाने पर, निम्नलिखित से संबंधित डाटाबेस तैयार करने या अनुरक्षण करने से, व्यौहार करने वाले प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकेगा—

(क) जनसंख्या रजिस्टर;

(ख) निर्वाचक नामावलियां;

(ग) आधार संख्या;

(घ) राशन कार्ड;

(ङ) पासपोर्ट;

(च) चालन अनुज्ञप्ति;

(छ) संपत्ति रजिस्ट्रीकरण; और

(ज) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अन्य डाटाबेस, जैसा उसके द्वारा अधिसूचित किया जाए, और प्राधिकारी, समुचित कार्यवाही करने के पश्चात्, केंद्रीय सरकार को, ऐसी अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परंतु खंड (ख) में निर्वाचक नामावलियों से संबंधित डाटाबेस को तैयार करना या अनुरक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा।"

5. धारा 4 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(5) मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मत्यु को रजिस्टर करने के लिए कदम उठाएगा और भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा यथा अनुमोदित पोर्टल का उपयोग करके राज्य स्तर पर रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के एकीकृत डाटाबेस का अनुरक्षण करेगा।

(6) धारा 17 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, राज्य स्तर पर उपधारा (5) के अधीन अनुरक्षित रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डाटाबेस को राज्य स्तर पर अन्य डाटाबेस से, व्यौहार करने वाले प्राधिकरण को उपलब्ध करा सकेगा और प्राधिकारी, समुचित कार्यवाही करने के पश्चात्, राज्य सरकार को, ऐसे अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परंतु निर्वाचक नामावलियों से संबंधित डाटाबेस को तैयार करना या उसका

अनुरक्षण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा।"

6. धारा 7 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "नाम के बिना" शब्दों के पश्चात् ", इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या अन्यथा," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) "धारा 9 के अधीन" शब्दों और अंक के पश्चात् "उसके अधिकार क्षेत्र में हुए जन्म और मृत्यु के संबंध में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में,—

(क) "उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और" शब्दों के स्थान पर "उप रजिस्ट्रार और किसी आपदा या महामारी की दशा में विशेष उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) "आपदा" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में है;

(ii) "महामारी" पद से महामारी अधिनियम, 1897 में निर्दिष्ट महामारी अभिप्रेत है।"

7. धारा 8 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में,—

(क) "मौखिक या लिखित रूप में" शब्दों के स्थान पर "मौखिक या अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "विभिन्न विशिष्टियों" शब्दों के पश्चात्, "जिसके अंतर्गत जन्म की दशा में माता-पिता और सूचनादाता की आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "पुरुष" शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(कक) गैर-सांस्थानिक दत्तक ग्रहण के संबंध में दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता;

(कख) एकल माता-पिता या अविवाहित माता से उसके गर्भाशय से जन्में किसी बालक के संबंध में, माता-पिता;

(कग) सेरोगेसी के माध्यम से किसी बालक के जन्म के संबंध में, जैविक माता-पिता;"

(iv) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(घक) किसी बालक के संबंध में, जिसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से दत्तक ग्रहण पर लिया गया है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का भारसाधक व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड 57 में है;

(घख) किसी बालक देखरेख संस्था में किसी अनाथ या परित्यक्त बालक या अभ्यर्पित बालक के संबंध में बालक देखरेख संस्था का भारसाधक व्यक्ति या अभिरक्षक ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "परित्यक्त बालक" या "बालक देखरेख संस्था" या "अनाथ" या "अभ्यर्पित बालक" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (1), खंड (21), खंड (42) और खंड (60) में है;

(घग) किसी सेरोगेसी क्लीनिक में, सेरोगेसी के माध्यम से किसी बालक के जन्म के संबंध में सेरोगेसी क्लीनिक का भारसाधक व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सेरोगेसी" और "सेरोगेसी क्लीनिक" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः सेरोगेसी विनियमन अधिनिययम, 2021 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यघ) और खंड (यङ) में है;"।

8. धारा 10 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) जहां मृत्यु किसी विशिष्ट उपचार या साधारण उपचार उपलब्ध कराने वाली किसी चिकित्सा संस्था में होती है, स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना, प्रत्येक ऐसी संस्था के चिकित्सा व्यवसायी, जिसने अंतिम बीमारी के दौरान उस व्यक्ति की परिचर्या की थी, द्वारा हस्ताक्षरित मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, मुफ्त उपलब्ध कराएगी और ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति को निकटतम नातेदार को उपलब्ध कराएगी।

(3) किसी चिकित्सा संस्था से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में और ऐसे व्यक्ति की उसकी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परिचर्या की गई थी, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल ऐसा चिकित्सा व्यवसायी मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यक्ति को मुफ्त जारी करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देने के लिए अपेक्षित हो और ऐसा व्यक्ति, प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षानुसार मृत्यु की इत्तिला देते समय उसे रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा।"

9. धारा 11 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 11 में, "इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है" शब्दों के स्थान पर "इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और यदि वह लिख नहीं सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन: मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"12. रजिस्ट्रार, जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, तुरंत पश्चात् किंतु सात दिन के अपश्चात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अपने हस्ताक्षराधीन, ऐसे जन्म या मृत्यु से संबंधित अपने रजिस्टर से उद्धृत प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मुफ्त देगा।"

11. धारा 13 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

'(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के तीस दिन के पश्चात किन्तु

एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह जिला रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में जो विहित की जाए, स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(3) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात्, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले एक जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर, और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है।'

12. धारा 16 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में "जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा" शब्दों के स्थान पर "जन्म और मृत्यु का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, रजिस्टर रखेगा" शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 17 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) ऐसे रजिस्टर में से, ऐसे प्ररूप और रीति में जारी किया जाएगा जो विहित की जाए, जन्म या मृत्यु का कोई प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिप्राप्त कर सकेगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु संबंधी कोई प्रमाणपत्र, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा ।

(ii) उपधारा (2) में "उद्धरण" शब्द दोनों स्थानों पर जहां आता है, के स्थान पर "प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 12 या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, किसी व्यक्ति के, जिसने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् जन्म लिया है, जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा,—

(क) शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश;

(ख) चालन अनुज्ञप्ति जारी करना;

(ग) मतदाता सूची तैयार करना;

(घ) विवाह का रजिस्ट्रीकरण;

(ङ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी कानूनी निकाय या स्वायत्त निकाय में किसी पद पर नियुक्ति;

(च) पासपोर्ट जारी करना;

(छ) आधार संख्या जारी करना; और

(ज) कोई अन्य प्रयोजन जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।"

14. धारा 17 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 18 में, "जिला रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 23 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "कोई व्यक्ति जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति जो, उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय," शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने" शब्दों के स्थान पर,"यथास्थिति, अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने या हस्ताक्षर करने" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) दीर्घ पंक्ति में,"पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जो कोई धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (घक), खंड (घख), खंड (घग) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो,—

(क) ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; या

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिखे जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है; या

(ग) धारा 11 अधीन अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने या हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा, प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) "अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में" शब्दों के पश्चात् "या धारा 12 के अधीन इत्तिला देने वाले को कोई प्रमाणपत्र देने में" शब्द और अंक अंत:स्थाापित किए जाएंगे;

(ii) "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में या देने में उपेक्षा या उससे इंकार करेगा या कोई व्यक्ति जो ऐसे प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार को परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इंकार करेगा वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।";

(ङ) उपधारा (4) में,—

(i) "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "कोई व्यक्ति जो, उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) "दस रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4क) उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।";

(छ) उपधारा (5) में "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

16. धारा 24 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में "किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"किसी व्यक्ति से,—

(क) धारा 23 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर दो सौ पचास रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा;

(ख) जो धारा 23 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट है, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में एक हजार रुपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा ।"

17. नई धारा 25क का अंत:स्थापन: मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"**25क. अपील:** (1) कोई व्यक्ति जो,—

(i) रजिस्ट्रार के किसी आदेश या कार्रवाई से व्यथित है, वह जिला रजिस्ट्रार को; या

(ii) जिला रजिस्ट्रार के किसी आदेश या कार्रवाई से व्यथित है, वह मुख्य रजिस्ट्रार को, यथास्थिति ऐसे आदेश की प्राप्ति या ऐसी कार्रवाई की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर

ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए अपील कर सकेगा;

(2) ऐसी अपील प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति, जिला रजिस्ट्रार या मुख्यि रजिस्ट्रार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील का विनिश्चय करेगा ।" ।

18. धारा 30 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में,—

(i) खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(ङ) वह प्ररूप और रीति जिनमें धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र दिया जाएगा;

(च) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह प्राधिकारी जो किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा और स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति;";

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(छक) वह प्ररूप और रीति जिसमें जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अभिप्राप्त किया जा सकेगा;

(छख) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ";

(iii) खंड (i) में, "उद्धरण" शब्द के स्थान पर, "प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 विधान सभा से संबंधित संविधान के उपबंधों को अनुपूरक करने और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए मंत्री परिषद् और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

भारत की राजधानी दिल्ली होने के कारण इसका प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 क क दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विशेष उपबंधों के लिए प्रावधान करता है । उक्त अनुच्छेद, उक्त अनुच्छेद के खंड (3) के उपखंड (ख) और खंड (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन साधारण और विशिष्ट रूप से दिल्ली के प्रशासन से संबंधित कार्यों में संघ सरकार की भागीदारी को संतुलित बनाने वाले विभिन्न क्रियात्मक और प्रशासनिक नेटवर्क संबंधी मुद्दों के लिए प्रावधान करता है । विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और प्राधिकारी जैसे राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक कृत्यकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, आदि दिल्ली में अवस्थित हैं और अन्य राष्ट्रों से उच्च पदस्थ दिल्ली में आधिकारिक दौरा करते हैं और यह राष्ट्रहित में है कि उच्च-स्तरीय संभव मानक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन और शासन में बनाए रखे जाने चाहिए।

दिल्ली के संबंध में लिया गया कोई विनिश्चय न केवल दिल्ली के नागरिकों को प्रभावित करता है बल्कि संपूर्ण देश को प्रभावित करता है और इसमें राष्ट्रीय ख्याति, छवि, साख और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में दाव पर लगाने की संभावना होती है और इसलिए संपूर्ण देश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के शासन में महत्वपूर्ण रूप से दिलचस्पी रखता है । दिल्ली के भारत की राजधानी होने के नाते इसकी एक विशिष्ट प्रास्थिति और कतिपय सुभिन्न विशेषताएं तथा दिल्ली के निवासियों की आकांक्षाओं से समझौता किए बिना राष्ट्रीय हितों को संवर्धन करने की आवश्यकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के राज्यक्षेत्र, जो राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से मिलकर बना है, को परिभाषित करता है तथा अनुच्छेद 239 के साथ पठित अनुच्छेद 1 उपबंध करता है कि संघ राज्यक्षेत्रों को केवल राष्ट्रपति द्वारा शासित किया जाएगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 में यथाअंतर्विष्ट "सेवाएं" पर संसदीय विधान की अनुपस्थिति से माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र में "सेवाएं" विषय से संबंधित निर्देश पर विचार किया और उसने 11 मई, 2023 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र बनाम भारत संघ के मामले में 2017 की सी.ए. संख्या 2357 में निर्णय पारित किया।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विशेष प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के संयुक्त और सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को उपदर्शित करने के लिए स्थानीय राष्ट्रीय हितों, दोनों का संतुलन बनाने के लिए संसदीय विधान द्वारा शासन करने की एक स्कीम की विरचना की जानी है।

संविधान के अनुच्छेद 239कक के उपबंधों के आशय और प्रयोजन को प्रभावी करने की दृष्टि से स्थानांतरण तैनातियों, सतर्कता और अन्य मुद्दों से संबंधित विषयों पर उप-राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए, मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इससे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के साथ केंद्रीय सरकार में निहित लोगों की इच्छाओं के प्रकटीकरण में राजधानी के प्रशासन में दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के हित के साथ राष्ट्र के हित का संतुलन होगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) में संशोधनों का उपबंध करता है—

(क) "उप-राज्यपाल" और मंत्री, पदों को परिभाषित करना,

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के शासन में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक संतुलन को बनाए रखने से संबंधित अधिनियम में नए भाग 4-क को अंतःस्थापित करना, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है—

(i) भाग 4-क में प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करना;

(ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग;

(iii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के कार्यों, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं के कार्य, निबंधन और अन्य शर्तें शामिल हैं, से संबंधित नियमों को बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करना;

(iv) राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन, प्राधिकारियों की शक्तियां और कार्य तथा अन्य आनुषंगिक मामले;

(ग) अधिनियम में अंतः स्थापित किए गए नये भाग 4-क के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न किन्हीं कठिनाइयों की दशा में राष्ट्रपतीय आदेश के द्वारा कठिनाइयों को दूर करना; और

(घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को निरस्त करना।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रमशः 03 अगस्त, 2023 और 07 अगस्त, 2023 को लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 11 अगस्त, 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त अधिनियम का पाठ नीचे दिया गया है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,1991 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह 19 मई, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,1991 (इसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ङक) "उप-राज्यपाल" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है और जिसे राष्ट्रपति द्वारा उप-राज्यपाल के रूप में पदाभिहित किया गया है;

(ङख) "मंत्री" से संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (4) में निर्दिष्ट मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो और इसमें उप मंत्री भी सम्मिलित हैं ।

3. धारा 41 का संशोधन: मूल अधिनियम की धारा 41 में—

(अ) पार्श्व शीर्ष में "वे विषय जिसमें उप-राज्यपाल स्वविवेकानुसार कार्य करेगा" शब्दों के स्थान पर "वे विषय जिसमें उप-राज्यपाल केवल स्वविवेकानुसार कार्य करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) उपधारा (1) में,—

(क) आरंभिक पैरा में "उप-राज्यपाल किसी ऐसे मामले में स्वविवेकानुसार कार्य करेगा" शब्दों के स्थान पर "उप-राज्यपाल किसी ऐसे मामले में केवल स्वविवेकानुसार कार्य करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "या" शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(इ) उपधारा (2) में, "कोई विषय ऐसा है या नहीं" शब्दों के स्थान पर "किसी ऐसे विषय के मामले में" शब्द रखे जाएंगे ।

4. नए भाग 4क का अंतःस्थापन: मूल अधिनियम में भाग-4 के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'भाग 4क'

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के शासन में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने से संबंधित उपबंध

45क. परिभाषाएं: इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अखिल भारतीय सेवाएं" से, भारतीय पुलिस सेवा के सिवाय, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन सृजित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से धारा 45ङ की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी

सिविल सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 45ङ की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "मुख्य सचिव" से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है;

(ङ) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (4) में निर्दिष्ट मंत्रिपरिषद् अभिप्रेत है;

(च) "दानिक्स" से दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली (सिविल) सेवाएं अभिप्रेत हैं;

(छ) "दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा उसके संकल्प संख्या एफ. 3(24)/डीएसएसएसबी/2008-एस.III/1764 तारीख 12 मई, 2008 के साथ पठित संकल्प संख्या फा. 3(7)/93-एस.III, तारीख 4 अक्तूबर,1996 द्वारा गठित दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ज) "विभाग" से दिल्ली कारबार (आबंटन) नियम,1993 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभाग या कार्यालय अभिप्रेत है;

(झ) "समूह 'क' अधिकारी" से, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के कार्यों में सेवारत ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं—

(क) जो सिवाय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है;

(ख) जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन समूह 'क' के अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत हैं,

किंतु उसमें ऐसे अधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे, जो किसी विषय-वस्तु के संबंध में सेवारत हैं, चाहे वह संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 तथा संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से, जहां तक उनका संबंध प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है,

या कोई अन्य विषय-वस्तु, जो उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक है, पूर्णतः या भागतः संसक्त है;

(ञ) "समूह 'ख' पदधारी" से, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम,1965 के नियम 4 अधीन इस प्रकार वर्गीकृत समूह "ख" पदधारी अभिप्रेत हैं, किंतु उसमें ऐसे अधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे, जो किसी विषय-वस्तु के संबंध में सेवारत हैं चाहे वह संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 तथा संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से, जहां तक उनका संबंध प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, या कोई अन्य विषय-वस्तु, जो उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक है, पूर्णतः या भागतः संसक्त है;

(ट) "समूह 'ग' पदधारी" से, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम,1965 के नियम 4 अधीन इस प्रकार वर्गीकृत समूह "ग" पदधारी अभिप्रेत हैं, किंतु उसमें ऐसे अधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे, जो किसी विषय-वस्तु के संबंध में सेवारत हैं चाहे वह संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 तथा संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से, जहां तक उनका संबंध प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, या कोई अन्य विषय-वस्तु, जो उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक है, पूर्णतः या भागतः संसक्त है;

(ठ) "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (1) में यथापरिभाषित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और उसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;

(ढ) "मुख्य गृह सचिव" से यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव अभिप्रेत है, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के संबद्ध विभाग का प्रमुख हो;

(ण) "सचिव" से, यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव अभिप्रेत है, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के संबद्ध विभाग का प्रमुख हो।

45ख. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग: (1) दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र में समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पदों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग होगा।

(2) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में समूह 'ख' अराजपत्रित और समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती अभिकरण, दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड होगा।

45ग. इस भाग के अधीन नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति: केन्द्रीय सरकार, इस भाग के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के कार्यों के संबंध में, निम्नलिखित किसी एक या अधिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु नियम बना सकेगी, अर्थात्:

(क) नियुक्त किए गए या पदस्थ किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की पदावधि, वेतन और भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, अनुपस्थिति के लिए छुट्टी और सेवाओं की अन्य शर्तें;

(ख) नियुक्त किए गए या पदस्थ किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य;

(ग) पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं और नियुक्ति के लिए चयन की रीति;

(घ) पदस्थापित किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का स्थानांतरण या पदस्थापन;

(ङ) शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशरण की जाने वाली प्रक्रिया, ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने से पहले विभागीय जांच के लंबित रहते निलंबन और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा निलंबन या शास्ति का आदेश किया जा सकता है और अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष अपील या पुनरीक्षण किया जाएगा;

(च) कोई अन्य विषय, जो सेवाओं और पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए आनुषंगिक या आवश्यक हो; और

(छ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए, केन्द्रीय सरकार की राय में, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

45घ. प्राधिकरणों, बोर्डों, आयोगों या कानूनी निकायों की नियुक्ति की शक्ति: तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भीः-

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर लागू, संसद द्वारा तत्समय प्रवृत बनाई गई किन्हीं विधियों के अधीन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में और उसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, कोई प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या कोई कानूनी निकाय या नियुक्त किए गए उनके कोई कार्यालय वाहक या सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा गठित या नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; और

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर लागू, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधान सभा द्वारा तत्समय प्रवृत किन्हीं विधियों के अधीन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में और उसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, कोई प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या कोई कानूनी निकाय या नियुक्त किए गए उनके कोई कार्यालय वाहक या सदस्य के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, धारा 45ज के उपबंधों के अनुसार, उप-राज्यपाल द्वारा गठन या नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगा।

45ङ. राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन: (1) राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के रूप मे ज्ञात एक प्राधिकरण उसे इस भाग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) मुख्यमंत्री, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार, जो प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार, पदेन; और

(ग) मुख्य गृह सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार, जो प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा, पदेन।

(3) प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे।

(4) प्राधिकरण की सभी सिफारिशें सदस्य-सचिव द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

(5) प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

45च. राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठकें: (1) राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, अपनी बैठकें ऐसे समय और स्थान पर, जो सदस्य-सचिव, प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से विनिश्चित करे, जब इस प्रकार अपेक्षित हो, आयोजित करेगा।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की बैठकों के लिए गणपूर्ति दो सदस्यों से मिलकर होगी।

45छ. राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति: (क) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से, उसके कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग का अवधारण करेगी तथा प्राधिकरण को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह उपयुक्त समझे।

(2) प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, प्राधिकरण के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन करेंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की शर्तें, केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा बनाएगी।

45ज. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य: (1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण का, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के कार्यों में सेवारत समूह 'क' अधिकारियों और दानिक्स के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश करने का उत्तरदायित्व होगा, किंतु ऐसे अधिकारियों के लिए नहीं, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66, जहां तक उनका संबंध प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 या कोई अन्य विषय-वस्तु, जो उनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक है, से या तो पूर्णतः या भागतः संबंद्ध किसी विषय-वस्तु के संबंध में सेवारत हैं;

परन्तु प्राधिकरण, यदि ऐसा करना समुचित समझे, सिफारिशों के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के किसी अन्य प्राधिकरण या विभाग को उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के कार्यों में सेवारत सभी समूह 'क' अधिकारियों, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं और दानिक्स के अधिकारी भी हैं, के विरुद्ध सुसंगत संवैधानिक या कानूनी उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने और अभियोजन स्वीकृतियां प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए सतर्कता और गैर-सतर्कता मामलों की विषय-वस्तु से संबंधित और उसके अधीन आने वाले सभी मामलों के लिए, उपराज्यपाल को सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी होगा, किंतु ऐसे अधिकारियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 जहां तक उनका संबंध प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 या कोई अन्य विषय-वस्तु, जो उनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक है, से या तो पूर्णतः या भागतः संबंध संबद्ध किसी विषय-वस्तु के संबंध में सेवारत है:

परंतु प्राधिकरण, यदि वह उचित समझे, सिफारिश द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के मामलों में सेवा करने वाले ऐसे अधिकारियों के संबध में उत्तरदायित्व, अखिल भारतीय सेवाओं के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) उपराज्यपाल, इस धारा की उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन ऐसी सिफारिश की प्राप्ति के पश्चात, की गई सिफारिश को प्रभावी करने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु उपराज्यपाल, ऐसी सिफारिश पर, समुचित आदेशों को पारित करने से पूर्व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के मामलों में सेवा करने वाले समूह के अधिकारियों, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं तथा दानिक्स के अधिकारी भी हैं, से संबंधित कोई सुसंगत सामग्री मांग सकेगा:

परंतु यह और कि यदि उपराज्यपाल की गई सिफारिश से मत भिन्नता रखता है, चाहे वह इस प्रकार मांगी गई सामग्री के आधार पर हो या अन्यथा, तो उपराज्यपाल, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्राधिकरण की सिफारिश को प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगाः

परंतु यह भी कि राय की मत भिन्नता की दशा में, उपराज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण—

(क) उपराज्यपाल को निम्नलिखित के लिए नीतियां विरचित करने हेतु सिफारिश करेगा—

(i) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की तैनाती की अवधि की स्थिरता;

(ii) संवेदनशील पदों से गैर-संवेदनशील पदों पर और विपर्ययेन चक्रानुक्रम स्थानांतरण और तैनाती;

(iii) विभाग प्रमुख के रूप में तैनाती के लिए अधिकारी की उपयुक्तता का अवधारण;

(iv) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के मामलों में सेवा करने वाले सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती;

(ख) नीति बनाएगा, जहां तक इसका संबंध निम्नलिखित से है,—

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के मामलों में सेवा करने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण;

(ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन में लोक सेवाओं के परिदान में प्रभावकारिता सुनिश्चित करना;

(iii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन में लोक प्रशासन में सुशासन और ई-शासन सुनिश्चित करना;

(iv) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(v) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन में नागरिक केन्द्रित प्रशासन की उपस्थिति सुनिश्चित करना; और

(vi) उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक कोई अन्य विषय ।

45झ. मंत्री द्वारा मामलों का निपटारा: (1) भारसाधक मंत्री, स्थायी आदेशों द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह उसके विभाग में प्रस्तावों या मामलों के निपटारे के लिए ठीक समझे:

परंतु ऐसा कोई स्थायी आदेश, संविधान के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियम या पदधारियों को किसी विधि के अधीन प्रदत कानूनी शक्तियों या वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के अधीन प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां के उपबंध भी हैं, के उल्लंघन में जारी नहीं किया जाएगा।

(2) मंत्री, संबंधित सचिव के परामर्श से, ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों, जो मंत्री की व्यक्तिगत जानकारी में लाए जाते हैं, से संबंधित स्थायी आदेश जारी कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई स्थायी आदेश, संविधान के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियम या पदधारियों को किसी विधि के अधीन प्रदत्त कानूनी शक्तियां और वितीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के अधीन प्रत्यायोजित वितीय शक्तियां भी हैं, के उल्लंघन में जारी नहीं किया जाएगा।

(3) निदेशों और स्थायी आदेशों की प्रतियां, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को अग्रेषित की जाएंगी ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उपराज्यपाल के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रस्तावों या विषयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रस्ताव या विषय, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन पर कोई आदेश जारी करने से पूर्व उपराज्यपाल को उनकी राय के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) वे विषय, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की शान्ति और प्रशान्ति को प्रभावित करते हैं या प्रभावित होना संभाव्य है;

(ii) वे विषय, जो किसी विशेष समुदाय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग के हित को

प्रभावित करते हैं या प्रभावित होना संभाव्य है;

(iii) वे विषय, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के संबंधों को केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय और ऐसे अन्य प्राधिकरणों, जो अवधारित किए जाएं, के साथ संबंधों को प्रभावित करते हैं;

(iv) उपराज्यपाल के सचिवालय और उसके कार्यालय से संबंधित व्यक्तिगत स्थापन और अन्य मामलों से संबंधित विषय;

(v) वे विषय, जिन पर उपराज्यपाल से उसके पूर्ण विवेक में किसी विधि या लिखत के अधीन आदेश करना अपेक्षित है;

(vi) धारा 44 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट विषय;

(vii) मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों से अन्य महत्वपूर्ण मामलों में दया यचिकाएं, जिनमें न्यायिक दंडादेश के किसी पुनरीक्षण की सिफारिश करने का प्रस्ताव है;

(viii) विधान सभा आहूत करने, सत्रावसान करने और उसका विघटन करने, विधान सभा, स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में निर्वाचन के समय निर्वाचकों की निरर्हता को दूर करने तथा उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित विषय; और

(ix) प्रशासनिक महत्व का कोई अन्य विषय, जो मुख्यमंत्री आवश्यक समझे।

45ञ. सचिवों के कर्तव्य: (1) संबंधित विभाग का सचिव, मंत्रिपरिषद् के विचार के लिए तथा भारसाधक मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक ज्ञापन, जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल टिप्पण भी हैं, तैयार करने और अधिप्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) ऐसे प्रस्तावों की दशा में, जिसमें एक से अधिक विभाग अंतर्वलित हैं, प्रस्ताव पर परामर्श किए गए सभी विभागों के सभी संबंधित सचिवों के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से और पृथक् रूप से लिखित में दर्शित किया जाएगा और ज्ञापन को मंत्री और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि असहमति की दशा में, मंत्रिपरिषद विनिश्चय करेगी।

(3) मंत्रिपरिषद के सचिव की यह राय होने की दशा में कि मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया और विनिश्चय किया गया प्रस्ताव, तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों या धारा 44 के अधीन बनाए गए किन्हीं प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं है, तो उस पर विनिश्चय करने के लिए उपराज्यपाल की जानकारी में इसे लाना मंत्रिपरिषद के सचिव का कर्तव्य होगा।

(4) कोई विषय, जिनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन को, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायलय और ऐसे अन्य प्राधिकरणों जो अवधारित किए जाएं, के साथ विवाद की संभावना है, तो संबंधित विभाग का सचिव, यथासंभव शीघ्र इसे लिखित में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की जानकारी में लाएगा।

(5) मुख्य सचिव और संबंधित विभाग का सचिव, इस अधिनियम के उपबंधों तथा धारा 44 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे और जब उनमें से कोई एक यह विचार करता है कि इससे तात्त्विक विचलन हो गया है तो ऐसे विचलन को प्रभावी करने के बजाए वह इसे तुरंत लिखित में व्यक्तिगत रूप से भारसाधक मंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की जानकारी में लाएगा।

45ट. नियम बनाने की शक्ति: (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस भाग के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए थे, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभाव हो जाएंगे; तथापि ऐसे उपांतरित या निष्प्रभावी होने से उस नियम के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति: (1) यदि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा यथा अन्तःस्थापित मूल अधिनियम के भाग 4क के

उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा यथा अन्तःस्थापित मूल अधिनियम के भाग 4क के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

6. निरसन और व्यावृत्ति: (1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधन मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करने के पश्चात्, राष्ट्र ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के ध्येय के साथ अमृतकाल में अपनी यात्रा आरंभ की है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना में समाज के सभी वर्गों का योगदान अपेक्षित है। महिलाएं, जो जनसंख्या का आधा भाग हैं, की भूमिका इस ध्येय को प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार ने, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण के माध्यम से "नारी शक्ति" को अग्रिम मोर्चे पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनका परिणाम महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य तक समान पहुंच की उपलब्धता में सारवान रूप से सुधार के रूप में हुआ है। सरकार ने, विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अधीन शौचालयों तक पहुंच, मुद्रा योजना आदि के माध्यम से वित्तीय समाविष्टता भी है,

'जीवनयापन की सुगमता' पर भी बल दिया है। यद्यपि, महिलाओं के सही सशक्तिकरण के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है क्योंकि वे एक विभिन्न दृष्टिकोण लाती हैं और विधायी चर्चाओं और निर्णय करने की गुणवता को समृद्ध करती हैं।

3. जब महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निकायों में सारवान रूप से भाग लेती हैं, उनका राज्य विधान मंडलों के साथ संसद में भी प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के उच्चतर प्रतिनिधित्व का उपबंध करने की मांग काफी समय से लंबित है। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लाने के अनेक प्रयास हुए हैं। ऐसा अंतिम प्रयास वर्ष 2010 में तब किया गया था जब राज्य सभा ने महिलाओं के आरक्षण के लिए एक विधेयक पारित किया था किंतु इसे लोक सभा में पारित नहीं किया जा सका।

4. लोक प्रतिनिधियों के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने में महिलाओं की अधिक भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांविधानिक संशोधन करने के लिए एक नए विधान को पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया, जिससे लोक सभा, प्रत्येक राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा में कुल स्थानों में यथाशक्य एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध किया जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 को क्रमशः सितंबर 2023 और 21 सितंबर 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 28 सितंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

उपर्युक्त अधिनियम का पाठ निम्नवत् है:

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) विधेयक, 2023

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. अनुच्छेद 239 कक का संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(खग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।"

3. नए अनुच्छेद 330क का अंतःस्थापन: संविधान के अनुच्छेद 330 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"330क. लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण: (1) लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) लोक सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।"

4. नए अनुच्छेद 332क का अंतःस्थापन: संविधान के अनुच्छेद 332 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"332क. राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण: (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।"

5. नए अनुच्छेद 334क का अतःस्थापन: संविधान के अनुच्छेद 334 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"334क. महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना: (1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तारीख तक, जो संसद, विधि

द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।

(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम प्रत्येक पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा अवधारित करे।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।"

6. संशोधन का लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में आरक्षण को प्रभावित न करना: संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में किए गए संशोधन, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में उक्त अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेंगे, जब तक, यथास्थिति, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

सत्रीय समीक्षा

सत्रहवीं लोक सभा

बारहवां सत्र

सत्रहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र 20 जुलाई 2023 को प्रारंभ हुआ और 11 अगस्त 2023 को सत्रावसान हुआ।

इस सत्र के दौरान, सदन की कार्यवाही 44 घंटे और 17 मिनट चली जिसकी कुल 17 बैठकों में महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य किए गए। सूचीबद्ध कार्य का निपटान करने हेतु सदन की कार्यवाही देर रात तक 7 घंटे 41 मिनट तक चली। 12वें सत्र के दौरान 46 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन हुआ। सत्रहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही कई बार बाधित और स्थगित हुई, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही 59 घंटे और 35 मिनट तक बाधित रही। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 अगस्त 2023 को सभा का सत्रावसान कर दिया गया।

बारहवें सत्र के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं और किए गए कार्यों का सार नीचे दिया गया है।

चर्चा/वक्तव्य

मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा: 8, 9 और 10 अगस्त 2023 को मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा से पहले, 26 जुलाई 2023 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि उन्हें नियम 198 के अन्तर्गत श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य से मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में यह वर्णित है,' कि यह सदन मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। इसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव की अनुमति का समर्थन करने वाले सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध किया। प्रस्ताव का 50 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा समर्थन किए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने की घोषणा की।

सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री गौरव गोगोई (आईएनसी) ने कहा कि 'आई. एन.डी.आई.ए. गठबंधन' द्वारा मणिपुर के युवाओं, बेटियों, किसानों और छात्रों हेतु न्याय की मांग करते हुए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मणिपुर में होने वाली घटनाओं के दूरगामी परिणाम सम्पूर्ण भारत में देखे जा सकते हैं। गठबंधन द्वारा की गई मांगों के संबंध में, उन्होंने सुझाव दिया कि माननीय प्रधानमंत्री को देश के प्रमुख होने के नाते सदन को संबोधित करना चाहिए और अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने यह तर्क दिया कि इससे मणिपुर को एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि दुख की इस घड़ी में पूरा सदन उनके साथ खड़ा है और वे सामूहिक रूप से मणिपुर में शांति की बहाली चाहते हैं। श्री गोगोई ने यह जानना चाहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आज तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया गया और लगभग 80 दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् भी उन्होंने मणिपुर की घटना के संबंध कोई वक्तव्य क्यों नहीं दिया है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपदस्थ क्यों नहीं किया। मणिपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 5000 घरों को आग लगा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 60,000 लोग शिविरों में रह रहे हैं, और लगभग 6,500 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। श्री गोगोई ने यह विचार व्यक्त किया कि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनके द्वारा संवाद, शांति और सद्भावना का माहौल तैयार किया जाना चाहिए था मगर आज तक ऐसा माहौल तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति में, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है, और यहां तक कि धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया है। वहां इंटरनेट सुविधा बहाल नहीं की गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। श्री गोगोई ने कहा कि पांच हजार से अधिक लोगों के हाथों में हथियार हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में जांच समिति का गठन साबित करता है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री और सरकार द्वारा की गई किसी भी शांति पहल का सभी द्वारा समर्थन किया जायेगा। इंडिया अलायंस की ओर से उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में आने और अपने विचार व्यक्त करने; सभी दलों के साथ मणिपुर का दौरा करने; और मणिपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत के माध्यम से शांति बहाली हेतु पहल करने का अनुरोध किया ।

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, डॉ. निशिकांत दुबे (भाजपा) ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पश्चात् संथाल परगना क्षेत्र में साहिबगंज पुल का निर्माण हो रहा है। देश में खानों और खनिजों की अधिकतम उपलब्धता झारखंड में है। इसके विपरीत, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,

विस्थापन और पलायन के सबसे ज्यादा मामले झारखंड में ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह था कि वहां कोई बन्दरगाह नहीं था। सरकार द्वारा साहिबगंज में गंगा नदी पर एक मल्टी-मॉडल हब बन्दरगाह का निर्माण किया गया है। श्री दुबे ने अपने संसदीय क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष पश्चात रेल लाइन बिछाई गई है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया है। वर्तमान में, इस सरकार द्वारा उनके लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 आईटीआई, 2 कृषि कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज और 4 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई हैं। इस सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत कार्य किया गया है। डॉ. दुबे ने व्यक्त किया कि अविश्वास प्रस्ताव गरीबों के खिलाफ है, और कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के साथ है।

[1]*प्रस्ताव का समर्थन करते हुए,* श्री टी.आर. बालू (डीएमके) ने कहा कि युवाओं हेतु रोजगार के लाखों अवसर प्रदान करने का वादा किया गया था। परन्तु इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। दूसरी ओर, मनरेगा में पांच करोड़ रोजगार के अवसरों की समाप्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 46 वर्षों में, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। देश के अन्य भागों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) का निर्माण किया गया है परन्तु वर्ष 2019 के चुनावों से पहले आधारशिला रखे जाने के पश्चात भी तमिलनाडु में एम्स का

1. **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** सर्वश्री पिनाकी मिश्रा, अरविंद सावंत, मनीश तिवारी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, राहुल गांधी, पी.वी. मिधुन रेड्डी, राजीव रंजन सिंह 'ललन', राम कृपाल यादव, नामा नागेश्वर राव, के. सुब्बारायण, ई.टी. मोहम्मद बशीर, अनुमुला रेवंत रेड्डी, असादुद्दीन ओवैसी, प्रिंस राज, हनुमान बेनीवाल, राहुल रमेश शेवाले, हैबी ईडन, चिराग कुमार पासवान, अधीर रंजन चौधरी, विजय कुमार हांसदाक, नव कुमार सरानीया, थोमस चाज़िकाडन, विजय बघेल, कोथा प्रभाकर रेड्डी, बंदी संजय कुमार, गिरिधारी यादव, एम. बदरुद्दीन अजमल, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौड़, डॉ. थोलकप्पियान थिरुमावलवन, डॉ. थोल तिरुमावलवन, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, डॉ. हीना विजयकुमार गावित, डॉ. फारूक अब्दुल्ला, डॉ. राजश्री मल्लिक, डॉ. मोहम्मद जावेद, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस., डॉ. राजश्री मलिक, डॉ. राजदीप राय, सरदार सिमरन जीत सिंह मान, श्रीमती डिम्पल यादव, श्रीमती नवनित रवि राणा, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, सुश्री सुनीता दुग्गल, सुश्री महुआ मोइत्रा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नारायण राणे; पृथ्वी विज्ञान मंत्री, श्री किरेन रिजीजू; महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबीन इरानी; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल; गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह; वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण; और नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री, श्री ज्योरादित्य एम. सिंधिया।

निर्माण नहीं हुआ है। जहां तक महिला आरक्षण का संबंध है, इस संबंध में सरकार शांत है। सेतुसमुद्रम परियोजना केवल दस्तावेजों तक ही सीमित है। यह परियोजना 160 वर्ष पुरानी है और सरकार द्वारा यह परियोजना बीच में रोक दी गई है। वर्तमान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वायदा किया गया था, परन्तु वास्तव में अभी तक यह न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला नहीं है। जहां तक बढ़ती कीमतों का संबंध है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से 103 रुपये तक पहुँच गई है। यूपीए के कार्यकाल के दौरान, यह कीमत 65 रुपये या उससे अधिक थी। वर्तमान में सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यूपीए के कार्यकाल में यह कर्ज 55 लाख करोड़ रुपये का था। अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार की बात करें तो मणिपुर के अल्पसंख्यकों की बेरहमी से हत्या की गई है। लगभग 143 लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं; विशेष रूप से इस राज्य से 65,000 लोग पलायन कर चुके हैं और मणिपुर की सड़कों पर दो महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, पूरे विश्व ने उसकी निंदा की है। अल्पसंख्यकों को देश से निकालने हेतु सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम और समान नागरिक संहिता जैसी योजनाएं और एजेंडा लेकर आई है।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, प्रोफेसर सौगत राय (एआईटीसी) ने कहा कि यह सरकार झूठे वायदों और विनाशकारी नीतिगत फैसलों की सरकार रही है। यह सरकार देश की संघीय विशेषता को समाप्त कर रही है। सरकार द्वारा मनरेगा हेतु आवंटित 7,300 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवंटित 8,400 करोड़ रुपये को जारी करने पर रोक लगा दी गई है। आई.एन.डी.आई.ए. के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मणिपुर का दौरा किया गया और इम्फाल और चुराचांदपुर में स्थापित राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की गई। परंतु प्रधानमंत्री द्वारा अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया गया है। वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय द्वारा मणिपुर की स्थिति के संबंध में तीन महिला न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया है। प्रोफेसर रॉय ने कहा कि मणिपुर में सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है, और उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी बड़ी विफलता बढ़ती कीमतों को न रोक पाना रही है, और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार संसद से लेकर चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और केंद्रीय एजेंसियों— ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों को निशाना बनाने और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को गिराने हेतु किया जा रहा है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसने अराजकता की स्थिति

पैदा की। नोट बदलने के लिए लम्बी कतारों में खड़े रहने से एक सौ पचास लोगों की मृत्यु हो गई। कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पूर्ण रूप से बन्द हो गए। कृषि विधेयकों के संबंध में, उन्होंने कहा कि किसानों ने साहसपूर्वक विरोध किया और अंततः सरकार को कृषि बिलों को वापस लेना पड़ा। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को अभी तक पूरा नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें एलआईसी जैसे लाभप्रद उपक्रम भी शामिल हैं। टाटा, अंबानी और अडानी जैसे कुछ औद्योगिक घरानों को विशेष लाभ दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये है, और सरकार ने प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां प्रदान करने के वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में भी गलवान, लद्दाख और डोकलाम, सिक्किम स्थित भारतीय क्षेत्र में चीन के शिविर मौजूद हैं, और सुरक्षा की अनदेखी के कारण ही सबसे घातक रेलवे दुर्घटना फिर से सरकार की करुणा की कमी को दर्शाती है।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (राकांपा) ने कहा कि मणिपुर, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि नौ वर्षों में, भाजपा ने नौ राज्य सरकारों को गिराया है— अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र। स्वास्थ्य और सर्वेक्षण सूचकांक, भूख सूचकांक, महिला स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व खुशी सूचकांक, पर्यावरण संरक्षण सूचकांक, स्त्री-पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे कई सूचकांकों में भारत पीछे हो गया है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि वंदे भारत ट्रेनों के साथ-साथ गरीबों के लिए और ट्रेनों का संचालन किया जाना चाहिए, अर्थात गरीब रथ ट्रेनें। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के तीन रेलवे स्टेशनों दौंड, नीरा और भिगवान पर बंद की गई सभी ट्रेनों के ठहराव पर भी प्रकाश डाला। केन्द्र सरकार पर कर्ज में हुई वृद्धि के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार पर कर्ज 55.87 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 155.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सुले ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पर कर्ज में 178.5 गुना की वृद्धि हुई है, और कहा कि भारत पर विदेशी ऋण मार्च, 2023 के अंत में 440 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 624.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की कीमत 18.2 लाख करोड़ रुपये है।

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना) ने कहा कि यह चर्चा 'जनता के विश्वास' बनाम 'अविश्वास' के बारे में है क्योंकि जनता का विश्वास एनडीए

और प्रधानमंत्री के साथ है। उन्होंने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में विपक्ष द्वारा दो बार पारित सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव याद दिलवाया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि वर्ष 2024 में जनता हैट्रिक बनाने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मणिपुर पर सदन में चर्चा हो रही है, मणिपुर की घटनाएं सभी के लिए चिंता का विषय हैं, और इस पर गंभीरता से विचार करने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा शांति समझौता, 2019; बोडो शांति समझौता, 2020; चाहे ब्रू पुनर्वास समझौता हो या असम-मेघालय सीमा समझौता, 2014 और 2023 के बीच सरकार की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। यह उल्लेख करते हुए कि देश माननीय प्रधानमंत्री के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है, उन्होंने कहा कि समूचे विश्व में यह संदेश गया है कि सरकार आतंकवादियों के सामने झुकने वाली नहीं है। पिछले 9 वर्षों के दौरान हुए विकास का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में, 54,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 148 हो गई है, 1218 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया गया है और वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं तथा स्मार्ट शहर विकसित किये गए हैं।

चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह दौर अत्यंत महत्वपूर्ण है। बदलती वैश्विक व्यवस्था में, इस अवधि के दौरान जो भी ठोस विकास होगा, उसका आने वाले 1000 वर्षों तक राष्ट्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 140 करोड़ देशवासियों की असीमित ऊर्जा के साथ किए गए ठोस प्रयासों में समय के गर्भ में 1000 वर्षों तक बने रहने के लिए एक मजबूत नींव रखने की क्षमता है। ऐसे मोड़ पर हम सभी को केवल देश के विकास और उसके सपनों को पूरा करने के संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने उनके दल को 30 वर्ष के सत्ता-हस्तांतरण के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाने के लिए मत दिया था। इसके बाद, पिछली पृष्ठभूमि को देखते हुए देश की जनता ने वर्ष 2019 में एक बार फिर इस बात पर विचार करते हुए कि कौन सा दल या दलों का गठबंधन उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद कर सकता है,उनके दल को सत्ता में लाने के लिए मत दिया है। उसी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र ने एक बार फिर दल को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के लिए समर्थन दिया। सरकार ने देश की छवि को बेहतर बनाया है जिसे पिछली सरकार ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि आज हमें रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो रहा है। गरीबी तेजी से घट रही है, *नीति आयोग* की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग साढ़े तेरह करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आईएमएफ ने एक वर्किंग पेपर में उल्लेख किया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो गई है। डीबीटी और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं

के संबंध में, आईएमएफ ने टिप्पणी की कि यह एक चमत्कार है। *जल जीवन मिशन* के माध्यम से चार लाख गरीबों, शोषितों और वंचित लोगों का जीवन बचाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से तीन लाख लोगों की जान बचाई गई है। यूनिसेफ ने बताया है कि हर वर्ष गरीब पचास हजार रुपये बचाने में सक्षम होते हैं और इसका श्रेय स्वच्छ भारत अभियान को दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1991 में देश लगभग दिवालियापन की स्थिति में था और कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान, देश की अर्थव्यवस्था विश्व आर्थिक व्यवस्था में 10वें, 11वें या 12वें स्थान पर झूल रही थी। लेकिन 2014 के बाद, भारत ने दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बना लिया है। उन्होंने सदन के साथ इस बात को साझा किया कि सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के फार्मूले का सख्ती से पालन, एक व्यवस्थित योजना और कठोर प्रयास के कारण ही देश को इस स्तर तक पहुंचा पाया है। उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि इस योजना और परिश्रम की निरंतरता बनाए रखी जाएगी। आवश्यकता के अनुसार नए सुधारों की अनुमति दी जाएगी और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हमारे देश की स्थिति को पहले स्थान पर लाने के लिए पूरे दिल से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मणिपुर में हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि यह दुखद और अक्षम्य है। महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास कर रही हैं कि दोषी लोगों को दंडित किया जाए। उन्होंने मणिपुर में माताओं और बेटियों को आश्वासन दिया कि सरकार मणिपुर को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने देशवासियों को आश्वासन दिया कि बदलती विश्व व्यवस्था से आसियान क्षेत्र का उदय होगा और पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित होगा। जिस तरह से यह तानाबाना दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान देशों पर प्रभाव डालने जा रहा है, उत्तर पूर्व को बहुत महत्व मिलने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में लाखों और करोड़ों रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वंदे भारत जैसी रेलगाड़ियां पहली बार पूर्वोत्तर में शुरू की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वंदे भारत जैसी आधुनिक रेलगाड़ियों, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, सिक्किम के साथ विमान सेवा की शुरूआत आदि इसके उदाहरण हैं। पहली बार पूर्वोत्तर में एम्स, मिजोरम में भारतीय जनसंचार संस्थान जैसे प्रमुख संस्थान की स्थापना की गई है। मणिपुर में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने में सफल रही है और वर्ष 2047 में जब देश आजादी

के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब तक इसकी गिनती विकसित राष्ट्रों में होने लगेगी और यह परिश्रम, दृढ़ता, संकल्प और देशवासियों की सामूहिक शक्ति से संभव हो पाएगा।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

ख. विधायी कार्य

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 (संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित)— 25 जुलाई, 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए डॉ. संजय जायसवाल (भाजपा) ने कहा कि 2002 में पुरःस्थापित जैव विविधता संशोधन विधेयक जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप था। नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए ताकि स्थानीय लोगों को भी स्थानीय क्षेत्र जहां कतिपय उत्पाद उत्पन्न होते हैं और तैयार किए जाते हैं, की विशेषता का लाभ मिल सके। पिछले 15 वर्षों में, कुछ राज्यों ने गलत तरीके से जैव विविधता कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। झारखंड राज्य में, सभी आरा मिलें जो चालू हैं, जैव विविधता कानूनों के दायरे में आती हैं। लेकिन झारखंड में सभी आरा मिलों को अनुचित तरीके से बंद कर दिया गया। इसी तरह, ओडिशा में एक बड़ा वन क्षेत्र है और वहां बहुत सारी जड़ी-बूटियां पाई जाती थीं। ओडिशा में ग्राम पंचायतों के गठन के बाद भी कोई लाभ साझा नहीं किया गया। लगभग 11 ऐसे राज्य हैं, जहां जड़ी-बूटियां हों या औषधीय पौधे जैसे विशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। यह एक सामान्य हर्बल उत्पाद भी हो सकता है, लेकिन इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा था।

[2]*चर्चा में भाग लेते हुए* अपराजिता सारंगी (भाजपा) ने कहा कि सरकार द्वारा इस विशेष संशोधन को स्वीकृत किए जाने के कुछ कारण हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और जैव प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पक्षों द्वारा चिंता व्यक्त की गई, जिसमें अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने, सरल एवं सुचारू बनाने और सहयोग, अनुसंधान और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक में जैव विविधता अधिनियम के कतिपय प्रावधानों को आपराधिक कृत्य को नागरिक अपराध से प्रतिस्थापित करके गैर-अपराधीकरण की बात की गई है।

---

2. अन्य लोग जिन्होंने चर्चा में भाग लिया : श्री मलूक नागर और श्रीमती बांगा गीता विश्वनाथ।

चर्चा का उत्तर देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि पूरी दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन, भूमि के मरुस्थलीकरण और जैविक संसाधनों के नुकसान के संकट से जूझ रही है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के बाद से, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जलवायु संबंधी कार्य के माध्यम से दुनिया के इस पर्यावरण संकट का उचित समाधान सुझाया है। पिछले 20 वर्षों में, देश ने जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद निचले स्तर की विभिन्न समस्याओं को देखा है। अतः संरक्षण के लिए जैविक विविधता के घटकों के सतत उपयोग के लिए इन संशोधनों को लाना और उन घटकों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण प्रदान करना विशेष रूप से लाभ साझा करने के साथ कमजोर समुदाय के लिए आवश्यक था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया और आयुष मंत्रालय ने जैव विविधता पदार्थों के उपयोग और भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली को बढ़ावा देने पर काम किया है। इसलिए, इस क्षेत्र में अनुसंधान, सहयोग और शैक्षिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इस विधेयक में कतिपय संशोधन किए गए हैं। संसदीय समिति के प्रतिवेदन में भी विशेष रूप से इसके हितधारकों, सरकारों और शिक्षाविदों के साथ काफी चर्चा हुई है। मंत्री महोदय ने जानकारी दी कि संसदीय समिति ने उन सभी पहलुओं को स्वीकार कर लिया है।

विधेयक यथासंशोधित पारित हुआ।

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 (संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित)—25 जुलाई, 2023 को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने विधेयक को विचार हेतु प्रस्तुत किया।

चर्चा की शुरूआत करते हुए श्री मनोज कोटक (भाजपा) ने कहा कि देश भर में 1600 बहु-राज्यीय सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 570 महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में स्थित हैं। इस विधेयक को इन सोसाइटियों के कार्यकरण में लोगों की अटूट आस्था और विश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने यह कहा कि कई बार यह देखा गया है कि इन समितियों के कार्यकरण और इसमें काम करने वाले लोगों की निगरानी करने वाले निदेशक आम लोगों द्वारा जमा की गई धनराशि का गबन करते हैं। वे या तो कोई अन्य सहकारी समिति बनाएंगे या कहीं और से सोसाइटी का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कदाचार में लिप्त होने की स्थिति में ऐसे बेईमान निदेशक अब किसी अन्य सोसायटी में सदस्य या निदेशक के पद पर कहीं और से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। श्री कोटक ने यह भी

कहा कि इससे पहले, निदेशक अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करते थे, अब यह प्रथा समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त होते रहें। जब भी सदस्यों को समितियों के कार्यकरण से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, वे अब सहकारी सूचना अधिकारी के माध्यम से इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे, यह विधेयक में सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए किए गए उपबंध में दिया गया है। रुग्ण सहकारी समितियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए उनमें निधियां जमा करने हेतु विधेयक में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार ने छोटे निवेशकों और सहकारी समितियों के साधारण सदस्यों का उचित ध्यान रखा है।

[3]*चर्चा में भाग लेते हुए* श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि सहकारी आंदोलन ने बहुत सी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को विकसित किया है और कई राज्य अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 में कई अच्छे प्रावधान हैं। पहला मुद्दा इस बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों और महिला सदस्यों को शामिल करने के प्रावधान से संबंधित है। दूसरा सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में है जो यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव नियमित रूप से हों। विधेयक पर तीन सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि रुग्ण सहकारी समितियों के लिए लगाए जा रहे एक प्रतिशत की व्यवस्था किसी अन्य तरीके से की जानी चाहिए; बैंकिंग विनियमन केवल बैंकिंग नियामक गतिविधियों तक ही सीमित होना चाहिए; और केंद्रीय रजिस्ट्रार ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मन-माने/अनियंत्रित तरीके से शक्तियों का प्रयोग कर सके। सहकारी आंदोलन को केंद्र सरकार द्वारा शासित और निर्देशित किया जाना चाहिए।

चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन में आमूल-चूल परिवर्तन करने का कठिन कार्य पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि पहला कार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों-पीएसीएस में किया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि पीएसीएस, जो सहकारी आंदोलन की आत्मा है, को पुनर्जीवित करने, इसमें पारदर्शिता लाने और इसे बहुआयामी बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के द्वारा इसे जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों और नाबार्ड से जोड़ा जाएगा। लेखापरीक्षा (ऑडिट)

3. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य लोग : सर्वश्री रामशिरोमणि वर्मा और संतोष कुमार गंगवार।

प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और एक बार सिस्टम इंटीग्रेटर को अंतिम रूप देने के बाद, पीएसीएस को विभिन्न नए व्यवसायों में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। पीएसीएस अब डेयरी के साथ-साथ मछुआरा समिति भी बन सकेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि पीएसीएस अब एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के रूप में भी काम करेंगे, और एफपीओ के रूप में 1100 पीएसीएस पंजीकृत किए गए हैं। नए उपनियमों के अनुसार पीएसीएस द्वारा एलपीजी का वितरण कार्य किया जा सकेगा। पीएसीएस 'जन औषधि केंद्र' भी चला सकेंगे। पहले पीएसीएस और जिला सहकारी बैंक को रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पीएसीएस के सदस्यों को रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों दिए जाएंगे। पीएसीएस जल वितरण समिति के रूप में भी कार्य करेगा। पीएसीएस अब गोदाम के रूप में भी काम करेंगे, जिसे एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) द्वारा किराए पर लिया जाएगा।

इससे गांव के खाद्यान्न का भंडारण गांव में ही किया जाएगा और गांव के सभी गरीब परिवारों में इसका वितरण किया जाएगा। इससे प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) आय का एक नया स्त्रोत बनने जा रही हैं। सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार कम किया गया है। नकद लेनदेन की मौजूदा सीमा भी 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक कर दी गई है। शहरी सहकारी बैंकों की समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है। मंत्री ने आगे यह बताया कि किसान आज जैविक खेती कर रहे हैं, परन्तु उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार द्वारा एक नई सहकारी समिति का गठन किया गया है, जो किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु देश और विश्व में जैविक उत्पादों के विपणन की दिशा में कार्य करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे देश में सहकारी समितियों का कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं था, और अब, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार करने का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सहकारी आंदोलन को मजबूत करने हेतु इस मंत्रालय का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में बहु-राज्य सहकारी समिति संघ सूची का विषय है। बहु-राज्य सहकारी समिति में पारदर्शिता, जवाबदेही और लाभ बढ़ाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल स्तर पर इस विधेयक को पारित किया गया है। स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने की दृष्टि से एक चुनाव प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि बोर्ड के सदस्यों के एक तिहाई पद रिक्त हो जाने की स्थिति में पुनः चुनाव आयोजित किये जायेंगे। धारा 50 के अन्तर्गत समिति द्वारा तीन माह के अन्दर बोर्ड की बैठक आयोजित की जायेगी। निदेशक मंडल में पारदर्शिता लाने हेतु समवर्ती लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। बोर्ड के

सदस्य द्वारा विभिन्न संवैधानिक अनिवार्यताओं का पालन न किये जाने की स्थिति में, उसे धारा 43ए के अन्तर्गत बोर्ड का सदस्य बने रहने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा इसे सूचना के अधिकार के दायरे में भी लाया गया है।

विधेयक पारित हुआ।

वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 (जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है—26 जुलाई, 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा विधेयक को चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया।

चर्चा की शुरूआत करते हुए, सुश्री दिया कुमारी (भाजपा) ने कहा कि यह विधेयक हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में उभरती चुनौतियों का सामना करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आधिकारिक तौर पर वन के रूप में न नामित क्षेत्रों सहित वन क्षेत्रों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है, और अनुमेय वन गतिविधियों की सूची को भी व्यापक बनाता है। आजीविका के स्थायी संसाधनों को बढ़ावा देते हुए इनमें चिड़ियाघरों, सफारी और इको-पर्यटन सुविधाओं को शामिल किये जाने से वन संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग सुनिश्चित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के अन्तर्गत भारत की सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित वन क्षेत्रों में रणनीतिक परियोजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है और यह विधेयक नए वन क्षेत्रों को शामिल करके और वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करके राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ पूर्ण रूप से संरेखित है तथा वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को घटाकर 3 से 2.5 तक करने संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा।

[4]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को अनुकूलित बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। अधिनियम में प्रस्तावना को जोड़ने का प्रस्ताव वनों के संरक्षण और हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा हेतु भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, इस प्रस्ताव में वर्ष1980 के अधिनियम के मापदंडों को निर्दिष्ट किया गया है। उनके द्वारा सरकार से पारिस्थितिक रूप से समृद्ध अरावली और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और उनके लिए किए गए संरक्षण प्रावधानों को बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने

4. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य: श्री राजू बिष्ट और श्रीमती गवली (पाटील)।

यह भी कहा कि अधिनियम में यह वर्णित है कि किसी भी निजी संस्था को वन भूमि आवंटित करने से पहले राज्य सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। तथापि, संशोधन विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकारों को वन भूमि में सभी संस्थाओं की गतिविधियों हेतु केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेनी होगी। वन और वनों के संरक्षण का विषय समवर्ती सूची का विषय है और राज्यों को इस मामले के संबंध में कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं जिसका वर्तमान में केन्द्र द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि केन्द्र की इस अतिव्यापी भूमिका में अतिशीघ्र सुधार किया जाए।

चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने सदन को सूचित किया कि एनडीसी के तीन लक्ष्यों में से दो लक्ष्य भारत द्वारा निर्धारित समय से पहले नौ वर्ष में ही प्राप्त कर लिये गये हैं और तीसरा लक्ष्य देश के कार्बन उत्सर्जन को घटाकर 3 से 2.5 तक लाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषि वानिकी, वृक्षावरण और वानिकी क्षेत्र में वृद्धि की जाए। मंत्री महोदय द्वारा यह भी सूचना दी गई कि यह विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो विश्व के लिए भी बहुत आवश्यक है। वर्ष 1980 के पश्चात् हमारे देश में परिवर्तित वन भूमि को सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जो देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु अति आवश्यक है। इसे विनियमित करने के संबंध में केन्द्र सरकार को पर्याप्त अनुदेश देने का अधिकार देने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। भूमि परिवर्तन को लेकर जो अस्पष्टता है, उसे दूर करने का कार्य इस विधेयक में किया गया है। सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में वृद्धि की गई है। परन्तु फिर भी लोग निजी क्षेत्र में वनों को विकसित करने से डरते हैं। सरकार द्वारा सरकारी और निजी दोनों संस्थानों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। न्यायालयों द्वारा पहले लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप का कारण यह था कि 1980 के अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को एक निश्चित रूप से निर्देश देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस विधेयक में सरकार द्वारा वे अधिकार प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यह विधेयक वाणिज्यिक संचालन, निगरानी, पर्यवेक्षण और जंगल की आग जैसे विषयों को आगे लायेगा। सरकार द्वारा वन्य जीवों, संकटापन्न प्रजातियों हेतु जंगल के पास के क्षेत्रों में पृथक बचाव केन्द्र स्थापित करने जैसे विषयों को भी चिह्नित किया गया है। मंत्री द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि प्रतिपूरक वनीकरण और एनपीवी (निवल वर्तमान मूल्य) से

संबंधित प्रावधान पूर्ण रूप से लागू रहेंगे तथा इस विधेयक और वन अधिकार अधिनियम के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विधेयक दूरगामी परिवर्तन लाने में सहायक होगा।

विधेयक पारित हुआ।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 (जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है)—27 जुलाई, 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक चर्चा हेतु प्रस्तुत किया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, श्री राजेन्द्र अग्रवाल (भाजपा) ने कहा कि इस संशोधन विधेयक में बहुत छोटी-छोटी, तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों संबंधी दंडात्मक प्रावधान के भय को दूर करके व्यापार को सुकर बनाने संबंधी बात पर जोर देने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विधेयक व्यापार को सुकर बनाने, जीवन को सुलभ बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में नागरिकों के लिए व्यापार को सुकर बनाने हेतु जुर्माने के प्रावधान को दण्ड से बदल दिया गया है और अनुपालना संबंधी भार को कम करने हेतु कुछ कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार से, कई कानूनों के अन्तर्गत जुर्माने के स्थान पर दंड का प्रावधान किया गया है ताकि उल्लंघन की स्थिति में लोगों को अदालत न जाना पड़े। इससे अदालतों पर कार्य का बोझ भी कम होगा। संयुक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के पश्चात् 183 उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह 60 प्रावधानों के संबंध में कारावास और जुर्माना दोनों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 108 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संशोधन विधेयक में दंड निर्धारित करने और निर्णय के विरुद्ध अपील करने हेतु न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस संशोधित विधेयक से न केवल जनता का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी।

चर्चा में भाग लेते हुए, डॉ.बीसेट्टी वेंकट सत्यवती (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य भारत के 19 मंत्रालयों संबंधी 42 कानूनों के लगभग 182 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत अपराधों को मौद्रिक दंड

के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिससे कारावास पर दबाव कम होगा। इस विधेयक में किसी निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट व्यक्तियों हेतु अपीलीय तंत्र को निर्दिष्ट करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक का समर्थन करते हुए, उन्होंने विधेयक से जुड़े कुछ प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में विशाल नियामक ढांचे की तुलना में विधेयक द्वारा विनियमित अपराधों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इन प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किये जाने से अप्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तन का भार आपराधिक न्याय प्रणाली से प्रशासनिक अधिकारियों पर पड़ सकता है, जिससे निर्णय लेने और प्रवर्तन पद्धतियों में संभावित विसंगतियां हो सकती हैं। इस प्रकार, असंगत प्रवर्तन से अनुचितता की धारणा पैदा होगी। यद्यपि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनैस को बढ़ावा देना आवश्यक है किंतु इसके साथ-साथ जन कल्याण, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मंत्री जी से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री मलूक नागर (बहुजन समाज पार्टी) ने कहा कि इस विधेयक में जुर्माने से संबंधित प्रावधान के स्थान पर दंड का प्रावधान किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु यह एक सकारात्मक कदम है। इसी तरह, इन प्रावधानों को किसानों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि देश के 80 प्रतिशत लोगों का विश्वास भी बना रहे। इस विधेयक में और भी कई बातें शामिल की जा सकती हैं, जिससे इस विधेयक के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इसमें और अधिक संशोधन किये जाने चाहिएं।

चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि लोगों को व्यापक रूप से राहत प्रदान करने के लिये पिछले नौ वर्षों में लगभग 1,500 कानूनों को निष्प्रभावी किया गया है। इसके साथ ही, इसी दौरान सरकार द्वारा लोगों को प्रभावित करने वाले लगभग 40,000 प्रावधानों को या तो सरल बनाया गया है या उन्हें पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 3,600 कानूनों को गैर-आपराधिक घोषित किया गया है, और 42 कानूनों के अन्तर्गत 183 ऐसे प्रावधानों में अभी भी उचित संशोधन किया जाना शेष है जिससे एक साधारण व्यापारी, व्यापारी या एक आम नागरिक को छोटे अपराध के लिए परेशानी का सामना करता पड़ता हैं। मंत्री महोदय द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि इस विधेयक के माध्यम से उन प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रयास किया गया है।

संयुक्त समिति के 31 सदस्यों और संयुक्त समिति के सभापति को धन्यवाद देते हुए उन्होंने सदन को सूचित किया कि समिति द्वारा दी गई सात अनुशंसाओं में से छह अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया है। समिति द्वारा एक अन्य यह अनुसंशा की गई कि भावी कानूनों पर चर्चा करने हेतु एक और समिति गठित की जाए। उन्होंने सदन को यह भी सूचना दी कि इस आशय की एक समिति का गठन किया गया है और चैंबरों के विभिन्न उद्योग संघों, कानूनी विशेषज्ञों के साथ-साथ सात मंत्रालयों और विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों को भी इस समिति में शामिल किया गया है।

विधेयक पारित हुआ।

निरसन और संशोधन विधेयक, 2022— 27 जुलाई, 2023 को विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक को चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया।

चर्चा की शुरूआत करते हुए, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भाजपा) ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के मूल सिद्धांत 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' को दर्शाता देता है। इसी सिद्धांत के संदर्भ में इन कानूनों को निरस्त किया जा रहा है। उनमें से कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें समय-समय पर निरस्त करना अनिवार्य है, जबकि कुछ कानून प्रचलन में न होने के कारण अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। इस विधेयक में ऐसे कानूनों को निरस्त करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में निहित तकनीकी खामियों को भी दूर किया जा रहा है।

चर्चा का उत्तर देते हुए, विधि और न्याय राज्य मंत्री, संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जीवन यापन को आसान बनाने और व्यापार में सुगमता की हमारी अवधारणा पर आधारित होने के कारण यह विधेयक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने के पश्चात उन्हें एक विचार आया कि यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश के नागरिकों के हित में जीवन यापन को आसान बनाने और व्यापार को सुगम बनाने हेतु "न्यूनतम सरकार — अधिकतम शासन" के आधार को नियोजित करके व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकता है।

संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे कई कानून हैं जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और अप्रचलित हो गए हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार

ने अब तक 1486 कानूनों को निरस्त किया है और उसके बाद सरकार ने 65 ऐसे विधेयकों को वर्गीकृत किया है जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और इससे नागरिकों को असुविधा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें 11 और विधेयक थे जो अंग्रेजों के शासन के थे और अप्रचलित हो गए थे, और यही कारण है कि सरकार ऐसे 76 विधेयक लाई है।

विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023— 28 जुलाई, 2023 को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया।

[5]*चर्चा शुरू करते हुए* श्री सुनील कुमार सिंह (भाजपा) ने कहा कि भारत में खनिजों की खोज और खनन लंबे समय से एक जटिल समस्या से बाधित है। लेकिन इस प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, 2020 और 2021 में कई संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और उद्योग के विकास को रणनीतिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा और अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैटरी आदि के क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर एक जगह बना सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकार ने छह खनिजों को परमाणु सूची से बाहर करके महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में तेजी लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस संशोधन से खनिज और खनन क्षेत्र में अधिक निवेश होगा और बेहतर बुनियादी ढांचे और तकनीकी का विकास भी होगा, जिससे उत्पादन दक्षता में सुधार होगा। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसके जरिए कंपनियों को अनुमति और लाइसेंस हासिल करने में आसानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार को कुछ खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक बनाकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में खनिज कंपनियों को रियायतें देने का अधिकार देता है और इससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

चर्चा का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वर्ष 2015 और 2020-21 में किए गए संशोधनों के बाद 276 ब्लॉकों की नीलामी की गई। इसके बाद 2021 से 2023 तक लगभग दो वर्षों की अवधि में 168 ब्लॉकों की नीलामी की गई। विदेशी मामलों से लेकर जैव-प्रौद्योगिकी और खनिज उत्पादन तक के क्षेत्रों में सरकार जो भी बदलाव ला रही है, वह देश के हित को पूरा करने के लिए है और

5. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यः श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी।

इस प्रकार देश में परिवर्तन और विकास दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल 1000 मिलियन टन यानी एक अरब टन से ज्यादा कोयले का उत्पादन कर हम देश के ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। सरकार ने इस संबंध में तीन परिवर्तन किए हैं। मंत्री ने कहा कि पहले समग्र कम्पोजिट लाइसेंस (सीएल) और खनन लाइसेंस (एमएल) जारी किए जाते थे। आज, सरकार ने अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) प्रदान करने के लिए इसमें एक प्रावधान शामिल किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अन्वेषण लाइसेंस जारी करने का प्रावधान यहां शामिल किया गया है क्योंकि कनिष्ठ स्तर के खनिकों को अन्वेषण से जूझना होता है और खनन कंपनियां दुनिया भर में खनन गतिविधियों को मूर्त रूप देती हैं। देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने इसमें एमएल और सीएल के साथ-साथ अन्वेषण लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किया है जो पारदर्शी नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इसमें राजस्व साझा करने का भी प्रावधान है और वह भी पूरी तरह से नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। परमाणु खनिजों की हमारी सूची में 12 थे, जिनमें से सरकार लिथियम सहित 6 खनिजों को उस सूची से हटा रही है क्योंकि उनके अधिक गैर-परमाणु अनुप्रयोग हैं। इसलिए, उन 6 खनिजों को हटाने के बाद, सरकार इसके भाग घ में 18 महत्वपूर्ण और डीप-सीटेड खनिजों को ला रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि भाग घ में खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया को केंद्र सरकार के स्तर पर निपटाया जाएगा और खनन पट्टा और रियायत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने तीन क्षेत्रों का उल्लेख किया-एक, सरकार परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटा रही है और समूह घ में पूरे 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और डीप-सीटेड खनिजों की श्रेणी में रखकर नीलाम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इसमें समुद्र तटीय रेत खनिजों को शामिल नहीं किया है।

विधेयक पारित हुआ।

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्य सभा द्वारा यथापारित)— सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधेयक पर विचार के लिए 31 जुलाई, 2023 को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग न केवल 110 वर्ष पुराना है, बल्कि यदि किसी देश को दुनिया में सबसे अधिक फिल्मों का निर्माण करने का गौरव प्राप्त है, यह भारत के अलावा कोई और नहीं है। यह विधेयक स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर से लेकर जूनियर आर्टिस्ट और डांसर्स तक पूरी इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों के हितों को पूरा करने के इरादे से लाया गया है। वर्ष 1952

में पहली बार इस विषय पर एक कानून बनाया गया था, और उसके बाद इसमें कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया। पायरेसी की समस्या इस देश में अत्यधिक चिंता का विषय बन गई है। यह देश और दुनिया के सामने भी चिंता बनी हुई है। फिल्म उद्योग वर्षों से पायरेसी की समस्या से छुटकारा पाने की मांग कर रहा है और यह अपेक्षा करता है कि सरकार विधेयक में संशोधन करे। चलचित्र संशोधन विधेयक सम्बन्धी स्थायी समिति के सुझावों के अनुसरण में, सरकार 16 मार्च, 2020 को फिल्म उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद यह विधेयक लाई है। मंत्री ने कहा कि पायरेसी एक ऐसी दीमक है जो फिल्म उद्योग को बर्बाद कर रही है और पायरेसी से देश को सालाना 20,000 करोड़ रुपये से 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। निःसंदेह पायरेसी का खामियाजा देश भुगतता है और साथ ही फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और इससे जुड़े तमाम लोग भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसलिए, इस विधेयक में कुछ कठोर प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई रिकॉर्डिंग करता है और इसे अवैध रूप से प्रदर्शित करता है, तो उसके लिए कारावास का प्रावधान है। मंत्री ने दंड के प्रावधान के बारे में यह भी बताया कि तीन वर्ष तक की सजा या 3,00,000 रुपये तक के जुर्माने और सजा के रूप में फिल्म निर्माण की लागत का 5 प्रतिशत भी वसूल किया जा सकता है।

चर्चा शुरू करते हुए श्री मनोज तिवारी (भाजपा) ने कहा कि इस विधेयक से न केवल सिनेमा बल्कि सिनेमा निर्माताओं को भी बचाया जा सकेगा। पायरेसी इस देश के सिनेमा, कलाकारों और निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं को हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इस विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे पाइरेसी पर रोक लगेगी। आजकल फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। ओटीटी लोग पसंद कर रहे हैं और इससे जुड़े अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन प्रत्येक दृश्य में धूम्रपान और तंबाकू चबाने जैसी और सामग्री का दिखाया जाना एक फैशन बन गया है। सरकार ने इस पर चिंता जाहिर की है। पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं।

[6]*चर्चा में भाग लेते हुए* श्री मद्दिला गुरुमूर्ति (वाईएसआरसीपी) ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल पायरेसी के कारण उद्योग को हर साल 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता

6. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यः सर्वश्री राम शिरोमणि वर्मा, कृपाल बालाजी तुमाने, शंकर लालवानी और श्रीमती नवनित रवि राणा ।

है। पायरेसी भारतीय फिल्म उद्योग को प्रभावित कर रही है जिसे शीघ्र सुलझाए जाने की आवश्यकता है। सिनेमाघरों का एक मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव रहा है, और हाल ही में इसे बढ़ते कोरियाई पॉप संस्कृति के प्रभाव के रूप में देखा गया है जिसने कोरिया में पर्यटन को और बढ़ा दिया है। उन्होंने महसूस किया कि केंद्र सरकार को भी इसी तर्ज पर ऐसे आकर्षक विकल्प का पता लगाना चाहिए।

चर्चा का उत्तर देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भारत में किया जाता है। भारत सिनेमा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगों में अन्यतम है। यही कारण है कि पायरेसी को रोकने के मामले में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक नहीं लाया गया तो उन सभी लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने धन का निवेश किया है, लेकिन पायरेसी के माध्यम से किसी ने इसे स्थानीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया है। मंत्री ने यह कहा कि अगले तीन वर्षों में यह उद्योग एक सौ अरब डॉलर का उद्योग बन जाएगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार उनके हितों को भी देख रही है और फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, मूल फिल्मों और टीवी शो आदि से जुड़े कई लोगों के हितों का भी ध्यान रख रही है। मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित खंड 6कक और 6कख के तहत पायरेसी से संबंधित निषिद्ध कार्य करता है, तो उसे कम से कम तीन महीने के कैद की सजा दी जा सकती है जिसे 2023 विधेयक के खंड 7 (1क) के अंतर्गत तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है इसमें तीन साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना तीन लाख रुपये तक हो सकता है और उस पर लेखा परीक्षित निर्माण की लागत का 5 फीसदी तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार ने उनके लिए उचित मुआवजे की भी बात की है। उनका लाइसेंस, जो केवल दस साल में समाप्त हो जाता था, अब दस साल में समाप्त नहीं होगा। भारत सरकार ने उन्हें आजीवन लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार के पास किसी भी फिल्म को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी और सीबीएफसी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अंतिम होगा। मंत्रीजी ने यह भी कहा कि सीबीएफसी, जो एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक पूरे उद्योग और स्थायी समिति के साथ व्यापक चर्चा के बाद लाया गया है, और भले ही यह फिल्म उद्योग के 110 साल पूरे होने के बाद आया है, लेकिन यह फिल्म उद्योग को अगले 100-200 वर्षों के लिए पायरेसी से मुक्त करेगा।

विधेयक पारित हुआ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2023— 1 अगस्त 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने विधेयक को विचार के लिए पेश किया।

चर्चा शुरू करते हुए श्रीमती संध्या राय (भाजपा) ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक यह स्पष्ट करता है कि सरकार *सबका साथ और सबका विकास* में विश्वास करती है। सरकार अंत्योदय के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। विधेयक में छत्तीसगढ़ राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की जाने वाली जातियों और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। विधेयक में छत्तीसगढ़ के समुदायों को मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्याय के रूप में शामिल किया गया है।

[7]*चर्चा में भाग लेते हुए* कुमारी गोड्डेति माधवी (वाईएसआरसीपी) ने सरकार से इस वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्धता को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और विकास के अवसर पैदा करने के लिए किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा, न्यायपालिका में विविधता और उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सरकार से न्यायिक प्रणाली में अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि के पात्रों और योग्य उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए नीतियों को लागू करने का अनुरोध किया।

चर्चा का उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि यह विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लाया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ के 'मेहरा' और 'माहरा' समुदाय के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल कर सकेंगे और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, चाहे वह ऋण योजना हो, वेंचर कैपिटल फंड योजना हो या राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना हो।

विधेयक पारित हुआ।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023— 1 अगस्त 2023 को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया।

7. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यः श्रीमती संगीता आज़ाद।

चर्चा शुरू करते हुए श्री गोपाल शेट्टी (भाजपा) ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से आने वाले समय में देश और राज्यों को काफी लाभ होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गोपाल शेट्टी (भाजपा) ने कहा कि भविष्य में इस विधेयक से देश और राज्यों को बहुत लाभ होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से आने वाले दिनों में देश के राजस्व में वृद्धि होने वाली है क्योंकि इस विधेयेक के माध्यम से आठ हजार किलोमीटर समुद्री सीमा को शामिल किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और तटीय राज्यों में आवश्यक वस्तुएं भी समय पर उपलब्ध करवाई जा सकेंगी तथा यह विधेयक देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक अत्यधिक पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया गया है और इसके दीर्घकाल तक प्रभावी रहने का भी प्रावधान किया गया है। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो सभी राज्यों को भारी मात्रा में निधियां प्राप्त होंगी।

[8]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री पिनाकी मिश्रा (भाजपा) ने कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 79 मिलियन टन भारी खनिजों का भंडार है जो मुख्य रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में विद्यमान है। इसलिए, इन सभी राज्यों के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहली बार, केंद्र सरकार देश के विशाल खनिज भंडारयुक्त अपतटीय क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू करने जा रही है। यह सब प्रक्रिया सरकार की निगरानी में नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, परमाणु खनिज खनन भी शुरू किया जा चुका है। ये पृथ्वी में पाये जाने वाले यूरेनियम और थोरियम जैसे दुर्लभ खनिज हैं जो भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने जो अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास की स्थापना की है, वह बहुत ही हितकर है क्योंकि रियायतधारकों को किसी रॉयल्टी के अतिरिक्त न्यास को एक राशि का भुगतान करना होगा और इसका उपयोग अनुसंधान और राहत जैसे कार्यों में किया जाएगा।

चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए, संसदीय कार्य, कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन करना है। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार द्वारा खनन कार्य के लिए इस क्षेत्र को पट्टे पर देने संबंधी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका दूसरा उद्देश्य संयुक्त लाइसेंस प्रदान करना अर्थात् नीलामी के माध्यम से अन्वेषण

8. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यगण: सर्वश्री कृपाल बालाजी तुमाने और मलूक नागर।

लाइसेंस-सह-उत्पादन पट्टा प्रदान करना है । तीसरा उद्देश्य, केवल नीलामी प्रक्रिया को ही मान्य किये जाने के कारण संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से पहले प्राप्त सभी आवेदनों को अस्वीकार करना है । इसके अतिरिक्त एम.एम.डी.आर. एक्ट की तरह उत्पादन पट्टे की अवधि 50 वर्ष होगी । एम.एम.डी.आर. एक्ट के माध्यम से गठित मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तरह सरकार अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास (ओएएमटी) का गठन करने जा रही है । नीलामी प्रक्रिया की शुरूआत करके सरकार उक्त अधिनियम में संशोधन करने जा रही है । प्रस्तावित पारदर्शी प्रणाली के अंतर्गत देश के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति, जो भी इसमें भाग लेने का इच्छुक हो, नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेगा । यहां तक कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि जैसे छोटे देश अपतटीय खनिज उत्पादन के क्षेत्र में हमसे आगे हैं । मंत्री महोदय ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि देश के ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा प्रौद्योगिकी हेतु ये दुर्लभ खनिज बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

विधेयक पारित हुआ ।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन विधेयक), 2023— 1 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा विधेयक चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया ।

चर्चा की शुरुआत करते हुए इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (भाजपा) ने कहा कि यह अधिनियम पहली बार वर्ष 1969 में लागू हुआ था और तब से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है । बदलते समय के साथ हो रहे चौतरफा प्रौद्योगिकीय विकास को देखते हुए, विधेयक में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है । बाल अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय (सीआरसी) के अनुच्छेद 7 में उल्लेखित किया गया है कि बच्चों के जन्म के तुरंत पश्चात् उनका पंजीकरण किया जायेगा और उन्हें अपने जन्म से राष्ट्रीयता प्राप्त करने के अधिकार के साथ अपने माता-पिता के आधार पर पहचान का अधिकार भी प्राप्त होगा और माता-पिता को निश्चित रूप से बच्चों के विकास में सहायक होना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण यह संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव की गई है । सरकार देश में "वन नेशन, वन डेटा" पोर्टल लॉन्च करने जा रही है । इस संशोधन का श्रेय डिजिटलीकरण को दिया गया है । इस संशोधन से आम आदमी को बहुत लाभ होगा । यह संशोधन प्रस्तुत करने से पूर्व गृह मंत्रालय द्वारा आम आदमी के साथ-साथ सभी हितधारकों की राय भी ली गई है । मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु के कर्तव्यों में विस्तार किया गया है । उन्हें डिजिटलीकरण के संदर्भ में भी निर्देश दिए जाएंगे । मतदाता सूची, जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण शामिल है, को आधार के साथ जोड़ा जाएगा और मुख्य रूप से बीमा, संपत्तियों, बैंक दावों आदि के लिए इसका उपयोग किया जाएगा ।

[9]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री एन. रेड्डेप्पा (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी मामलों की निगरानी हेतु एक समर्पित व्यक्ति का होना आवश्यक है । राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, जिसका रखरखाव महापंजीयक द्वारा किया जायेगा, एक स्वागत करने योग्य कदम है । हालांकि, रजिस्ट्रार के पास जन्म या मृत्यु पंजीकृत करने हेतु माता-पिता और सूचनाकर्ताओं के आधार कार्ड विवरण संबंधी आवश्यक प्रावधान पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किये गये हैं । तीसरा मुद्दा सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित है । विधेयक में यह भी वर्णित है कि राष्ट्रीय डेटाबेस के उपयोग को केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जबकि राज्य डेटाबेस का उपयोग राज्य की स्वीकृति के अधीन है । इस तरह का कदम केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करने में सक्षम बनाकर देश की संघीय प्रकृति को अक्षुण्ण रखेगा ।

चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक जनता की सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ आसान और पारदर्शी तरीके से अविलम्ब जनता तक पहुँचाने से संबंधित है । उन्होंने कहा कि पंजीकरण के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि किसी भी कारण से जनता को प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सुविधा में विलम्ब न हो । उन्होंने सदन को सूचित किया कि यह विधेयक प्रस्तुत करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों, सभी मंत्रालयों, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से इस संबंध में परामर्श किया गया । इतना ही नहीं, तैयार प्रारूप के संबंध में भी कई माह तक आम जनता से सुझाव आमंत्रित किये गये और प्राप्त सुझावों पर विचार भी किया गया । मंत्री ने यह भी कहा कि इससे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी । पहले ये सूचनाएं लिखित रूप में पंजीकृत की जाती थी जबकि अब इन सूचनाओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जायेगा । ऐसा प्रावधान किया गया है कि सूचना प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर प्रमाण पत्र जारी किया जा सके । यह जन्म प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु एक वैध दस्तावेज के रूप में भी पर्याप्त होगा । मंत्री महोदय ने खेद व्यक्त किया कि आपदा के समय भी जब मृत्यु प्रमाण-पत्र की तत्काल आवश्यकता होती है, जिसके लिये आज तक ऐसी प्रणाली नहीं बनाई गई थी किंतु अब इस विधेयक में इसे भी ध्यान में रखा गया है ।

विधेयक पारित हुआ ।

---

9. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यः सर्वश्री राहुल रमेश शेवाले, असादुद्दीन ओवैसी, श्रीमती संगीता आज़ाद ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023— 3 अगस्त 2023 को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, श्री अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस) ने विधेयक को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा इसं संबंध में तत्काल अध्यादेश लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने तत्काल अध्यादेश लाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की और भारत के संघीय ढांचे को संरक्षित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और सभी जिम्मेदारियां नौकरशाहों को सौंपे जाने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने देश के संघीय ढांचे के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में त्रि-स्तरीय आदेश प्रणाली (ट्रिपल चेन ऑफ कमांड) के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे निरस्त करने के किसी भी प्रयास के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली सरकार से संघ सरकार को शक्तियां स्थानांतरित होने की स्थिति में दिल्ली में इस अध्यादेश से प्रभावित होने वाले जल, परिवहन और बिजली आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 50 से अधिक संस्थानों के संबंध में चिंता व्यक्त की। उन्होंने इन संस्थानों के बजट को दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित किए जाने, जबकि इनमें नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा किए जाने संबंधी विसंगति पर भी प्रकाश डाला। अंततः उन्होंने इस तरह के विधेयक को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करने का विरोध किया और नौकरशाहों को सभी जिम्मेदारियां सौंपे जाने का भी विरोध किया क्योंकि देश की कार्यप्रणाली में जांच और संतुलन के प्रावधान किए गये थे जिन्हे कम नहीं किया जाना चाहिए।

[10]*चर्चा में भाग लेते हुए,* दयानिधि मारन (डीएमके) ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंप दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह लोगों द्वारा एक बार नहीं, बल्कि दो बार चुनी हुई सरकार आयी है। उन्होंने कहा कि द्रमुक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का विरोध करती

10. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यः सर्वश्री कल्याण बनर्जी, पी.वी. मिधुन रेड्डी, राहुल रमेश शेवाले, राजीव रंजन सिंह 'ललन', पिनाकी मिश्रा, हसनैन मसूदी, मनोज तिवारी, विनायक भाऊराव राउत, असादुद्दीन ओवैसी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, कार्ति पी. चिदम्बरम, के. सुब्बारायण, एन.के. प्रेमचंद्रन, हनुमान बेनीवाल, सुशील कुमार रिंकू, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, डॉ. जी. रंजीत रेड्डी, डॉ. एस.टी. हसन, डॉ. शशि थरूर, डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल।

है। उन्होंने यह भी कहा कि सेवाएं दिल्ली सरकार के अधीन करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तुरंत पश्चात् एक अध्यादेश लाया गया। उन्होंने आगे कहा कि सभी इस बात से सहमत हैं कि कानून बनाने के लिए संसद सर्वोच्च विधि-निकाय संस्था है और यही कारण है कि संसद को कानून निर्माता कहा जाता है। लेकिन यहां केंद्र सरकार की मंशा दिल्ली सरकार को नियंत्रित करने की थी।

चर्चा में शामिल होते हुए श्री कल्याण बनर्जी (एआईटीसी) ने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई वर्तमान राज्य सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए यह कानून बनाया गया है। संविधान के उनहत्तरवें संशोधन के परिणामस्वरूप दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि संघीय अवधारणा और संघीय ढांचा सभी राज्यों पर लागू होता है और इसी प्रकार यह दिल्ली पर भी लागू होता है। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के एक अधिकारी की नियुक्ति मुख्य सचिव के रूप में की जायेगी। इस पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है। यह विधेयक संघवाद की अवधारणा को ही समाप्त कर देने वाला और दिल्ली के लोगों की इच्छाओं के विरोध में है। केंद्र सरकार को लोगों की इच्छाओं को जानना चाहिए। मंत्री संसद और विधान सभाओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। तीसरी श्रृंखला यह है कि संसद और विधानमंडल मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं। महत्वपूर्ण बात मतदाताओं की इच्छा है। मतदाताओं द्वारा अपनी इच्छा से राज्य सरकार का चुनाव किया गया है। सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, प्रशासन की वास्तविक शक्ति राज्य की निर्वाचित सरकार में निहित रहनी चाहिए और इसके प्रशासन पर निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यह माननीय उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस सरकार को चुनने वाले दिल्ली के लोगों की इच्छा को अभिव्यक्त करे। उन्होंने आगे इस संबंध में भी सचेत किया कि यदि अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे सामूहिक जिम्मेदारी का पूरा सिद्धांत प्रभावित हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संघीय ढ़ाचे को नष्ट कर रहा है।

चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि एक विशेष अनुच्छेद के अन्तर्गत दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यकरण संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के

अनुच्छेद 239 (एए)3(बी) के अन्तर्गत संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भाग या उससे जुड़े किसी प्रासंगिक मामले के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जैसा कि संविधान में निहित है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्ण रूप से अलग-अलग संस्थाएं हैं। राज्य सरकार के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। परन्तु वर्तमान संदर्भ में, संसद इस तथ्य के कारण हस्तक्षेप कर सकती है कि इस आशय की शक्ति उसे अनुच्छेद 239 एए 3 (बी) के अन्तर्गत उस समय प्रदत्त की गई जब कोई अन्य दल सत्ता में था। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने एक व्याख्या दी और इस व्याख्या के माध्यम से न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यदि सेवाओं को केंद्र सरकार के अधीन रखा जाना है, तो इस आशय से संबंधित कानून बनाना होगा। यदि सेवाओं को केन्द्र सरकार के अधीन रखा जाना है, तो इस संबंध में कानून बनाना होगा। निहितार्थ के रूप में, चूंकि केंद्र सरकार को अधिनियमित करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार भी भारत सरकार के पास ही निहित है। यह उल्लेख करते हुए कि कुछ सदस्यों ने मंत्रिमंडल टिप्पण के संबंध में मामला उठाया है, उन्होंने कहा कि राज्यों में भी मंत्रिमंडल टिप्पण मंत्रिमंडलीय सचिव के हस्ताक्षर के साथ मंत्रिमंडल को भेजे जाते हैं। फाइलों पर अनुमोदन मंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। मंत्रिमंडल टिप्पण को कभी भी मंत्री के हस्ताक्षर से नहीं भेजा जाता है। इसलिए सरकार को नियम बनाने पड़े। दिल्ली के ऐतिहासिक वृत्तांत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। उससे पहले पट्टाभि सीतारमैया समिति का गठन किया गया था। इसके बाद, 1956 में भारतीय क्षेत्र की अवधारणा लागू हुई। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, नगर निगम अधिनियम लागू किया गया और उसके बाद वर्ष 1987 में सरकारिया समिति के गठन के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। अनुच्छेद 249 कक में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। इसे 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। बालकृष्णन रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दिल्ली की कार्य प्रणाली और सेवाओं को केन्द्र सरकार के सुपुर्द किया जाना चाहिए। संविधान में संशोधन करते समय भी तत्कालीन गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में इसे उद्धृत किया था और उन्होंने कहा था कि बालकृष्णन ने यह बात दुनिया भर की राजधानियों के कामकाज की प्रणाली के गहन अध्ययन और अवलोकन के बाद ही कही है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि देश में एक विधान सभा अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा है जहां कोई सत्रावसान नहीं है। 2020 के पूरे वर्ष में बजट पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा का सिर्फ एक सत्र बुलाया गया था, जिसमें दो दिनों में 5 बैठकें हुई थीं क्योंकि बजट प्रस्तुतीकरण और इसे

पारित किया जाना अनिवार्य था। वर्ष 2021 में भी, केवल एक सत्र सम्पन्न हुआ था और ऐसा ही वर्ष 2022 और 2023 में हुआ है, वह भी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बजट पारित करने के लिए। वर्ष 2022 में, मंत्रिमंडल की केवल छः बैठकें बुलाई गई थीं। वर्ष 2023 में अब तक मंत्रिमंडल की सिर्फ दो बैठकें बुलाई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन पिछले दो वर्ष से नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक की दो रिपोर्टें सदन के पटल पर नहीं रखी गईं और आरआरटीएस, एम्स और आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से संबंधित 13 फाइलें उनके पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं और इनके संबंध में सरकार ने विचार नहीं करने का निर्णय किया है। मंत्री महोदय ने पुनः स्मरण कराया कि वर्ष 2016 में 5जी प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जिसे डीएमके पार्टी द्वारा शासित राज्य सहित देश के 16 राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023— 4 अगस्त 2023 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक एक साथ में दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। यह सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के बीच एकीकरण और सामंजस्य की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ताकि वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि इससे अंतर-सेवा संगठनों में अनुशासन में और सुधार होगा तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ एक इकाई या प्रतिष्ठान के सैनिकों को एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 में अंतर-सेवा संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मी अपने-अपने अधिनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। इन अधिनियमों के अंतर्गत, कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड अपनी सेवा के कर्मियों पर अपनी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जब विभिन्न सेवाओं के कर्मी किसी घटना में शामिल होते हैं तो अंतर-सेवा संगठनों में सेवारत कर्मियों को अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उनकी

मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजना आवश्यक होता है इससे न केवल विलम्ब होता है, बल्कि कर्मियों की आवाजाही के कारण पैसे भी खर्च होते हैं। इसलिए, सभी अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों के लिए एक सक्षम अधिनियम अधिनियमित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, ताकि उनके संगठनों में अनुशासन बनाए रखा जा सके और उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से और थल सेना, नौसेना और वायु सेना से जानकारी लेकर अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 का प्रारुप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को अधिक सशक्तय बनाने हेतु अनुशासनिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रावधान किया गया है ताकि वे अपने संगठनों में प्रभावी कमान, नियंत्रण और अनुशासन रख सकें और हमारी सुरक्षा अवसंरचना को और सुदृढ़ कर सकें, और इस विधेयक का कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

चर्चा की शुरुआत करते हुए कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौड़ (भाजपा) ने कहा कि 21वीं सदी के युद्ध की स्थिति को देखते हुए विभिन्न सैन्य बलों के एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए अंतर-सेवा विधेयक लाया गया है। विधेयक में सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के तीन अधिनियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस तरह से इन तीनों अधिनियमों के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, ऐसी कार्रवाई अब एक कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर-इन-चीफ द्वारा की जा सकती है। अगर कहीं भी अनुशासनहीनता का मामला होता है तो उस स्थिति में तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही होगी, इसलिए संभव है कि परिणाम भी तीन अलग-अलग तरह के हों। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। विधेयक में एक विशेष प्रावधान यह है कि यदि युद्ध की स्थिति होती है या ऐसी कोई आपात स्थिति होती है, तो कोई भी सैन्य बल, चाहे वह आईटीबीपी हो या सीमा सुरक्षा बल, को भी इस अंतर-सेवा संगठन विधेयक में शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो भी कमांडर-इन-चीफ है, वह कार्रवाई कर सके।

चर्चा में भाग लेते हुए श्री रितेश पांडेय (बहुजन समाज पार्टी) ने कहा कि यह विधेयक आवश्यक है क्योंकि इसमें पहले के तीन अधिनियमों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ताकि यदि कोई दंडात्मक कार्रवाई हो तो संबंधित प्रमुख सीधे कार्रवाई कर सकें। इसमें एक खामी यह दिखाई देती है कि इन तीनों अधिनियमों के अंतर्गत अब तक तीनों सेनाओं के लिए सजा भिन्न-भिन्न हुआ करती थी। उदाहरण के लिए, यदि नौसेना में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो महीने की सजा सुनाई जाती है, तो सेना में एक व्यक्ति को उसी के लिए

15 दिनों की सजा सुनाई जा सकती है। इसलिए सजा के प्रावधानों को एक समान करना नितांत आवश्यक है।

चर्चा का उत्तर देते हुए रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विधेयक में मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी तरह के परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक में केंद्र सरकार को अंतर-सेवा संगठन स्थापित करने की शक्ति प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) ने सिफारिश की है कि विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित किया जाए, और उन्होंने सदन से विधेयक को पारित करने का अनुरोध किया।

विधेयक पारित हुआ।

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023— 7 अगस्त 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रतिभा, भारत की समर्थता और क्षमता पहली बार वैश्विक मंच पर उभरी है। अंतरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। इसके परिणामस्वरूप इसरो के अंतर्गत 150 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में क्वांटम मिशन की शुरुआत की गई है, जिसने भारत को दुनिया के चौथे-पांचवें देशों की श्रेणी में रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण मील का पत्थर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसके अंतर्गत कोई भी विषय चुना जा सकता है, विषय बदल सकता है और अपनी प्रतिभा, कौशल और योग्यता के अनुसार रास्ता तय किया जा सकता है। इससे तारतम्य बिठाते हुए यह और भी जरूरी हो जाता है कि उस प्रतिभा और क्षमता को पूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए इस तरह के एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह संस्था इस बात का भी ध्यान रखेगी कि उद्योगों को भी कैसे जोड़ा जाए ताकि अनुसंधान, शिक्षा, उद्योग, स्टार्टअप और उद्यमिता का स्वस्थ तालमेल हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के बजट का आकलन किया गया है।

चर्चा शुरू करते हुए श्री जगदंबिका पाल (भाजपा) ने कहा कि अब तक हम अनुसंधान, प्रौद्योगिकी या विकास के लिए दुनिया के अन्य प्रगतिशील देशों पर निर्भर रहते थे और 'मेक इन इंडिया' के लिए काम करने हेतु उनकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे। इस बोर्ड की

स्थापना के बाद, दुनिया प्रौद्योगिकी के लिए हम पर निर्भर करेगी और निश्चित रूप से इसका उपयोग करने के लिए आगे आएगी। अब तक, एसईआरबी बोर्ड-विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड रहा है, जिसका कार्यक्षेत्र बेहद सीमित था। इस बोर्ड की स्थापना के साथ, भारत के अनुसंधान सम्बन्धी बुनियादी ढांचे को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि भारतीय प्रतिभा का भारत में ही उपयोग हो। विधेयक में हरित हाइड्रोजन अर्थात् ईंधन स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन और हाइड्रोजन उत्पादन की एक नई विधि की बात की गई है। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81 वें स्थान से 40 वें स्थान पर पहुंच गया है और निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर है। पिछले दस वर्षों में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। अनुसंधान और विकास क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हो गई है। भारत विश्व में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में तीसरे स्थान पर है। पीपीपी के संदर्भ में भारत का अनुसंधान और विकास सम्बन्धी कुल व्यय 68 बिलियन डॉलर है जो दुनिया में छठा है। जीएसडीपी के सापेक्ष में अनुसंधान एवं विकास पर राज्य व्यय 0.08 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भारत में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा व्यय में असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता है।

[11]*चर्चा में भाग लेते हुए* डॉ. तलारी रंगैया (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का विकास करना है। एनआरएफ विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमताओं को विकसित करेगा और नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि एनआरएफ की सबसे सराहनीय विशेषताओं में से एक यह है कि यह मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला में अनुसंधान के मूल्य को मान्यता प्रदान करता है। एनआरएफ उन क्षेत्रों की पहचान करने और प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप राष्ट्रीय उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर देश का खर्च वर्तमान में हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत से नीचे है। प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुसंधान वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है लेकिन राज्य के विश्वविद्यालयों को बहुत कम धनराशि मिलती है। यह अत्यधिक चिंता का विषय है। सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से वित्तपोषण बढ़ाने पर एनआरएफ द्वारा बल दिया जाना इस दिशा में एक सही कदम है। अनावश्यक विलम्ब के बिना शोधकर्ताओं के लिए अपनी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए धनराशि का समय पर संवितरण महत्वपूर्ण है। इस संबंध में महिलाओं और अनुसूचित

11. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यः सर्वश्री मलूक नागर, जयंत सिन्हा और सरदार सिमरनजीत सिंह मान।

जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

चर्चा का उत्तर देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री,डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने अन्य भारतीय भाषाओं में भी विज्ञान के अध्यापन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। देश लोकतंत्रीकरण की ओर बढ़ रहा है और सभी युवाओं और छात्रों को भाषा-तटस्थ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैविक खेती के क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है। विश्व नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स) में हमारी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 से पहले देश में 350-400 स्टार्टअप थे, जो तब से एक लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप की संख्या केवल 50 थी जो अब बढ़कर 6000 हो गई है। टीकाकरण का विकास भी एक सफलता की कहानी है। यह विधेयक मानव संसाधनों के लोकतंत्रीकरण के साथ-साथ वित्तपोषण के लोकतंत्रीकरण की सिफारिश करता है। वित्तपोषण प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया था। प्रतिस्पर्धा में बड़े संस्थान का प्रदर्शन उत्कृष्ट होता है। प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में किया गया था ताकि उनके लिए निर्धारित राशि उनके पास रहे। भारत ने उन वैश्विक मुद्दों पर अग्रणी भूमिका निभाई है जिन पर पहले कुछ तथाकथित विकसित देशों का अधिकार था। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में चाहे कितनी भी प्रगति हो, कितना भी विकास हो और अर्थव्यवस्था में कितनी भी वृद्धि हो, यह पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी। न केवल प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है बल्कि इसकी गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चुनौती होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव प्रतिभा के बीच इष्टतम तालमेल होगा। भारत जब अपनी आजादी की सौवीं वर्षगांठ मनाएगा, तो उस शिखर पर पहुंचने के लिए और अपनी मान्यता कायम करने के लिए हमें भौगोलिक मानदंडों पर खरा उतरना होगा। हमारे मानदंड, हमारी चुनौतियां, हमारी रणनीतियां और हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता वैश्विक होनी चाहिए। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वैज्ञानिक संसाधनों के लोकतांत्रिक तरीके से एकत्रीकरण में सक्षम बनाएगी। माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऐसे युवा हैं जो अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए तत्पर हैं और ऐसे उद्योग भी हैं जो निवेश करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक केवल विज्ञान और नवाचार

तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विधेयक पारित हुआ।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2023— 7 अगस्त 2023 को, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी ने *चर्चा आरंभ करते हुए कहा:* तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 ने विशेष रूप से तटीय जलकृषि क्षेत्र को सीआरजेड अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि एनजीटी के हालिया फैसले ने एक अलग व्याख्या दी है जिस कारण मुकदमों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी और जब तक इस पर शीघ्र और उपयुक्त ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता, नए निवेश आकर्षित करना कठिन होगा। इसके अलावा, पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण अपरिहार्य था। इसी प्रकार, अधिनियम में निर्धारित कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता है। सीएए अधिनियम में बिना पंजीकरण के तटीय जलकृषि करने पर तीन साल तक की कैद का प्रावधान है। छोटी-छोटी चूक के लिए गरीब लोगों को जेल भेजना मत्स्यपालकों के लिए बहुत गंभीर उत्पीड़न है। यह विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति के अपराध के लिए बहुत कठोर सजा प्रतीत होती है। समय के साथ, तटीय जलकृषि की परिभाषा झींगा जलकृषि से आगे बढ़ गई है, जिसने सरकार को यह संशोधन लाने के लिए प्रेरित किया। हैचरी को तटीय जलकृषि में शामिल किया गया है या नहीं, इसमें कुछ अस्पष्टताएं हैं। संशोधन के जरिये यह अस्पष्टता दूर होने की उम्मीद है। इस तटीय जलकृषि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समय-समय पर जारी सीआरजेड अधिसूचना के साथ सीएए अधिनियम का सामंजस्य स्थापित करना और सीएए अधिनियम के तहत दिए गए पंजीकरण को सीआरजेड विनियमों के तहत वैध अनुमति के रूप में मानना है। यह संशोधन हमारे मछुआरों, मत्स्य किसानों, हमारे प्रसंस्करणकर्ताओं के हित में है। प्रस्तावित प्रमुख संशोधन अधिकतर उन अपराधों को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के लिए हैं जो सिविल प्रकृति के हैं। कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए समितियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकरण को सशक्त बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

[12]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में, जलकृषि में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, लगभग 15 प्रतिशत प्रति वर्ष

12. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य: सर्वश्री मलूक नागर, पी.पी.चौधरी, राजेश नारणभाई चुड़ासमा और मनोज तिवारी ।

की सीमा तक। इस विकास गाथा में, आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहा है, भारत से लगभग 70 प्रतिशत निर्यात वास्तव में आंध्र प्रदेश से होता है। उन्होंने माननीय मंत्री से निवेदन किया कि वे इस प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में बदलाव करें ताकि किसान केंद्र सरकार से सब्सिडी ले सकें और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकें ताकि ऊर्जा लागत, भोजन लागत और आदानों संबंधी अन्य लागतों को कम किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि भारत में मुख्य रूप से झींगा पालन के लिए चार सौ पंजीकृत हैचरियां हैं और सुझाव दिया कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा इन चार सौ हैचरियों को पंजीकृत किया जाए और समय-समय पर वहां निरीक्षण किया जाए। यदि हैचरी स्तर पर ही कोई एंटीबायोटिक पाया जाता है तो उन पर छह से आठ महीने के लिए प्रतिबंध लगा दें। मुख्य रूप से तटीय राज्यों में अधिक संख्या में परीक्षण प्रयोगशालाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी, कुछ ही परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिन तक केवल कुछ ही किसानों और हैचरी की पहुंच है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण में ग्यारह सदस्यों में से चार सदस्य तटीय राज्यों से हैं। लेकिन नौ तटीय राज्य जलकृषि में शामिल हैं। इसलिए, बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक तटीय राज्य से एक सदस्य का वास्तव में प्रतिनिधित्व हो। साथ ही, प्राधिकरण में तटीय समुदाय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उन्होंने माननीय मंत्री से तटीय समुदाय को भी शामिल करने का निवेदन किया।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने *चर्चा का उत्तर देते हुए कहा* कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने के बाद से स्थायी समिति ने बहुत प्रयास किए और सभी तटीय राज्यों, हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और सभी के सुझाव प्राप्त करने के बाद, 56 टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। विभाग ने समिति द्वारा अनुशंसित 56 संशोधनों में से 45 को स्वीकृति दे दी है। पुराने कानून में ऐसी व्यवस्था थी कि चार तटीय राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था और रोटेशन होता रहता था। एक समिति ने सुझाव दिया था कि सभी तटीय राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सरकार ने समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। सदस्य-सचिव से 'सदस्य' शब्द हटा दिया गया है और 'सचिव' शब्द को बरकरार रखा गया है, जिससे भारत सरकार के अधिकारियों के बड़े पूल से अधिकारियों की नियुक्ति में सुविधा होगी। सरकार द्वारा इस स्वतंत्र मंत्रालय के गठन के बाद, 20,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में किसानों को व्यक्तिगत रूप से इसका लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। गहरे पानी में मछली पकड़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि पहले पारंपरिक मछुआरे वहां नहीं जा सकते थे। सिर्फ पंजीकरण

न होने की वजह से मछुआरे के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान था। आज देश के करोड़ों मछुआरों को सजा के इस प्रावधान से मुक्त करने का फैसला लिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज के युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और सरकार नीतिगत समर्थन प्रदान कर रही है और इस संबंध में राज्य सरकारों से सहयोग भी प्राप्त हो रहा है।

विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023— 7 अगस्त 2023 को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विधेयक में 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले व्यापक स्तर पर सार्वजनिक परामर्श किया गया है। विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक की भाषा एकदम सरल रखी गयी है, ताकि आम आदमी भी इस विधेयक को समझ सके। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इस विधेयक में 'ही' की जगह 'शी' का व्यवहार किया गया है, 'हिज' की जगह 'हर' का व्यवहार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल डेटा संरक्षण के कई स्वीकृत सिद्धांत हैं और उन सारे सिद्धांतों का इस विधेयक में अच्छी तरह से समागम किया गया है। इन सिद्धांतों के आधार पर अब किसी भी व्यक्ति का डाटा कानूनन जिस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा, उसी उद्देश्य के लिए उसका व्यवहार होगा तथा अगर किसी व्यक्ति के वैयक्तिक डाटा में कोई बदलाव होता है तो वह बदलाव प्लेटफॉर्म्स भी प्रतिबिंबित करेंगे। डाटा को जितने समय के लिए रखने की जरूरत है, उतने ही समय उसका उपयोग किए जाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसके अलावा "उचित सुरक्षोपाय के सिद्धांत" के तहत, किसी भी डाटा की सुरक्षा और सुरक्षा का दायित्व संस्थानों को दिया गया है और जवाबदेही के सिद्धांत के अनुसार, विधेयक में नागरिकों के डाटा की जवाबदेही का भी प्रावधान है। विधेयक में प्रावधान है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में नोटिस दिया जाएगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को वही सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को सुलभ होंगी। स्वैच्छिक नवाचार, वैकल्पिक विवाद, स्वैच्छिक वचन और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे कुछ कानूनी नवाचार भी विधेयक में किए गए हैं। इस विधेयक में केवल चार छूटों का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह विधेयक विश्व के सभी मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है और उच्चतम न्यायालय के पुट्टास्वामी निर्णय के सभी तीन सिद्धांतों को विधेयक में शामिल किया गया है।

चर्चा की शुरूआत करते हुए श्री पी.पी. (भाजपा) ने कहा कि आज देश और दुनिया भर में सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग को ध्यान में रखते हुए डाटा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने याद दिलाया कि पुट्टास्वामी निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि निजता एक मौलिक अधिकार है। इस विधेयक के अनुसार, डाटा को गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिए संसाधित नहीं किया जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विवरण के साथ एक नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसमें डाटा एकत्र करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए। प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि यदि आपने सहमति दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सहमति अच्छे के लिए लागू रहेगी। विधेयक में सहमति वापस लेने का भी प्रावधान है। लेकिन, यदि कोई लाभ दिया जा रहा है, तो सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। विधेयक में इस बारे में सब कुछ बताया गया है कि कहां किसी व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता है और कहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

[13]*चर्चा में भाग लेते हुए* श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (वाईएसआरसीपी) ने कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि कुछ खंडों में कतिपय अस्पष्टता है। उन्होंने बताया कि अध्याय 1 के खंड 2 में, नुकसान, भंडारण आदि के संबंध में कोई सही परिभाषा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक नुकसान को परिभाषित नहीं किया जाता, तब तक नुकसान के परिणामों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि डाटा सुवाह्यता या भूल जाने का अधिकार विधेयक में उल्लिखित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक राज्यों को लाभ, सेवाएं, लाइसेंस आदि प्रदान करने जैसे उद्देश्यों के लिए व्यक्ति की चिंताओं की परवाह किए बिना व्यक्तिगत डाटा को संसाधित करने की अनुमति देता है। आरटीआई कानून में संशोधन के तहत निजी सूचनाओं के प्रकटन पर रोक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नए संशोधन के तहत कुछ जानकारी प्राप्त करना अब संभव नहीं होगा।

रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने *चर्चा का जवाब देते हुए कहा* कि चर्चा के दौरान नुकसान की परिभाषा के बारे में एक मुद्दा उठा। उन्होंने बताया कि नुकसान की परिभाषा धारा-2(ब) में दी गई है और उस नुकसान की भरपाई लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत की जा सकती है। दूसरी बात बच्चों की उम्र को लेकर सामने आई। माननीय मंत्री ने कहा कि इस संबंध में बहुत स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि श्रेणीबद्ध तरीके से, उम्र के अनुसार, बच्चों द्वारा कौन से ऐप का उपयोग किया जा सकता है और किन

13. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य: सर्वश्री रितेश पाण्डेय, जयदेव गल्ला, सय्यद ईमत्याज जलील, संजय सेठ, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी।

ऐप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, विधेयक में यह एक बहुत अच्छा प्रावधान शामिल किया गया है। चर्चा के दौरान जो तीसरा मुद्दा सामने आया है वह माता-पिता की सहमति के बारे में है। आज हमारे पास डिजी लॉकर जैसे कई डिजिटल मीडिया हैं, जिनके माध्यम से माता-पिता की अनुमति भी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्वायत्तता का मुद्दा भी सामने आया है, स्वायत्तता विधि से आएगी। स्वायत्तता का तात्पर्य है कि कोई भी सदस्यों के संबंध में बने नियमों और शर्तों को नहीं बदल सकता है। इन सभी बातों का विधेयक में बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक की धारा-28 में स्पष्ट प्रावधान है कि बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय होगा। डेटा लोकलाइजेशन की भी बात की गई है। धारा-16 में बहुत स्पष्ट प्रावधान हैं कि क्षेत्र में उसकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विनियम बनाए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक एक क्षैतिज अधिनियमन है, अर्थात इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होता है। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड एक न्यायिक निकाय नहीं है और बोर्ड के ऊपर एक अपीलीय निकाय, टीडीएसएटी है। टीडीएसएटी के अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य हैं और टीडीएसएटी से ऊपर उच्चतम न्यायालय है। हर चीज के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली है। उस प्रणाली में, कोई भी व्यक्ति न्यायिक तंत्र के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।

विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

मध्यकता विधेयक, 2023 (राज्य सभा द्वारा यथापारित)— 7 अगस्त 2023 को विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत वर्तमान में कार्य कर रहे मध्यकता केंद्रों को कानूनी सहायता प्रदान करने और उन्हें एक कानूनी आधार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि इससे जीवनयापन सुकर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई मुकदमा होता है तो पैसा भी खर्च होता है और समय भी लगता है और ऐसे मामलों को मध्यकता के जरिए पहले ही निपटाने की जरूरत है ताकि मामलों की संख्या कम हो और जीवनयापन की सुकरता बढ़े।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भाजपा) ने *चर्चा की शुरुआत करते हुए* कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिन्हें आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। मध्यकता इस तरह से की जानी चाहिए कि अदालत का समय और दोनों पक्षों का पैसा बर्बाद न हो और उन्हें उचित समय पर सही सलाह और सही निर्णय मिले। इसके अलावा जिस अधिनियम में विवादों के समाधान का प्रावधान

है, उसमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि मध्यकता अधिनियम को लागू किया जा सकता है। विधेयक में एक समय सीमा भी है। यदि एक मध्यकता शुरू होती है, तो इसे 180 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। यदि यह 180 दिनों में पूरा नहीं होता है, तो दोनों पक्षों के अनुरोध पर इसे 180 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह एक अच्छा प्रावधान है। यह उद्योग जगत के लिए बहुत अच्छा है। यह ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए उत्तम है।

[14]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री एन.रेड्डप्प (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि विधेयक कुछ कानूनी खामियों को दूर करता है। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक भारतीय न्याय प्रणाली के कार्यभार को कम करने का एक सफल प्रयास करता है और निजी, ऑनलाइन और सामुदायिक मध्यकता को स्वीकार्य प्रथाओं के रूप में प्रोत्साहित करके मौजूदा कानूनी ढांचे में कमी को दूर करता है। यह देश में मध्यकता के लिए पालन की जाने वाली एक समान प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इस विधेयक में अभिसमय के अंतर्राष्ट्रीय मध्यकता समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक घरेलू उपाय शामिल हैं। यह भारत के वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को भी सुदृढ़ करता है। मध्यकता के लिए अधिक प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थानों की स्थापना से निश्चित रूप से कुशल और अकुशल दोनों तरह के रोजगार की दर में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि उपलब्ध मध्यस्थों की संख्या और बड़ी संख्या में मध्यस्थ प्रदान करने के परिवेश की क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारत में अनिवार्य मुकदमेबाज़ी-पूर्व मध्यस्थता के लिए एक रूपरेखा की योजना बनाई जानी चाहिए। विधेयक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय में लोगों या परिवारों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए 'सामुदायिक मध्यकता' स्थापित करने का प्रावधान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक में कहा गया है कि मध्यस्थता निपटान समझौते अदालत के फैसले या डिक्री के समान लागू किए जाने योग्य होंगे और उनका मानना है कि यह कॉर्पोरेट विवादों के त्वरित मध्यस्थता समाधान की अनुमति देकर भारत की व्यापार करने की सुगमता की साख में सुधार करेगा।

चर्चा का उत्तर देते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में मुकदमों की भरमार है और उन्हें कम करना सरकार की प्राथमिकता है। इसका एक माध्यम ए.डी.आर. है। इसमें मध्यस्थ, मध्यस्थता और सुलह भी शामिल है। मध्यकता विधेयक से लंबित मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी और आने वाले समय में जब इसकी कानूनी पृष्ठभूमि बनेगी तो लोग मध्यस्थता की ओर भी आकर्षित होंगे। सरकार जो मध्यकता

14. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य: सर्वश्री मलूक नागर एवं वीरेन्द्र सिंह।

विधेयक ला रही है वह एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसमें कानूनी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थता से हटने का विकल्प भी है। यदि मध्यस्थता प्रक्रिया के बीच में भी कोई पीछे हटना चाहता है तो वह हट सकता है। मध्यस्थ के लिए नियुक्तियां होंगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और अपेक्षित बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। माननीय मंत्री ने कहा कि मध्यस्थ कानूनी पृष्ठभूमि का होगा, वह सिविल सोसाइटी से भी हो सकता है। विधेयक मध्यस्थता को एक समयबद्ध प्रक्रिया बनाता है, और विवाद समाधान प्रक्रिया के दौरान और बाद में पक्षों के अपने संबंधों को जारी रखने की अधिक संभावना है। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मध्यस्थता की भी व्यवस्था है। उन्होंने आगे कहा कि न केवल पारिवारिक और भूमि विवाद, बल्कि व्यावसायिक विवाद, यदि कोई हो, को भी मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा।

विधेयक पारित हुआ।

भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023— 7 अगस्त 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया ने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद, देश के सभी कानूनों को जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया था। जम्मू-कश्मीर में भेषजी अधिनियम भी लागू हुआ, लेकिन इसमें दो परिस्थितियां थीं। वर्ष 2020 में जब जम्मू-कश्मीर में एक संघ राज्यक्षेत्र के रूप में भेषजी अधिनियम लागू हुआ था, तब 1955 में बना भेषजी अधिनियम जम्मू-कश्मीर में लागू था और इसे निरस्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत, यह प्रावधान किया गया था कि पहले से ही पंजीकृत फार्मासिस्ट, नए भेषजी अधिनियम के तहत पंजीकृत माने जाएंगे। सभी स्थानों पर, वे भेषजी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत थे। लेकिन जम्मू-कश्मीर में एक अलग व्यवस्था थी। दो वर्ष का कोर्स था जिसे मेडिकल असिस्टेंस कोर्स कहा जाता था। उन्हें मेडिकल असिस्टेंस कोर्स में भेषजी पंजीकरण भी प्राप्त हुआ। भेषजी का पंजीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नए भेषजी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत माना जाता था। उन्हें एक वर्ष के अंदर एक प्रपत्र भरना होता था और अपना पंजीकरण कराना होता था। मेडिकल असिस्टेंस दो वर्ष का कौशल विकास पाठ्यक्रम था। लेकिन दो वर्ष बाद अर्थात् जिन्होंने आज प्रवेश लिया है, उनकी शिक्षा दो वर्ष बाद पूरी होगी और वे बाद में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में आएंगे, इसलिए उन्हें रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होंगे। उन्हें भेषजी में पंजीकरण नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से, सरकार भेषजी अधिनियम के 32(ग) में संशोधन कर रही है ताकि उन

सभी को भेषजी अधिनियम के अनुसार पंजीकरण प्रदान किया जा सके जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंस का एक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और जिन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले या बाद में प्रवेश लिया है। यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। वे भेषजी अधिनियम के अनुसार पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

[15]*चर्चा आरम्भ करते हुए* डॉ. ढालसिंह बिसेन (भाजपा) ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद नए संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और जम्मू-कश्मीर बनाए गए, जिसके कारण उस समय के प्रचलित भेषजी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। इसके निरसन के कारण संघ राज्यक्षेत्र की एक अलग भेषजी परिषद का गठन किया गया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भेषजी परिषद का गठन किया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें इस कानून से लाभ नहीं मिल रहा था। 1948 के कानून को निरस्त नहीं किया गया था और यही कारण है कि 5 अक्तूबर 2020 को गृह मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी किया। पिछले कानून में लोगों से कहा गया था कि जितने भी लोग पुराने कानून के अनुसार पंजीकृत हैं, उन्हें पंजीकृत माना जाएगा, लेकिन उन लोगों द्वारा किए जाने वाले पंजीकरण के लिए समय सीमा केवल एक वर्ष दी गई थी और उन्हें वर्ष 2020 में ऐसा करना था। कतिपय कारणों से विलंब होने और वहां परिषद् की कमी के कारण उनका पंजीकरण नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बहुत कम लोग जो इस कानून से पहले पंजीकृत थे, वे अपना पंजीकरण करा पाए। अतः उन्हें मुख्यधारा में लाने और उन्हें प्रैक्टिस करने में सक्षम बनाने और इन सभी को शामिल करने के लिए सरकार विधेयक लाई है ताकि आने वाले समय में छात्रों को परेशानी न उठानी पड़े और वे सभी जो छूट गए हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा।

चर्चा का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से वहां विकास की गति तेज हुई है। वहां स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हो गया है। भारत आयुष्मान योजना का कार्यान्वयन दूर-दराज के जिलों में भी शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत कार्ड योजना संतोषजनक स्तर तक पहुंच रही है। लोगों को भारत आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं। वहां स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेली-परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक एम्स जम्मू में और दूसरा

15. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य: डॉ. संजीव कुमार शिंगरी।

श्रीनगर में बन रहा है। दो एम्स और जिला अस्पतालों को हब और स्पोक के रूप में तैयार किया गया है।

विधेयक पारित हुआ।

ग. प्रश्नकाल

सत्रहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र 20 जुलाई, 2023 को आरम्भ हुआ और 11 अगस्त, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान मंत्रालयों के समूह, बैठकों की तिथियों, बैलट्स की तिथियों और प्रश्नों की सूचना प्राप्ति की अंतिम तिथियों को दर्शाने वाला एक विवरण 1 जुलाई 2023 के समाचार भाग-दो के साथ सदस्यों के पोर्टल के माध्यम से सदस्यों को परिचालित किया गया था। सत्र के लिए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं 1 जुलाई 2023 से ही प्राप्त होने लगीं थीं। प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 थी।

दो या अधिक मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रश्नों सहित तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की कुल सूचनाओं की संख्या 21815 थी। तथापि दो या अधिक मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रश्नों को अलग- अलग करने पर सदस्यों द्वारा सभा पटल पर रखे गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की वास्तविक संख्या 21629 (तारांकित प्रश्न 9936 + अतारांकित प्रश्न 11693) थी। सदस्यों से पांच (5) अल्पकालीन प्रश्नों की सूचनाएं (एसएनक्यू) भी प्राप्त हुई। किसी एक दिन बैलट के लिए सम्मिलित किए गए प्रश्नों की अधिकतम सूचनाओं की संख्या 4 अगस्त 2023 को हुई बैठक में 1362 (तारांकित प्रश्न 606 + अतारांकित प्रश्न 756) थी। किसी एक दिन बैलट के लिए सम्मिलित किए गए प्रश्नों की न्यूनतम सूचनाओं की संख्या 11 अगस्त 2023 को हुई बैठक में 1102 (तारांकित प्रश्न 480 + अतारांकित प्रश्न 622) थी। बैलट के लिए शामिल किए गए अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 4 अगस्त 2023 और 20 जुलाई 2023 को क्रमशः 331 और 275 थी।

सूचनाओं की ग्राह्यता की जांच लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, अध्यक्ष के निदेशों, संसदीय परंपराओं और पूर्वोदाहरणों के आलोक में की गई। प्राप्त तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों की 21815 सूचनाओं (अलग-अलग किये गये प्रश्नों सहित) में से 340 प्रश्न तारांकित प्रश्नों की सूचियों में और 3910 प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में शामिल किए गए थे।

सत्र के दौरान प्राप्त पांच (5) अल्प सूचना प्रश्न अस्वीकृत कर दिए गए या व्यपगत हो गए।

गृहीत प्रश्नों की सूचनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा दर्शाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने अधिकतम प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) अर्थात् 350 प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके पश्चात् रेल मंत्री ने 197 प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का उत्तर दिया।

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 388 सदस्यों के नाम सम्मिलित किए गए। गृहीत/युग्मित अधिकतम प्रश्नों की संख्या 44 थी जो संसद सदस्य श्री राहुल रमेश शेवाले के थे।

प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः 4 अगस्त 2023 को 336 और 11 अगस्त 2023 को 283 थी। सत्र के दौरान आधे घंटे की चर्चा के लिए एक (1) सूचना प्राप्त हुई थी किन्तु उसे अनुमति प्रदान नहीं की गयी। लोक सभा में पूर्व में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में संशोधन के लिए मंत्रियों द्वारा एक (1) वक्तव्य प्राप्त हुआ।

सत्र के दौरान कुल 50 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया/लिया गया। प्रति बैठक औसतन 2.941 तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। तारांकित सूची के सभी 20 प्रश्न 9 अगस्त 2023 को पूछे गए। तथापि, अनुपूरक प्रश्न पूछे गए और 9 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। एक मंत्री (वाणिज्य और उद्योग) द्वारा एक दिन में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 9 अगस्त 2023 को 5 (पांच) थी और एक दिन में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या 25, 27, 28 जुलाई 2023 और 7, 8, 10, 11 अगस्त 2023 को 1(एक) थी।

सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित प्रश्नों की औसत संख्या प्रतिदिन 230 थी। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर में कुल 4200 (290+3910) विवरण सभा पटल पर रखे गए।

घ. निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान लोक सभा के दो वर्तमान सदस्यों सर्वश्री रतन लाल कटारिया और बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर और लोक सभा के सोलह पूर्व सदस्यों सर्वश्री प्रकाश सिंह बादल, रंजीत सिंह, सुजान सिंह बुंदेला, संदीपन थोराट, अतीक अहमद, त्रिलोचन कानूनगो, इलियास आजमी, अनादि चरण दास, निहाल सिंह, राज करण सिंह, कल्याण जैन, बापूसाहेब पारुलेकर, वक्कोम पुरुषोत्तम, जनार्दन प्रसाद मिश्रा, राम सिंह यादव और डॉ. विश्वाधाम कनिथी के निधन के बारे में उल्लेख किया गया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

तेरहवां सत्र

सत्रहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र (विशेष सत्र) 18 सितंबर 2023 को शुरू हुआ और 21 सितंबर 2023 को समाप्त हुआ।

ऐतिहासिक सत्र के दौरान, सदन की 31 घंटे में कुल 4 बैठकें हुईं और महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य संपन्न हुए। यह सत्र हमारे संसदीय इतिहास में एक अत्यंत उल्लेखनीय सत्र के रूप में माना जाएगा क्योंकि इस सत्र के दौरान संसद के नए भवन में कार्यवाही शुरू हुई थी। सत्र के दौरान, एक सरकारी विधेयक, नामतः 'संविधान (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन) विधेयक, 2023', लोक सभा में पुनः पुरःस्थापित हुआ। तत्पश्चात्, सभा ने इस विधेयक पर विचार-विमर्श किया। तेरहवें सत्र के दौरान सभा में 160 प्रतिशत कार्य संपन्न हुआ।

तेरहवें सत्र के दौरान किए गए महत्वपूर्ण विचार-विमर्श और अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(क) चर्चा/वक्तव्य

"संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा— उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और जानकारी" विषय पर चर्चा— 18 सितंबर 2023 को माननीय अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संसद भवन स्वतंत्रता के ऐतिहासिक क्षण से भारत के संविधान को बनाने की पूरी प्रक्रिया के साथ-साथ हमारे आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का गवाह रहा है। स्वतंत्र भारत की लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर ने 15 मई 1952 को अपना पदभार ग्रहण किया। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और कई अन्य संसदीय समितियों का गठन किया और सदन में सर्वोच्च परंपराओं की नींव रखी। श्री बिरला ने आगे कहा कि 16 माननीय अध्यक्षों ने उनसे पहले सदन की अध्यक्षता की है और उन सभी ने सर्वोत्तम परंपराएं स्थापित की हैं। अब तक 15 माननीय प्रधान मंत्रियों ने इस कक्ष के माध्यम से राष्ट्र का नेतृत्व किया है। इन सभी ने अपने विचारों और कार्यों से देश के भविष्य का निर्माण किया है। यह सदन संवादात्मक संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है। पिछले 75 वर्षों में विभिन्न दलों के बीच आम सहमति और असहमति के बीच, देश के हित में सामूहिक रूप से निर्णय लिए गए। संसदीय विचार-विमर्श के माध्यम से, देश के लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक

परिवर्तन के लिए कानून बनाए गए। आपदा और संकट के समय इस सभा ने एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ इसका सामना किया। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि अब से सदन की कार्यवाही नए भवन में संचालित की जाएगी और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संसद के नए भवन में देश का लोकतंत्र नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

चर्चा शुरू करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आजादी से पहले यह सदन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का चैंबर हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद, इसे संसद भवन के रूप में मान्यता मिली। इस भवन को बनाने का विचार विदेशी शासकों का था, लेकिन देशवासियों का पसीना, मेहनत और धन इस भवन के निर्माण में लगा है। देश की 75 वर्षों की यात्रा ने कई लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रथाओं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुराना भवन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 'अमृत काल' की पहली सुबह के प्रकाश से राष्ट्र में एक नये विश्वास, नये आत्मविश्वास, नये उत्साह, नये संकल्प और राष्ट्र में नई ताकत का संचार हो रहा है। चंद्रयान-3 की सफलता से न केवल पूरा भारत अभिभूत था, बल्कि भारत की क्षमता का यह नया रूप 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों और उनके सहयोगियों को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में जब गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था तो इस सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर देश के प्रयासों की सराहना की थी। आज सदन ने भी सर्वसम्मति से जी-20 की सफलता की सराहना की। जी-20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की सफलता है। भारत को इस बात पर गर्व होगा कि उसकी अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ इसका सदस्य बन गया। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारत को एक मित्र राष्ट्र के रूप में पहचान रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र आज हमें एक साथ लाने में दुनिया को जोड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस सदन से विदाई लेना बहुत भावुक क्षण है। इन 75 वर्षों में, हमने इसी सभा में एक नए स्वतंत्र भारत के निर्माण से संबंधित कई घटनाक्रम देखे हैं। इसकी स्थापना के बाद से, दोनों सदनों में संयुक्त रूप से 7500 से अधिक जन प्रतिनिधियों ने योगदान दिया है। 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा बढ़ाई है। आजादी के बाद बड़े-बड़े विद्वानों ने कई आशंकाएं व्यक्त की थीं— देश का क्या होगा, वह कार्य कर पाएगा या नहीं, एकजुट रहेगा या बिखर जाएगा, लोकतंत्र रहेगा या नहीं, लेकिन इस देश की संसद की शक्ति यह है कि उसने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है और यह राष्ट्र पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा है। इस भवन में संविधान सभा की सभी बैठकें

2 वर्ष 11 महीने की अवधि के लिए आयोजित की गई थीं और उसमें संविधान को देश के लिए मार्गदर्शक माना गया था, जो आज भी मार्गदर्शन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 75 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि देश के आम लोगों का इस संसद के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनका इस महान संस्था के प्रति अटूट विश्वास है। अनेक चुनौतियों के बावजूद हर अध्यक्ष ने दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का आज भी संदर्भ लिया जाता है। लोकतंत्र के इस सदन पर आतंकवादी हमला हुआ था। यह आतंकी हमला किसी भवन पर नहीं था, यह 'लोकतंत्र की जननी' पर हमला था। उन्होंने सदन और हर सदस्य को बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने सीने पर गोलियां खाने वालों को नमन किया। उन्होंने उन पत्रकारों को याद किया जिन्होंने आजीवन संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग की है। उन्होंने कहा कि यह वही सदन है जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बार अपनी बहादुरी और ताकत से अंग्रेजी हुकूमत को बम धमाके से चेताया था। यहीं से लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था और यहीं पर हरित क्रांति की मजबूत नींव रखी गई थी। बांग्लादेश की मुक्ति के आंदोलन को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस सदन ने भी समर्थन दिया था। इसी सभा में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया था। इस सदन में देश की युवा पीढ़ी को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करके मतदान कर योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर मंत्रालय का सृजन किया। परमाणु परीक्षण भारत की क्षमता का प्रतीक बन गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, 'एक राष्ट्र एक कर' और जीएसटी पर निर्णय भी इस सदन में लिए गए। इस सभा ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) और गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित निर्णयों को भी देखा है। प्रधान मंत्री ने कहा कि मौजूदा सांसदों के लिए इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनना विशेष सौभाग्य का क्षण है।

[16]*चर्चा में भाग लेते हुए* श्री अधीर रंजन चौधरी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने कहा

16. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यगण: सर्वश्री गिरिधारी यादव, गिरीश चन्द्र, मनीष तिवारी, नामा नागेश्वर राव, हसनैन मसूदी, चिराग पासवान, ई.टी. मोहम्मद बशीर, के. सुब्बारायण, जयदेव गाला, पी.वी. मिधुन रेड्डी, एस. वेंकटेशन, ए. राजा, अरूण साव, असादुद्दीन ओवेसी, अरविंद कुमार सावंत, एन.के. प्रेमचन्द्रन, इंद्रा हांग सुब्बा, हनुमान बेनीवाल, एम. बदरुद्दीन अजमल, सुशील कुमार रिंकू, डॉ. एस.टी. हसन, डॉ. थोल तिरुमावलवन, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती नवनित रवि राणा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल।

कि जब संसद में संविधान या लोकतंत्र पर चर्चा होती है, तो उस समय माननीय पंडित नेहरू जी और माननीय बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बात की जाती है। हम नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर जी को संविधान का जनक मानते हैं। नेहरू जी ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र कई सद्गुणों की मांग करता है। यह न केवल क्षमता और काम के प्रति एक निश्चित समर्पण की मांग करता है, बल्कि सहयोग, आत्म-अनुशासन और संयम का एक बड़ा उपाय भी है। हालांकि उन्हें संसद में भारी बहुमत प्राप्त था, लेकिन वह विपक्ष की बातें सुनने से कभी थकते नहीं थे और उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देते समय कभी भी मजाक नहीं उड़ाते थे, ध्यान नहीं भटकाते थे। उन्होंने न केवल एक कठिन परिस्थिति में राष्ट्र का नेतृत्व किया, बल्कि वह प्रमुख शक्ति और अग्रणी थे जिन्होंने अपने अपार योगदान से हमारे संसदीय लोकतंत्र को एक अद्भुत शुरुआत दी है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमें बाबा साहेब अंबेडकर के मंत्र, जवाहरलाल नेहरू और अन्य दिग्गजों के मंत्र की आवश्यकता है, जिन्होंने इस संसदीय लोकतंत्र को हमारे लिए गौरवशाली बनाया है, उन्हें बार-बार याद किया जाए। उन्होंने कहा कि विक्रम भाई साराभाई के नेतृत्व में और नेहरू जी की दूरदृष्टि से 'इसरो' अस्तित्व में आया। यह वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के अवसर पर, संविधान सभा की बैठक रात 11 बजे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। उत्तर प्रदेश से सदस्य सुचेता कृपलानी ने विशेष सत्र के उद्घाटन के मौके पर *वंदे मातरम* का पहला श्लोक गाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण 'ट्रायस्ट विद द डेस्टिनी' दिया। 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' वर्ष 1951 में पारित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए। दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 था, एक ऐसा कानून जिसने सरकार को आवश्यक वस्तुओं जैसे औषधियों, तेल, मिट्टी के तेल, कोयला, लोहा और इस्पात और दालों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने में मदद मिली है। हरित क्रांति 1967 में शुरू की गई थी। इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिन्होंने बैंकिंग बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विस्तार किया और किसानों को सस्ते ऋण के लिए प्रावधान बनाया। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान आई। डिजिटल इंडिया की शुरुआत भी स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही की थी। कतिपय ऐतिहासिक विधेयकों पर विचार करने और उन्हें पारित करने का श्रेय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को जाता है जिनमें दलबदल विरोधी कानून, 1985, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, पंचायती राज संस्था अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, शिक्षा का अधिकार

अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक राष्ट्र या एक सभ्यता के रूप में भारत बहुलतावाद का एक अंतहीन उत्सव है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शायद संसद सदस्य का सबसे बड़ा मौलिक संसदीय अधिकार है।

चर्चा में शामिल होते हुए श्री टी आर बालू (डीएमके) ने कहा कि बैठक में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा का जायजा लिया जाएगा। संसद के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस तरह की विशेष बैठक ऐतिहासिक संसद भवन में आयोजित की जानी चाहिए थी, जहां 1947 से देश की नियति तय की गई, आगे बढ़ाई गई, पोषित की गई और दृढ़ता प्रदान की गई। आधुनिक भारत, विकसित भारत का मजबूत आधार एशिया के प्रकाश पुंज कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर कई नेताओं द्वारा किए गए छह दशकों के योजनाबद्ध कार्यों से तैयार हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री मोरारजी देसाई जी, श्री चौधरी चरण सिंह जी, युवा प्रधानमंत्री और नेता श्री राजीव गांधी जी और श्री नरसिम्हा राव जी जैसे प्रधानमंत्रियों का योगदान वास्तव में महान है। पिछड़े लोगों की ताकत के मसीहा, श्री वीपी सिंह जी ने हाशिए पर चौथे स्तर के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया। इन बड़े नेताओं का योगदान महान है और इनका विशेष उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजनीति और शासन में विपक्षी दलों, ज्यादातर द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दलों के योगदान का एक विशेष स्थान है। उनके रचनात्मक विरोध, आलोचना और सुझावों ने समय-समय पर सरकारों को सुधारात्मक उपाय करने में मदद की है। द्रमुक 1962 से संसद में है। लगभग 560 रियासतें और राज्य स्वतंत्र भारत में शामिल हुए। लेकिन पिछले 75 वर्षों में, इन सदस्य राज्यों को दिए गए वादे और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं वाले इन राज्यों के लोगों की आकांक्षाएं केन्द्र सरकार द्वारा तोड़ दी गई हैं। इसका नवीनतम उदाहरण 370 को निरस्त करना और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनना है। डीएमके पार्टी ने 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार और 1999 में वाजपेयी जी की सरकार को समर्थन देकर केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा जी उनके निरंतर समर्थन के साथ, प्रिवी पर्स को समाप्त करने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे क्रांतिकारी नीतिगत उपायों को लाने में सक्षम थीं और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए। पोखरण परीक्षण और कारगिल विजय वाजपेयी जी की सरकार की स्थिरता के कारण संभव हुई, जिसके लिए डीएमके का समर्थन और डीएमके नेता कलैगनार का समर्थन मुख्य कारण था।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (एआईटीसी) ने कहा कि संविधान सभा

की कार्यवाही अत्यंत नीरस हो गई होती, यदि सभी सदस्यों द्वारा पार्टी नियमों का अत्यंत कठोरता से अनुपालन किया गया होता। परन्तु कुछ सदस्यों ने इस संकल्प के विरोध में अपनी आवाज उठाई थी। विरोध करने वाले इन सदस्यों में से एक सदस्य हरि विष्णु कामथ ने सुझाव दिया था— "हम, भारत के लोग" शब्दावली को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाये और इसे संविधान में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के नेतृत्व में एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के साथ हमारे संघर्ष और जन जागरण का प्रारंभ हुआ था। उन आध्यात्मिक नेताओं के कारण राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर आया, जिसके पथप्रदर्शक, नेता और मार्गदर्शक लोकमान्य तिलक, अरबिंदो, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने आगे कहा कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली प्रचलित है, और हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और देश की एकता के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संसद अपनी स्थापना के पश्चात से अपने आलंकारिक भाषणों तथा रिकार्ड संख्या में वाद-विवाद और चर्चाओं के लिये प्रसिद्ध है। सभी दलों के संसद सदस्यों के बीच एक-दूसरे के प्रति भाईचारे और सम्मान की भावना हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इस प्रकार की संस्कृति का विघटन हो गया है। चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के समय भारत के संसद सदस्यों द्वारा अपनी एकता का प्रदर्शन किया गया था । श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा बांग्लादेश के युद्ध के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी को मां दुर्गा कहकर उनकी प्रशंसा की गई थी। कई अवसरों पर सदन में विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष की प्रशंसा करने और सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष की प्रशंसा करने की भावना परिलक्षित हुई। परंतु अब यह भावना पूर्ण रूप से अदृश्य हो गई है। बारहवीं लोक सभा के गठन के दौरान पहली बार संसद सदस्य चुने जाने का विस्मरण करते हुए, उन्होंने कहा कि उस समय, उनकी पार्टी की नेता ममता बनर्जी ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण हेतु संसद में आवाज उठाई थी। उन्होंने मांग की थी कि संसद के नए भवन में प्रवेश करने के पश्चात् महिला आरक्षण विधेयक को अविलम्ब सभा पटल पर रखा जाए और पारित किया जाए।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि 18 फरवरी, 2014 को इस सदन द्वारा आंध्र प्रदेश के विभाजन से संबंधी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि साढ़े नौ वर्ष के पश्चात् भी दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्तावों को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य के विकास हेतु आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अनुच्छेद 370

का निरसन करने और जीएसटी को लागू करने के लिए भी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने सदन में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाये जाने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने हेतु 30 प्रतिशत कार्यसूची विपक्षी दलों द्वारा निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव रखा।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री भर्तृहरि महताब (भाजपा) ने कहा कि संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि हम राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर रहें। भाषा, धर्म या संस्कृति जैसे कारक हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर रहने की गारंटी नहीं देते। जिस राजनीतिक भू-भाग को हम भारत या इंडिया कहते हैं, वह हमारे संविधान की देन है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति हमारा सम्मान हमें राष्ट्र के रूप एकजुट रखता है। हम सभी मानते हैं कि लिंग, नस्ल, धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति में विभिन्नता के बावजूद हम सभी कानून के समक्ष समान हैं और यह तथ्य हमें एकता के सूत्र में पिरोकर रखता है। सरदार पटेल द्वारा देश को एकजुट करने हेतु किये गये श्रमसाध्य प्रयासों को हमें याद रखना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि इसमें अभी भी कई खामियां हैं। देश में जाति भेद एक प्रमुख दोष है। सांप्रदायिक विभाजन और आतंकवाद अन्य बड़े शत्रु हैं। परन्तु, इन सभी उतार-चढ़ावों के बावजूद, एकता की भावना विद्यमान है। पिछले 75 वर्षों के दौरान संसद इस राष्ट्र निर्माण संबंधी कई घटनाक्रमों का मंच रही है । उन्होंने आगे कहा कि वे सदन द्वारा अनुच्छेद 370 का निरसन किये जाने के साक्षी रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक अन्य प्रासंगिक मामला है जिसे संविधान के अन्तर्गत पूर्ण करने की आवश्यकता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री राहुल रमेश शेवाले (शिवसेना) ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय और अन्य अनुदान, लाभ और सेवाओं के प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर विशेष बल दिया गया है और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित गरीबों और अन्य लोगों को बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने हेतु भारत सरकार बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। भारत अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः दोहराने और नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि शीघ्र ही भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती है। भारत में लोकतंत्र की सफलता स्वतंत्रता पश्चात की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री राकेश सिंह (भाजपा) ने कहा कि लोकतंत्र के इस पवित्र मन्दिर में लोक सभा का पहला सत्र मंगलवार, 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ। लोक सभा के प्रथम

अध्यक्ष श्री मावलंकर जी द्वारा इस सदन में अनेक आदर्श और परम्पराएं स्थापित की गई थीं। यह क्रम आगे ऐसे ही चलता रहा है। इन आदर्शों और परंपराओं ने भारत में एक सुदृढ़ और समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव रखी है। वर्ष1952 से पिछले 71 वर्षों के दौरान इस सदन और देश ने अनेक विद्वान संसद सदस्यों के भाषण सुने हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि हमने लोगों के लिए, लोगों की, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के सिद्धांत को स्थापित किया, तो हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 75 वर्षों का यह संसदीय कार्यकाल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र जीवंत बना रहना चाहिए, देश का अस्तित्व रहना चाहिए और लोकतंत्र जीवंत बना रहना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा न केवल देश के गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का कार्य किया गया है, बल्कि उनके द्वारा देश के लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु भी प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयास अभी भी जारी हैं। अब देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और विश्व में देश महाशक्ति के रूप में बढ़ रहा है। इस समय जब हम पूरी तरह से भारतीय ज्ञान और भारत की अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर बने संसद के नए भवन में प्रवेश करके और गुलामी के प्रतीकों को हटाकर आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उस नए भवन को लोकतंत्र के ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करें जो भावी पीढ़ियों और भावी भारत की नींव रखे, जहां एक ही नारा हो, "सबका साथ, सबका विकास- सबका विश्वास और सबका प्रयास"।

ख. विधायी कार्य

संविधान संशोधन (128वां संशोधन) विधेयक, 2023: 20 सितंबर, 2023 को विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने संशोधन विधेयक पर चर्चा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अग्रगामी कदम है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक न केवल महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व भी प्रदान करेगा। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 में खंड 239एए जोड़ा जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगा। सरकार खंड 3 जोड़ रही है, जिसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 330 में खंड 33ए जोड़े जाने से लोक सभा की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह कहते हुए

कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 332 के पश्चात एक नया अनुच्छेद 33ए जोड़ा जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का प्रावधान किया जायेगा। यह आरक्षण 15 वर्षों तक लागू रहेगा। 15 वर्षों के पश्चात् इस अवधि को बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त होगा।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, श्रीमती सोनिया गांधी (कांग्रेस) ने अपनी पार्टी की ओर से विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था और वे नए भारत के निर्माण की दिशा में प्रयासरत रही हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में स्थानीय निकायों के माध्यम से 15 लाख महिला नेताओं का चुनाव किया जाता है। इस संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं पिछले 13 वर्षों से राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने हेतु तत्पर हैं, और अब उन्हें कुछ और वर्षों तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण हेतु भी प्रावधान किए जाने चाहिए। विधेयक के कार्यान्वयन में और विलम्ब भारत की महिलाओं के साथ घोर अन्याय होगा।

[17]चर्चा में भाग लेते हुए, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि (डीएमके) ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहली बार सितम्बर 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान डीएमके के

17. चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्यगण: सर्वश्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', नामा नागेश्वर राव, हसनैन मसूदी, के. सुब्बारायण, जगदम्बिका पाल, ई.टी. मोहम्मद बशीर, धैर्यशील संभाजीराव माणे, सी.पी. जोशी, असादुद्दीन ओवैसी, चिराग कुमार पासवान, हनुमान बेनीवाल, केसिनेनी श्रीनिवास, एन.के. प्रेमचन्द्रन, अरविंद सावंत, गिरीश चंद्र, पी. रवीन्द्रनाथ, थोमस चाज़िकाडन, इंद्रा हांग सुब्बा, विजय कुमार हांसदाक, तोखेहो येपथोमी, एम. बदरुद्दीन अजमल, सुशील कुमार रिंकू, राहुल गांधी, डॉ. निशिकांत दुबे, डॉ. राजश्री मल्लिक, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती, डॉ. लोरहो फोज़, डॉ. थोल तिरुमावलवन, कुमारी राम्या हरिदास, कुमारी अगाथा के. संगमा, श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ, श्रीमती डिम्पल यादव, श्रीमती जसकौर मीना, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी, श्रीमती गोमती सा, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती कविता सिंह, श्रीमती नवनित रवि राणा, श्रीमती कविता मालोथू, श्रीमती सुमलता अम्बरीश, श्रीमती संध्या राय, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती शारदा अनिल पटेल, श्रीमती शताब्दी राय, सुश्री एस. जोतिमणि, सुश्री महुआ मोइत्रा, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, श्री किरेन रिजीजू, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार, गृह मामलों और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी।

समर्थन से प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में जब यूपीए सरकार द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसमें कोई शर्त शामिल नहीं की गई थी । विधेयक के पारित होने के बाद विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था। लेकिन इस विधेयक के खंड 5 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण इस प्रयोजनार्थ परिसीमन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के पश्चात् प्रभावी होगा। अपनी पार्टी के नेता की चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि यदि परिसीमन जनगणना के आधार पर किया जायेगा, तो यह दक्षिण भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व से वंचित कर देगा और उनके प्रतिनिधित्व को कम कर देगा। उन्होंने यह जानना चाहा कि विधेयक के कार्यान्वयन को परिसीमन के साथ क्यों जोड़ा गया है। आगामी संसदीय चुनावों में इसका आसानी से कार्यान्वयन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक आरक्षण के लिये नहीं है, बल्कि यह पूर्वाग्रह और अन्याय को दूर करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा 'परिसीमन के पश्चात्' कहने वाले खंड का लोप नहीं किया जाता हैं, तो इस विधेयक को पारित करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं अपनी पूजा नहीं करवाना चाहती हैं। महिलाएं ये आशा रखती हैं कि उन्हें बराबरी का सम्मान मिले।

चर्चा में भाग लेते हुए, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (एआईटीसी) ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक पश्चिम बंगाल में पहले ही लागू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जिसकी मुख्य मंत्री महिला है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय लोक सभा और राज्य सभा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की लगभग 40 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। प्रस्तुत विधेयक के संबंध में, उन्होंने परिसीमन को आरक्षण के साथ संबद्ध करने का कारण पूछा। इससे, उन राज्यों से अधिक संसद सदस्य निर्वाचित होंगे जो जनसंख्या नियंत्रण करने और महिला सशक्तिकरण में विफल रहे हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए जो महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रति अनादर रखते हैं और जिनके विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया गया है ।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्रीमती संगीता आज़ाद (बसपा) ने अपनी पार्टी की ओर से विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि जब संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तब बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा हमारे समाज में महिलाओं, जिन्हें अब तक शिक्षा प्राप्त करने और धन तथा संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त नहीं है, की गरिमा बढ़ाने हेतु प्रयास

किए गये थे। जहां बाबा साहेब ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, वहीं मान्यवर कांशीराम साहिब द्वारा दलित, उत्पीड़ित और वंचित वर्गों में उस एक वोट के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। इस विधेयक से देश की महिलाओं को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है और महिलाओं को गरिमापूर्ण और सुरक्षित महसूस होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह विधेयक राजनीति में भाग लेने और इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये महिलाओं को प्रोत्साहन देता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में एससी/एसटी के साथ-साथ ओबीसी श्रेणी हेतु भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्रीमती भावना गवली (पाटील) ने कहा कि 75 वर्षों के पश्चात् महिलाओं को राजनीति में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस निर्णय से सभी महिलाएं लाभान्वित होंगी। उन्होंने मंत्रिमंडल में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उन्हें कार्यपालिका में भी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने विधेयक को पारित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि की कमी के कारण मैंने और कई महिला सदस्यों ने बहुत संघर्ष किया।

चर्चा में भाग लेते हुए, सुश्री सुनीता दुग्गल (भाजपा) ने पूरे देश की महिलाओं को बधाई दी और इस ऐतिहासिक विधेयक हेतु माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि जिन महिलाओं ने महिला आरक्षण विधेयक लाने में योगदान दिया है, वे आज राहत महसूस कर रही होंगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और विधेयक का समर्थन करना चाहिए। यदि किसी को महिलाओं की सबसे ज्यादा चिंता थी तो वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने हरियाणा की धरती से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया था। महिलाओं ने सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के विभागों का कार्यभार सफलतापूर्वक संभाला रखा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पद ग्रहण करने चाहिए और उन्हें राजनीति में आगे आना चाहिए, अन्यथा, कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्रीमती वीणा देवी ने कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दे पर संसद और विधान सभा में कई दशकों से चर्चा होती रही है, परन्तु आज एक शुभ क्षण आया है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा साहस दिखाते हुए इस विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के संकल्प और

महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों ने हमें आश्वस्त किया है कि केवल यही सरकार महिलाओं को उचित सम्मान प्रदान कर सकती है और राजनीति में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। जब तक पुरुष और महिला दोनों समान रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक समाज और राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकते।

चर्चा में भाग लेते हुए, अपनी पार्टी की ओर से श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (राकांपा) ने विधेयक का समर्थन किया और महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले पुरुषों के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। श्री महात्मा फुले ने महिलाओं को शिक्षा देना सुनिश्चित किया। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो उदार और आधुनिक सोच रखते हैं। यह एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। उन्होंने देश को यह संदेश देने का सुझाव दिया कि सदन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विधेयक लाने में असाधारण रूप से अच्छा कार्य किया है। उन्होंने जनगणना या परिसीमन की तिथि और समय-सीमा के बारे में भी पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए और संसद में इनकी निंदा की जानी चाहिए तथा इन्हें शून्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए, विधि और न्याय राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंतर-संसदीय संघ के आंकड़ों के अनुसार, विश्व के राष्ट्रीय विधायी निकायों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24 प्रतिशत है। भारत में लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15.1 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के पश्चात् हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे, जो वैश्विक औसत स्थिति और रैंकिंग में भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लायेगा। उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए तेजी से प्रयास करने की है और यह विधेयक इस संबंध में एक अन्य प्रयास है। यह विधेयक महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, और महिलाओं को हर स्तर पर आरक्षण प्रदान करता है। इसके लिए परिसीमन की आवश्यकता है क्योंकि संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से ही प्रावधान किया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा

कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गये हैं। परिसीमन की आवश्यकता के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। सीटों के पुनर्समायोजन की आवश्यकता के संबंध में भी प्रश्न उठाया गया था। श्री निशिकांत जी ने अनुच्छेद 82 का भी संदर्भ दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीटों का पुनर्समायोजन परिसीमन का एक भाग है। उन्होंने कहा कि आज हम इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित कर लोकतंत्र के इस मंदिर में महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारत में लोकतंत्र के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।

विधेयक पारित हुआ।

राज्य विधानमंडल

नागालैंड विधान सभा[1]

नागालैंड की चौदहवीं विधान सभा का दूसरा सत्र 11 सितंबर, 2023 को शुरू हुआ और 14 सितंबर, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। सभा की कुल मिलाकर 4 बैठकें हुईं।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान निम्नलिखित पांच विधेयक पुरःस्थापित किए गए, विचार किए गए और पारित किए गए— (एक) द नागालैंड मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023; (दो) द नागालैंड पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023; (तीन) द नागालैंड नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023; (चार) द नागालैंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सेवेंथ अमेंडमेंट) बिल,2023; और (पांच) द नागालैंड एनाटॉमी बिल, 2023।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान पूर्व मंत्री और वर्तमान सदस्य श्री नोक वांग्नाओ और नागालैंड विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मनवाई अवांग के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

1. नागालैंड विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदत्त सामग्री

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य

एक. पुस्तकें

बॉन्ड, रस्किन, *ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया:* सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस (यूनाइटेड किंगडम: पेंगुइन वाइकिंग), 2022

जहांबेगलू, रामिन एंड शर्मा, *पूजा, लिविंग इन ट्रुथ: द गांधीयन पैराडाइम* (नई दिल्ली: रूपा प्रकाशन), 2022

जयशंकर, एस., *द इंडियन वे: स्ट्रैटेजीज़ फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड* (गुरुग्राम: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स), 2022

कामेई, सोम रानी, *गाइदिन्ल्यू: लीजेंडरी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट* (नई दिल्ली: नियोगी बुक्स), 2022

कीन, जॉन, *द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ़ डेमोक्रेसी* (नई दिल्ली: पिकाडोर इंडिया), 2022.

कुमार, रवि और मेहता, श्रेय, एड., *द न्यू रिपब्लिक: पॉपुलिज्म, पावर एंड द ट्रैजेक्टरीज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी* (दिल्ली: आकार बुक्स), 2022

लस्कर, रेजाउल करीम, एड., *फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप, ब्रीचिंग न्यू फ्रंटियर्स: इंडियाज डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द यूपीए रूल 2004-14* (यूनाइटेड किंगडम: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), 2022

पर्नेल मारेक, *पोलिश डेमोक्रेसी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू* (पोलैंड: वारसज़ावा), 2022

राय, अशोक कुमार, *डॉ. राममनोहर लोहिया: इंडियन फेस ऑफ सोशलिज्म* (नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2022

समद्दार, रणबीर, *इम्प्रिंट्स ऑफ़ द पॉपुलिस्ट टाइम* (हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान), 2022

शर्मा मनु, *प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स: बैलेंसिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ़ मैंडेट एंड गुड गवर्नेंस* (पटियाला: एसएलएम पब्लिशर्स), 2022

सिंह, दीपक, *इंडिया @ 75: हिस्ट्री ऑफ़ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया* (नई दिल्ली: दिशा प्रकाशन इंक), 2022

सिरोही,सीमा, *फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स : द इंडिया-यूएस स्टोरी* (गुरुग्राम: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स), 2023

II. लेख

"इंडिया वाइस प्रेसिडेंट इनागरेट्स 83र्ड ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफीसर्स कॉन्फ्रेंस एट द राजस्थान लेजिसलेटिव असेंबली" पार्लियामेंटेरियन (लंदन), खंड 104, सं. 1, 11-12 2023, पृ. 18

आचारी, पी.डी.टी., *चैलेंज टू इंडियन पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी एंड कांस्टीट्यूशनल वैल्यूज, सोशल साइंटिस्ट* (नई दिल्ली), खंड 51, सं. 5-6, मई-जून 2023, पृ. 3-12

अरोड़ा, पूजा और अजमीरा, उमेश चंद्रा, *"डिसेक्टिंग द डायनॉमिक्स ऑफ़ इंडिया-यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पोस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स", वर्ल्ड फॉक्स* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 92-96

बाजपेयी, अरुणोदय, *"इंडियाज इंगेजमेंट विद पैसिफिक आईलैंड कंट्रीज" वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 12-16

बनर्जी भंडारी, इप्शिता, बनारस *"वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर", आउटलुक* (नई दिल्ली), खंड 63, सं. 20, 1 जुलाई 2023, पृ. 6-7

बनर्जी भंडारी, इप्शिता, *"ओनस एंड ओनरशिप: टुवर्ड्स ए ग्रीन फ्यूचर", आउटलुक* (नई दिल्ली), खंड 63, सं. 20, 1 जुलाई 2023, पृ. 8-9

बारिक, हेमसागर, *"इंडियाज सॉफ्ट पावर इन सेंट्रल एशिया एमिड द पॉलिटिक्स ऑफ बिग पॉवर्स इन्फ्लुएंस", वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 81-86

बरुआ, संजीब कु., *"हाई होप्स, लो यील्ड", वीक* (कोच्चि), खंड 41, सं. 28, 9 जुलाई 2023, पृ. 46-47

बीना, *"क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ 10 इयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बेटवीन इंडिया एंड आसियान: इश्यूज एंड चैलेंजेज, वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली) खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 92-98

भागवत, जवाहर, *"ब्रिक्स डी-डॉलराइज़ेशन: एसेंशियल फॉर एन इक्विटेबल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), खंड 58, सं. 34, 26 अगस्त 2023, पृ. 10-13

भारद्वाज, केडी एंड रॉय, निकिता, *"एडवांटेज इंडिया", आउटलुक* (नई दिल्ली), खंड 63, सं. 20, 1 जुलाई 2023, पृ. 56-57

चक्रवर्ती, मानस, *"इंडिया-उज़्बेकिस्तान रिलेशनशिप: ऑपर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज", वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 9-16

चक्रवर्ती, मानस, *"इंडिया-जापान रिलेशनशिप: ए स्टडी ऑफ़ पोलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशंस", वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 5-11

चौहान, भारती एंड सौरभ सिंह, *"सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द 21स्ट सेंचुरी", वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 60-65

चेंगप्पा, राज, *"फ्रेंड्स इन नीड" इंडिया टुडे* (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 28, 10 जुलाई 2023, पृ. 22-34.

दास, आराधना, *"इंडिया: मिशन एसडीजी", आउटलुक* (नई दिल्ली), खंड 63, सं. 20, 1 जुलाई 2023, पृ. 10-13

दास, सुकन्या, *"इंडिया ऑन ए मिशन", आउटलुक* (नई दिल्ली), खंड 63, सं. 20, 1 जुलाई 2023, पृ. 66

डेका, कौशिक, *"श्रीकिंग द माइनॉरिटी वोट" इंडिया टुडे* (नई दिल्ली), खंड 48, सं. 28, 10 जुलाई 2023, पृ. 7-9

देवुलापल्ली, राहुल, *"ट्रेड सीक्रेट", वीक* (कोच्चि), खंड 41, सं. 28, 9 जुलाई 2023, पृ. 28-29

डिंगलर, सारा सी. एंड रामस्टेटर, लीना, *"व्हेन डज शी रिबेल? हाऊ जेंडर अफेक्ट्स डेविएटिंग लेजिसलेटिव बिहेवियर" गवर्नमेंट एंड अपोजिशन* (लंदन), खंड 58, सं. 3, जुलाई 2023, पृ. 437-55

गिदाधुबली, आर.जी., *"इंडिया स्ट्रेंथनिंग टाईज़ विथ साउथ-ईस्ट एशियन कंट्रीज़ एंड द आसियान" वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 17-20

गिदाधुबली, आर.जी., *"इंडिया-कजाकिस्तान रिलेशन्स: क्लोज, कॉर्डियल और कंसिस्टेंट' वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 5-8

गोदारा, हरि, *"इंडिया-यूएसए-मंगोलिया रिलेशंस: ए ट्राइलेटरल एनालिसिस", वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 57-62

हाशमी, सना, *"सिचुएटिंग इंडिया इन ताइवान न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी" एशियन अफेयर्स* (लंदन) खंड 44, सं. 524 अगस्त 2023 पृ. 305-306

जैन, मनीष, *"एसेसिंग इंडिया एनर्जी बैलेंस: क्लाइमेट एंड एसडीजी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), खंड 58, सं. 29, 22 जुलाई 2023, पृ. 30-36

जयमोहन, बी., *व्हाट प्लेस डज ए स्केप्टेर हैव इन ए डेमोक्रेसी?", फ्रंटलाइन* (चेन्नई), खंड 40, सं. 14, 15 जुलाई 2023, पृ. 82-89

जोशी, अंशु, *"स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बेटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया: चैलेंजेज एंड ऑपर्च्युनिटीज स", वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 56-59

काबिरन, गणेशन एंड दास, आराधना, *'मल्टीलेटरल मंत्र: इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैंथनिंग एंड ग्रीन ग्रोथ", आउटलुक* (नई दिल्ली), खंड 63, सं. 20, 1 जुलाई 2023, पृ. 48-49

कुंभार, सीताराम, *"रिवाइटलाइजिंग हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ़ इंडियाज इंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया;एक्सप्लोरिंग ऑपर्च्युनिटीज फॉर एनर्जी कॉर्पोरेशन" वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 31-36

मबौदी, टोफिग एंङ अदर्स, "रेंडर अनटू सीज़र जस्ट ए बिट लॉन्गर: द रिलेशनशिप बेटवीन कांस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एग्जीक्यूटिव सर्वाइवल",गवर्नमेंट एंड अपोजिशन (लंदन), खंड 58, सं. 3, जुलाई 2023, पृ. 576-97

मिश्रा, सीताकांत एंड व्यास, फलक, *"साउथ पैसिफिक आइलैंड्स: द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी", वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 38-43

मोहनन, पीसी और कुंडू, अमिताभ, *"आत्मनिर्भरता इन स्टैटिसटिक्स एंड द थ्रस्ट ऑन 'मेक इन इंडिया", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), खंड 58, सं. 28, 15 जुलाई 2023, पृ. 10-12

मोहंती, बिस्वा रंजन और मिश्रा, सूरज कुमार, *"यूएसए-इंडिया डिफेंस रिलेशंस", वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 44-50

नायर, मंदिरा, *"ग्लोबल टू लोकल", वीक* (कोच्चि), खंड 41, सं. 30, 23 जुलाई 2023, पृ. 42-45

नायर, मंदिरा, *"ट्रायस्ट विद हिस्ट्री", वीक* (कोच्चि), खंड 41, सं. 28, 9 जुलाई 2023, पृ. 42-45

पाल, संजीत, *"स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स: एक्सप्लोरिंग इंडो-जापान रिलेशंस इन कंटेम्परारी टाइम्स", वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 66-72

पांडा, स्नेहलता, *"एईपी एंड आसियान: ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेज वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 21-25

पांडा, स्नेहलता, *"इंडिया-सेंट्रल एशिया: डिसीफेरिंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस", वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 17-21

पंत, हर्ष, *"इंडियाज जी20 प्रेसीडेंसी", योजना* (नई दिल्ली), खंड 67, सं. 8, अगस्त 2023, पृ. 49-51

रेड्डी, जी. किशन, *"आजादी का अमृत महोत्सव", योजना* (नई दिल्ली), खंड 67, अंक 8, अगस्त 2023, पृ. 6-9

साहनी, प्रवीण, *"एक्सपेंसिव एंब्रेस", फोर्स* (नोएडा), खंड 20, सं. 11, जुलाई 2023, पृ. 4-5; & 8-11

शर्मा, प्रतुल, *"रिपब्लिक ऑफ भारत", वीक* (कोच्चि), खंड 41, सं. 34, 20 अगस्त 2023, पृ. 36-47

सिन्हा, यश, *"50 इयर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर": द बेस्ट कंप्लीमेंट टू वी, द पीपल", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), खंड 58, सं. 27, 8 जुलाई 2023, पृ. 10-13

सुब्रमण्यम, लक्ष्मी, *"नो होल्ड्स बार्ड", वीक* (कोच्चि), खंड 41, सं. 30, 23 जुलाई 2023, पृ. 32-33

त्रिपाठी, सुधांशु, *"इंडिया वॉक्स ए टाइट रोप बेटवीन द यूएस एंड रशिया विज़-ए-विज़ मास्को-कीव वॉर", वर्ल्ड फोकस* (दिल्ली), खंड 44, सं. 523, जुलाई 2023, पृ. 32-37

यूनिस अहमद शेख, *"एससीओ एंड सेंट्रल एशिया: स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर रीजनल स्टेबिलिटी" वर्ल्ड फोकस* (नई दिल्ली), खंड 44, सं. 524, अगस्त 2023, पृ. 69-75

परिशिष्ट एक

सत्रहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

1.	सत्र की अवधि	20 जुलाई, 2023 से 11 अगस्त, 2023 तक
2.	सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	17
3.	बैठकों में लगा कुल समय	44 घंटे 17 मिनट
4.	व्यवधान/स्थगन के कारण समय की हुई बर्बादी	59 घंटे 35 मिनट
5.	सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए सभा की देर तक बैठक	7 घंटे 41 मिनट
6.	सरकारी विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	11
(ii)	पुरःस्थापित	20
(iii)	राज्य सभा द्वारा यथापारित सभा पटल पर रखे गए	4
(iv)	राज्य सभा द्वारा किसी संशोधन/सिफारिश के साथ लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गए	2
(v)	जिन पर चर्चा हुई	06
(vi)	पारित	22
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
(viii)	अस्वीकृत	शून्य
(ix)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
(x)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	04
(xi)	सत्र के अंत में लंबित	12
7.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	579
(ii)	पुरःस्थापित	134
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
(v)	वापस लिए गए	शून्य
(vi)	अस्वीकृत	शून्य
(vii)	लंबित विधेयकों की पंजिका से हटाये गए	शून्य
(viii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	01

(ix)	सत्र के अंत में लंबित	713
8.	नियम 184 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
9.	नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों की संख्या	369
10.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या	शून्य
11.	नियम 193 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	36
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
12.	नियम 197 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या	शून्य
13.	मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	50
14.	स्थगन प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	204
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	गृहीत	शून्य
15.	ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए मामलों की संख्या	शून्य
16.	सरकारी संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
17.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	06
(ii)	गृहीत	06
(iii)	प्रस्तुत	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य

(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	01
18.	सरकार के प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	1
(ii)	गृहीत	11
(iii)	प्रस्तुत और जिन पर चर्चा हुई	11
(iv)	स्वीकृत	11
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
19.	विशेषाधिकार प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	11
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	माननीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त नहीं	शून्य
(iv)	माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी	शून्य
20.	सत्र के दौरान जारी किए गए आगंतुक पास की कुल संख्या	19836
21.	सत्र के दौरान संसदीय संग्रहालय में आगंतुकों की कुल संख्या	--
22.	गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या	
(i)	तारांकित	340
(ii)	अतारांकित	3910
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
(iv)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य

सत्रहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

1.	सत्र की अवधि	18 सितम्बर, 2023 से 22 सितम्बर, 2023 तक
2.	सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	4
3.	बैठकों में लगा कुल समय	31 घंटे 04 मिनट
4.	व्यवधान/स्थगन के कारण समय की हुई बर्बादी	शून्य
5.	सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए सभा की देर तक बैठक	11 घंटे 50 मिनट
6.	सरकारी विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	12

(ii)	पुरःस्थापित	01
(iii)	राज्य सभा द्वारा यथापारित सभा पटल पर रखे गए	शून्य
(iv)	राज्य सभा द्वारा किसी संशोधन/सिफारिश के साथ लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गए	शून्य
(v)	जिन पर चर्चा हुई	01
(vi)	पारित	01
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
(viii)	अस्वीकृत	शून्य
(ix)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
(x)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	शून्य
(xi)	सत्र के अंत में लंबित	12
7.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	713
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
(v)	वापस लिए गए	शून्य
(vi)	अस्वीकृत	शून्य
(vii)	लंबित विधेयकों की पंजिका से हटाये गए	शून्य
(viii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	01
(ix)	सत्र के अंत में लंबित	713
8.	नियम 184 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
9.	नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों की संख्या	शून्य
10.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या	शून्य
11.	नियम 193 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य

12.	नियम 197 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या	शून्य
13.	मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	1
14.	स्थगन प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	गृहीत	शून्य
15.	ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए मामलों की संख्या	शून्य
16.	सरकारी संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
17.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	01
18.	सरकार के प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत और जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
19.	विशेषाधिकार प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	02
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	माननीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त नहीं	शून्य

(iv)	माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी	शून्य
20.	सत्र के दौरान जारी किए गए आगंतुक पास की कुल संख्या	8101
21.	सत्र के दौरान संसदीय संग्रहालय में आगंतुकों की कुल संख्या	--
22.	गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या	
(i)	तारांकित	शून्य
(ii)	अतारांकित	शून्य
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
(iv)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य

संसदीय समितियों का कार्यकरण

क्र. सं.	समिति का नाम	बैठकों की सं.	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सं.
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	4	4
(ii)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	1	1
(iii)	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	6	2
(iv)	प्राक्कलन समिति	5	4
(v)	आचार समिति	-	-
(vi)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	3	8
(vii)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलडीएस)	-	-
(viii)	सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	3	22
(ix)	याचिका समिति	1	5
(x)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	-	-
(xi)	विशेषाधिकार समिति	3	1
(xii)	लोक लेखा समिति	10	10
(xiii)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	10	1
(xiv)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	3	2
(xv)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	2	4
(xvi)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	-	-

क्र. सं.	समिति का नाम	बैठकों की सं.	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सं.
(xvii)	आवास समिति	-	-
(xviii)	ग्रंथालय समिति	1	-
(xix)	रेल अभिसमय समिति	-	-
(xx)	नियम समिति	-	-

संयुक्त/प्रवर समिति

क्र. सं.	समिति का नाम	बैठकों की सं.	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सं.
(i)	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	2	1
(ii)	संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	-	-

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्र. सं.	समिति का नाम	बैठकों की सं.	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सं.
(i)	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति	6	9
(ii)	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	4	2
(iii)	कोयला, खनन और इस्पात संबंधी समिति	2	5
(iv)	रक्षा संबंधी समिति	4	3
(v)	ऊर्जा संबंधी समिति	8	3
(vi)	विदेशी मामलों संबंधी समिति	4	3
(vii)	वित्त संबंधी समिति	7	4
(viii)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	8	6
(ix)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	3	5
(x)	श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति	5	8
(xi)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	-	-
(xii)	रेल संबंधी समिति	3	1

क्र. सं.	समिति का नाम	बैठकों की सं.	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की सं.
(xiii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति	2	4
(xiv)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	4	4
(xv)	आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति	2	1
(xvi)	जल संसाधन संबंधी समिति	3	1

परिशिष्ट दो

राज्य सभा के दो सौ साठवें और दो सौ इकसठवें सत्र के दौरान किए गए कार्य को दर्शाने वाला विवरण

1.	सत्र की अवधि	260वां सत्र: 20-07-2023 से 11-08-2023 261वां सत्र: 18-09-2023 से 21-09-2023	
2.	सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	260वाँ सत्र: 17 261वाँ सत्र: 4	
3.	बैठक के घंटों की कुल संख्या	260वाँ सत्र: 55 घंटे 261वां सत्र: 27 घंटे और 42 मिनट	
4.	सत्र के दौरान हुए मत विभाजनों की संख्या	260वाँ सत्र: 1 261वाँ सत्र: 9	
5.	सरकारी विधेयक	260वां सत्र	261वां सत्र
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित विधेयकों की सं.	26	25
(ii)	पुरःस्थापित	5	शून्य
(iii)	लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये विधेयक	20	1
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाये गये विधेयक	शून्य	शून्य
(v)	राज्य सभा द्वारा प्रवर समिति को भेजे गये विधेयक	शून्य	शून्य
(vi)	राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को भेजे गये विधेयक	शून्य	शून्य
(vii)	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को भेजे गये विधेयक	शून्य	शून्य
(viii)	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य	शून्य
(ix)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य	शून्य
(x)	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा प्रतिवेदित	शून्य	शून्य
(xi)	विधेयक जिन पर चर्चा हुई	25	1
(xii)	पारित/लौटाये गये	25	1
(xiii)	वापस लिए गए	1	शून्य

(xiv)	अस्वीकृत हुए	शून्य	शून्य
(xv)	विधेयक जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य	शून्य
(xvi)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी अनुशंसा के लौटाये गये विधेयक	2	शून्य
(xvii)	विधेयक जिन पर चर्चा स्थगित की गई	शून्य	शून्य
(xviii)	सत्र के अंत में लंबित विधेयक	25	25
6.	गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयक		
(i)	सत्र के प्रारंभ में लंबित विधेयक	130	111
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य	शून्य
(iii)	लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये विधेयक	शून्य	शून्य
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाये गये और सभा पटल पर रखे गये विधेयक	शून्य	शून्य
(v)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य	शून्य
(vi)	विधेयक जिन पर चर्चा हुई	शून्य	शून्य
(vii)	वापस लिए गए	शून्य	शून्य
(viii)	पारित हुए	शून्य	शून्य
(ix)	अस्वीकृत हुए	शून्य	शून्य
(x)	मत जानने हेतु प्रसारित किये गये विधेयक	शून्य	शून्य
(xi)	विधेयक जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य	शून्य
(xii)	विधेयक जिन पर चर्चा स्थगित/स्थगन/विलम्बित/समाप्त हुई	शून्य	शून्य
(xiii)	विधेयक के प्रसारण से संबंधित अस्वीकृत हुए प्रस्ताव	शून्य	शून्य
(xiv)	प्रवर समिति को भेजे गये विधेयक	शून्य	शून्य
(xv)	विधेयक के प्रभारी सदस्य की सेवानिवृत्ति/इस्तीफा/मृत्यु के कारण व्यपगत हुए विधेयक	19	शून्य
(xvi)	सत्र के अंत में लंबित विधेयक	111	111
7.	नियम 176 के अन्तर्गत आयोजित चर्चाओं की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे)		

(i)	प्राप्त सूचनाएं	56	शून्य
(ii)	गृहीत	01	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा की गयी	मणिपुर मुद्दे पर एसडीडी को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जा सकी	शून्य
8.	नियम 180 के अन्तर्गत दिए गए वक्तव्यों की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण)		
(i)	मंत्रियों द्वारा दिये गये/पटल पर रखे गये वक्तव्य	शून्य	शून्य
(ii)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य	शून्य
9.	सांविधिक संकल्प		
(i)	प्राप्त सूचनाएं	एक विषय संबंधी 12 सूचनाएं प्राप्त हुई	शून्य
(ii)	गृहीत	12	शून्य
(iii)	प्रस्तावित	1	शून्य
(iv)	पारित	-	शून्य
(v)	अस्वीकृत	1	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	-	शून्य
10.	सरकारी संकल्प		
(i)	प्राप्त सूचनाएं	02	शून्य
(ii)	गृहीत	02	शून्य
(iii)	प्रस्तावित	02	शून्य
(iv)	पारित	02	शून्य
11.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प		
(i)	प्राप्त	10	शून्य
(ii)	गृहीत	08	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा की गई	-	शून्य
(iv)	वापस लिए गए	-	शून्य
(v)	अस्वीकृत	-	शून्य
(vi)	पारित	-	शून्य
(vii)	संकल्प जिन पर आंशिक चर्चा हुई	-	शून्य
(viii)	संकल्प जिन पर चर्चा स्थगित की गई	-	शून्य
12.	सरकारी प्रस्ताव		

(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य	शून्य
(ii)	गृहीत	-	शून्य
(iii)	प्रस्तावित और चर्चा किये गये	-	शून्य
(iv)	पारित	-	शून्य
(v)	प्रस्ताव जिन पर आंशिक चर्चा हुई	-	शून्य
13.	गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव		
(i)	प्राप्त	शून्य	शून्य
(ii)	गृहीत	-	-
(iii)	प्रस्तावित	-	-
(iv)	पारित	-	-
(v)	प्रस्ताव जिन पर आंशिक चर्चा की गई	-	-
(vi)	अस्वीकृत	-	-
(vii)	वापस लिए गए	-	-
14.	सांविधिक नियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव		
(i)	प्राप्त	2	शून्य
(ii)	गृहीत	2	शून्य
(iii)	प्रस्तावित	-	-
(iv)	पारित	-	-
(v)	अस्वीकृत	-	-
(vi)	वापस लिए गए	-	-
(vii)	प्रस्ताव जिन पर आंशिक चर्चा हुई	-	-
(viii)	व्यपगत	-	-

15. संसदीय समिति, यदि कोई गठित की गई, की संख्या, नाम और तिथि

सभापति, राज्य सभा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभागों से संबद्ध आठ संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन (2023-24); जो 13.09.2023 से प्रभावी हुआ

(राज्य सभा के दिनांक 28.08.2023 के संसदीय बुलेटिन भाग- II, संख्या 63434 के माध्यम से)

(ii) लोक सभा अध्यक्ष के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभागों से संबद्ध 16 संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन (2023-24); 13.09.2023 से प्रभावी हुआ

(राज्य सभा के दिनांक 18.09.2023 के संसदीय बुलेटिन भाग- II, संख्या 63599 के माध्यम से)

16.	आगंतुकों के लिये जारी किए गए पास की कुल संख्या	5385	
17.	किसी भी एक दिन में आगंतुकों के लिये जारी किए जाने वाले पास की अधिकतम संख्या और जारी किये जाने की तिथि	364 (10.08.2023)	
18.	गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या		
(i)	तारांकित	255	शून्य
(ii)	अतारांकित	2713	शून्य
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	07	शून्य
19.	मंत्रालयों के कार्यकरण संबंधी चर्चा	शून्य	

20. संसदीय समितियों का कार्यकरण

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रतिवेदनों की संख्या	
			260वां	261वां
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	4	3	1
(ii)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	याचिका समिति	03	02	शून्य
(iv)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	विशेषाधिकार समिति	07	02	शून्य
(vi)	नियम समिति	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	02	शून्य	शून्य
(viii)	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	02	01	शून्य
(ix)	आवास समिति	शून्य	शून्य	शून्य
(x)	आचार समिति	शून्य	शून्य	शून्य
(xi)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	शून्य	शून्य	शून्य
(xii)	राज्य सभा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति (सीआईसीटीएमआरएस)	01	शून्य	शून्य

21. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रतिवेदनों की संख्या	
			260वां	261वां
(i)	वाणिज्य	5	2	शून्य

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रतिवेदनों की संख्या	
			260वां	261वां
(ii)	गृह कार्य	11	शून्य	11
(iii)	शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल	03	4	1
(iv)	उद्योग	03	2	शून्य
(v)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	02	07	शून्य
(vi)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति	07	07	05
(vii)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3	03	01
(viii)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय	06	03	शून्य
22.	सदस्यों की संख्या जिन्हें सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई	260वां सत्र - 01 261वां सत्र - शून्य		
23.	प्रस्तुत याचिकाएं	260वां सत्र - शून्य 261वां सत्र - शून्य		

24. शपथ लेने वाले नए सदस्यों के नाम तिथि सहित

क्र.सं.	शपथ लेने वाले सदस्यों के नाम	संबद्ध दल	शपथ लेने की तिथि
(i)	श्री साकेत गोखले	एआईटीसी	24-07-2023
(ii)	श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े	बीजेपी	31-07-2023
(iii)	श्री केसरीदेवसिंह झाला	बीजेपी	21-08-2023
(iv)	श्री देसाई बाबूभाई जेसंगभाई	बीजेपी	21-08-2023
(v)	श्री एस. जयशंकर	बीजेपी	21-08-2023
(vi)	श्री देरेक ओब्राईन	एआईटीसी	21-08-2023
(vii)	सुश्री डोला सेन	एआईटीसी	21-08-2023
(viii)	श्री नगेन्द्र रॉय	बीजेपी	21-08-2023
(ix)	श्री प्रकाश चिक बराईक	एआईटीसी	21-08-2023
(x)	श्री समीरुल इस्लाम	एआईटीसी	21-08-2023
(xi)	श्री सुखेन्दु शेखर रॉय	एआईटीसी	21-08-2023
(xii)	डॉ. दिनेश शर्मा	बीजेपी	18-09-2023

25. निधन संबंधी उल्लेख

क्र.सं.	नाम	वर्तमान सदस्य / पूर्व सदस्य
1.	श्री हरद्वार दुबे	वर्तमान सदस्य
2.	श्री दावा लामा	पूर्व सदस्य

क्र.सं.	नाम	वर्तमान सदस्य / पूर्व सदस्य
3.	श्रीमती उषा मल्होत्रा	पूर्व सदस्य
4.	श्री सोलीपेटा रामचन्द्र रेड्डी	पूर्व सदस्य

260वें सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों की सूची

क्र.सं.	विधेयक का नाम
1.	जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023
2.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023
3.	चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023
4.	संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
5.	संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
6.	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
7.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
8.	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
9.	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
10.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
11.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
12.	राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
13.	डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
14.	भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
15.	संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
16.	अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
17.	राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
18.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
19.	अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
20.	भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
21.	केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
22.	एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
23.	मध्यकता विधेयक, 2023
24.	प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023
25.	अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023

261वें सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों की सूची

क्र.सं.	विधेयक का नाम
1.	संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023

परिशिष्ट तीन

01 जुलाई से 30 सितंबर, 2023 की अवधि के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर–सरकारी [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश वि.स.	21.09.2023 से 27.09.2023	5	18(18)	-	110(108)	3(3)	1(1)
आंध्र प्रदेश वि.प.	21.09.2023 से 27.09.2023	5	18(18)	-	100(79)	8(8)	1
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	11.09.2023 से 15.09.2023	5	26(25)	1	391(391)	228(226)	36(4)
बिहार वि.स.	10.07.2023 से 14.07.2023	5	2(2)	-	30	(45)	30(10)
बिहार वि.प.	10.07.2023 से 14.07.2023	5	2(2)	-	292(271)	2(2)	59(52)
छत्तीसगढ़ वि.स.	18.07.2023 से 21.07.2023	4	4(4)	-	274(252)	276(259)	-
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.	13.09.2023 से 16.09.2023	4	9(9)	-	548(340)	429(307)	-
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	18.09.2023 से 25.09.2023	7	8(8)	-	516(369)	230(186)	-
झारखंड वि.स.	28.07.2023 से 04.08.2023	6	8(8)	-	129(223)	(35)	333(131)
कर्नाटक वि.स.	03.07.2023 से 21.07.2023	15	14(14)	-	120(120)	1013(1013)	-
कर्नाटक वि.प.	03.07.2023 से 21.07.2023	15	13(13)	-	649(135)	290(784)	-
केरल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.स.	17.07.2023 से 04.08.2023	13	24(19)	7	6679(313)	192(115)	4
महाराष्ट्र वि.प.	17.07.2023 से 04.08.2023	13	3(18)	-	2096(783)	25(13)	-
मणिपुर वि.स.	29.08.2023	1	-	-	-	-	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	22.08.2023 से 23.08.2023	2	8(8)	-	237(236)	119(118)	-
नागालैंड वि.स.	11.09.2023 से 14.09.2023	3	6(5)	-	22(20)	8(8)	1(1)
ओडिशा वि.स.	22.09.2023 से 03.10.2023	7	10(13)	-	770(681)	1069(1457)	7
पंजाब वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.**	-	-	-	-	(273)	(1938)	-
तेलंगाना वि.स.	03.08.2023 से 06.08.2023	4	8(12)	-	63(59)	-	2(2)
तेलंगाना वि.प.	03.08.2023 से 06.08.2023	4	12(12)	-	38(37)	-	-
त्रिपुरा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	07.08.2023 से 24.08.2023	5	13(13)	-	785(161)	1308(1245)	54
उत्तर प्रदेश वि.प.	07.08.2023 से 24.08.2023	5	13(13)	-	202(196)	173(167)	22(21)
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
			केंद्र शासित प्रदेश				
दिल्ली वि.स.	16.08.2023 से 18.08.2023	3	-	-	-	-	-
पुदुचेरी वि.स.**	20.09.2023	1	2(2)	-	-	-	-

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से प्राप्त सूचना में शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई।

परिशिष्ट तीन (जारी.....)

01 जुलाई से 30 सितंबर की अवधि के दौरान समितियों के कार्य/बैठकों की संख्या और प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
आंध्र प्रदेश वि.स.	1(1)	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	4[क]
आंध्र प्रदेश वि.प.	1(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम वि.स.	2(2)	1(1)	2	1	–	2(4)	2	–	2(3)	–	–	–	4(3)	–	–	1(4)[ख]
बिहार वि.स.	–	21(1)	14	12	2	12	23(2)	26	37	–	11	11	13	–	–	176[ग]
बिहार वि.प.	–	14	11	11(1)	1	–	10	10	–	10	10	10	–	–	–	112[घ]
छत्तीसगढ़ वि.स	1(1)	1(9)	1(1)	1(1)	–	3(6)	–	–	–	–	–	–	5(12)	–	–	2(4)[ङ]
गोवा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात वि.स.	1(1)	4	–	–	–	2	3(3)	6(1)	1(1)	–	2	–	16	–	–	8(1)[च]
हरियाणा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश वि.स.	1(1)	–	–	–	–	7(1)	5	10(5)	8(1)	–	–	–	13(57)	–	–	40(69)[छ]
झारखंड वि.स.	–	9	2	–	3	–	12	8	10	9	–	–	11	–	–	124[ज]
कर्नाटक वि.स.	1	2	6	1	2	6	5	5	7	–	6	1	4(1)	–	–	24[झ]
कर्नाटक वि.प.	–	9(1)	11	1(1)	6	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	5(1)[ञ]
केरल वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र वि.स.	2(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र वि.प.	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1(1)	–	–
मणिपुर वि.स.	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
मेघालय वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम वि.स.	1(1)	3(1)	4(1)	–	–	2	–	–	2(1)	–	–	–	6(3)	–	–	9(4)[ट]
नागालैंड वि.स.	1	1(2)	1	–	–	1(13)	1	–	(8)	–	1	–	1(3)	2(1)	–	1[ठ]
ओडिशा वि.स.	4(4)	5	3	–	2(1)	–	4	4	8	–	–	2	14	–	–	41(1)[ड]
पंजाब वि.स.	–	10	12	–	22	13	8	11	11	–	14	12	15	–	–	43[ढ]
राजस्थान वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम वि.स.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
तमिलनाडु वि.स.	–	9	4	–	–	4	–	–	17	–	–	2	9	–	–	4[ण]
तेलंगाना वि.स.	1(1)	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	2[त]
तेलंगाना वि.प.	1(1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश वि.स.	3(3)	12(2)	13(9)	–	–	7	9	16	10	–	–	–	8(7)	2(1)	–	29(9)[थ]
उत्तर प्रदेश वि.प	1	11	12	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	124[द]
उत्तराखंड वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल वि.स.**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						संघ राज्यक्षेत्र										
दिल्ली वि.स.	–	–	3(1)	–	5	–	–	3	1	1	–	–	1	–	–	5[ध]
पुदुचेरी वि.स.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(क) अल्पसंख्यक कल्याण समिति—1, महिला, बाल, दिव्यांग एवं वृद्ध कल्याण समिति—2 और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति—1

(ख) स्थानीय निधि लेखा समिति—1(4)

(ग) प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति—11, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति—11, निवेदन समिति—13, आंतरिक संसाधनों संबंधी समिति—11, महिला एवं बाल कल्याण समिति—11, कृषि विकास उद्योग समिति—32, पर्यटन विकास समिति—10, शून्य काल समिति—15, आचार समिति—10, बिहार विरासत विकास समिति—19, अल्पसंख्यक कल्याण समिति—10, और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति—23

(घ) सभा पटल पर रखे गए पत्र—10, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति—10, मानवाधिकार समिति—10, जिला परिषद समिति—10, शून्य काल समिति—10, आचार समिति—10, निवेदन समिति—10, राजभाषा समिति—10, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास समिति—10, वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक संसाधन समिति—11 और कार्यान्वयन समिति—11

(ङ) महिला एवं बाल कल्याण समिति—1(3) और स्थानीय निकाय और पंचायती राज लेखा समिति—1(1)

(च) पंचायती राज समिति—2, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु कल्याण समिति—3, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति—1 और सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—2(1)

(छ) स्थानीय निधि लेखा समिति—6, लोक प्रशासन समिति—13(57), मानव विकास समिति—7(7), सामान्य विकास समिति—6(3) और ग्रामीण योजना समिति—8(2)

(ज) आंतरिक संसाधन राजस्व और केंद्रीय सहायता समिति—7, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—11, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति—10, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति—8, निवेदन समिति—9, विधायक निधि निगरानी समिति—10, युवा संस्कृति, खेल एवं पर्यटन समिति—7, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति—9, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति—10, अनागत प्राशन क्रियान्वयन समिति—10, शून्यकाल समिति—9, गैर-सरकारी संकल्पों संबंधी समिति—5, और सदाचार समिति—9

(झ) महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति—5, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति—6, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण समिति—7 और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति—6

(ञ) स्पेशल हाउस कमेटी (नर्सिंग कमेटी)—2(1) और गंगा कल्याण हाउस कमेटी—3

(ट) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति—2(2), स्थानीय निधि लेखा समिति (सीओएलएफ़ए)—3 और विषय आधारित समिति V—4(2)

(ठ) अन्य समितियाँ—1

(ड) सदस्य आवास समिति—1, ग्रंथालय पुस्तक चयन संबंधी समिति—3, अनुसंधान संबंधी ग्रन्थालय उप-समिति—2, , महिला एवं बाल कल्याण संबंधी संसदीय समिति—3, आवेदन/अभ्यावेदन संबंधी समिति—5, आचार समिति—2(1), सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति—2, स्थायी समिति-I—2, स्थायी समिति-III—3, स्थायी समिति-IV—5, स्थायी समिति-VI—4, स्थायी समिति-VII—4, स्थायी समिति-VIII—1, स्थायी समिति-IX—2 और स्थायी समिति-X—2

(ढ) प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति—7, स्थानीय निकायों संबंधी समिति—2, पंचायती राज संस्थानों संबंधी—12, सहयोग एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों संबंधी समिति—9, वर्ष 2023-24 के लिए कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों संबंधी समिति—9 और वर्ष 2023-2024 के लिए बुद्ध दरिया और घग्गर दरिया संबंधी समिति—3

(ण) प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति—3 और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति—1

(त) पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति—2

(थ) राज्य के स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच संबंधी समिति—8, महिला एवं बाल कल्याण संबंधी संयुक्त समिति—8, पंचायती राज समिति—8(9) और संसदीय निगरानी समिति—5

(द) प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति—4, वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब संबंधी समिति—13, संसदीय अध्ययन संबंधी समिति—6, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की आवास संबंधी शिकायतों की जांच संबंधी समिति—13, संसदीय एवं समाज कल्याण समिति—12, विकास प्राधिकरणों, हाउसिंग बोर्ड, जिला पंचायतों और नगर निगम में अनियमितताओं के नियंत्रण संबंधी समिति—9 प्रांतीय विद्युत व्यवस्था की जांच संबंधी समिति—14, विनियमन समीक्षा समिति—5, शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी समिति—5, दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति—20, विधायी अधिकारिता समिति—11 और खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के चलन के कारण जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम संबंधी समिति—12

(ध) अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी समिति—4 और महिला एवं बाल कल्याण समिति—1

परिशिष्ट चार

1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयकों की सूची

क्र. सं.	विधेयक का नाम	राष्ट्रपति द्वारा अनुमति की तिथि
1.	जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023	03.08.2023
2.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023	03.08.2023
3.	चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023	04.08.2023
4.	संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023	04.08.2023
5.	संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023	04.08.2023
6.	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023	04.08.2023
7.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023	09.08.2023
8.	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023	10.08.2023
9.	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023	11.08.2023
10.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023	11.08.2023
11.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023	11.08.2023
12.	राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023	11.08.2023
13.	डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023	11.08.2023
14.	भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023	11.08.2023
15.	संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023	12.08.2023
16.	अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023	12.08.2023
17.	राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023	12.08.2023
18.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023	12.08.2023
19.	अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023	15.08.2023
20.	भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023	15.08.2023
21.	केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023	18.08.2023
22.	एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023	18.08.2023
23.	मध्यकता विधेयक, 2023	14.09.2023
24.	संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023	28.09.2023

परिशिष्ट पांच

1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. द आंध्र प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी ग्रुप बिल, 2023
2. द आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद (रिपील) बिल, 2023
3. द आंध्र प्रदेश आधार (टार्गेटेड डिलिवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज़, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज़) बिल, 2023
4. द आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (अब्जॉर्प्शन ऑफ एम्प्लॉईज इंटू गवर्नमेंट सर्विस) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द आंध्र प्रदेश मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. द आंध्र प्रदेश मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द आंध्र प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन (एंट्रस्टमेंट ऑफ एडिशनल फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. द आंध्र प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
10. द आंध्र प्रदेश (रेगुलेशन ऑफ अप्वाइंटमेंट्स टू पब्लिक सर्विसेज और रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ पैटर्न एंड पे स्ट्रक्चर) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
11. द आंध्र प्रदेश एसाइंड लैंड्स (प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर्स) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
12. द आंध्र प्रदेश भूदान एंड ग्रामदान (अमेंडमेंट) बिल, 2023
13. द आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलिजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोवमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
14. द आंध्र प्रदेश सिविल कोर्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
15. द आंध्र प्रदेश रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्पलाइज बिल, 2023

16. द आंध्र प्रदेश एप्रुपरिएशन (नं. 3) बिल, 2023
17. द आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम बिल, 2023
18. द आंध्र प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकंड (अमेंडमेंट)) बिल, 2023

बिहार

1. बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2023
2. बिहार विनियोग (संख्या-तीन)विधेयक, 2023

छत्तीसगढ़

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्व विद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन), 2023
2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निर्रहता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023
3. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023
4. छत्तीसगढ़ विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023

गुजरात

1. द गुजरात टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द गुजरात गुडस एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द चंपानेर-पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी (रिपील) बिल, 2023
4. द चिल्ड्रेन्स यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द गुजरात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. द गुजरात लोकल अथॉरिटीज लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल, 2023
9. द गुजरात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2023

हिमाचल प्रदेश

1. द हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग बिल, 2023

2. द हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द हिमाचल प्रदेश टैक्सेशन (ऑन सर्टेन गुड्स केरिड बाय रोड) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल सर्विसेज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. द हिमाचल प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द इंडियन स्टैंप (हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द हिमाचल प्रदेश एंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, 2023

झारखंड

1. आरोग्यम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
2. कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2023
3. सी.वी. रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
4. झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023
5. झारखण्ड विनियोग (सांख्य-03) विधेयक, 2023
6. झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) विधेयक, 2023
7. झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
8. झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

कर्नाटक

1. द कर्नाटक लेजिसलेचर (प्रिवेंशन ऑफ़ डिसक्वालीफिकेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द कर्नाटक फायर फोर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द कर्नाटक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. द कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द कर्नाटक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023

6. द कर्नाटक स्टेट रोड सेफ्टी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द कर्नाटक अप्रोप्रिएशन (नं.2) बिल, 2023
8. द कर्नाटक मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. द कर्नाटक लैंड रिवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, 2023
10. द रजिस्ट्रेशन (कर्नाटक अमेंडमेंट) बिल, 2023
11. द कर्नाटक कोऑपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
12. द कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर (कर्नाटक अमेंडमेंट) बिल, 2023
13. द कर्नाटक कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन बिल, 2023
14. द कर्नाटक शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ़ सर्टेन लैंड्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023

महाराष्ट्र

1. द महाराष्ट्र विलेज पंचायत एंड द महाराष्ट्र जिला परिषद् एंड पंचायत समिति (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द महाराष्ट्र इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बिल, 2023
4. द महाराष्ट्र टेंपरेरी एक्सटेंशन ऑफ़ पीरियड फॉर सबमिटिंग वैलिडिटी सर्टिफिकेट (फॉर सर्टेन इलेक्शंस टू विलेज पंचायत, जिला परिषद् एंड पंचायत समिति) बिल, 2023
5. द महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. द महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द रजिस्ट्रेशन (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द महाराष्ट्र पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस, इंजरी और डैमेज कॉज्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स बिल, 2023
9. द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2023
10. द महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ़ द सिटी ऑफ पुणे टैक्सेशन (एनेक्टमेंट एंड अमेंडमेंट ऑफ़ टैक्सेशन रूल्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड वैलिडेशन) बिल, 2023

11. द महाराष्ट्र (सेकंड सप्लीमेंट्री) अप्रोप्रिएशन बिल, 2023
12. द महाराष्ट्र (अर्बन एरियाज) प्रोटक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ़ ट्रीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
13. द महाराष्ट्र स्लम एरिया (इंप्रूवमेंट क्लीयरेंस एंड द रिडेवलपमेंट) (अमेंडमेंट रिएनेक्टमेंट ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशंस ऑफ अपेक्स ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमिटी एंड वैलिडेशन) बिल, 2023
14. द महाराष्ट्र स्लम एरिया (इंप्रूवमेंट क्लीयरेंस एंड रिडेवलपमेंट) (अमेंडमेंट रिएनेक्टमेंट ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशंस ऑफ अपेक्स ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमिटी एंड वैलिडेशन) बिल, 2023
15. द बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2023
16. द लक्ष्मीनारायण इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल (एलआईटी) यूनिवर्सिटी, नागपुर बिल, 2023
17. द एमआईटी विश्वप्रयाग यूनिवर्सिटी, सोलापुर बिल, 2023
18. द डीईएस पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे बिल, 2023
19. द महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023

मिजोरम

1. द मिजोरम अप्रोप्रिएशन रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर) बिल, 2023
2. द मिजोरम (प्रोटेक्शन ऑफ़ रिवर्स) बिल, 2023
3. द मिजोरम ग्राउंड वाटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल, 2023
4. द मिजोरम म्युनिसिपालिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द मिजोरम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. द मिजोरम और एनशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रीमेंस (अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द मिजोरम शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ़ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ़ सर्विस) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द मिजोरम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज (अमेंडमेंट) बिल, 2023

नागालैंड

1. द नागालैंड पैसेजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द नागालैंड मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
4. द नागालैंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेवेंथ अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. नागालैंड एनाटॉमी बिल, 2023

ओडिशा

1. द ड्रीम्स यूनिवर्सिटी ओडिशा बिल, 2022
2. द ओडिशा पानी पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटेलमेंट (ओडिशा अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. द ओडिशा म्युनिसिपल लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द ओडिशा अपार्टमेंट (ओनरशिप एंड मैनेजमेंट) बिल, 2023
6. द ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इन पोस्ट एंड सर्विसेज (फॉर एससी एंड एसटी) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द ओडिशा स्टेट कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द ओडिशा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. द ओडिशा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड प्रिवेंशन ऑफ़ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड (अमेंडमेंट) बिल, 2023
10. द ओडिशा लैंड रिफॉर्म्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
11. द सिलीकान यूनिवर्सिटी ओडिशा बिल, 2023
12. द एनआईएसटी यूनिवर्सिटी ओडिशा बिल, 2023
13. द ओडिशा अप्रोप्रिएशन (नं.2) बिल, 2023

तेलंगाना

1. द तेलंगाना म्युनिसिपल लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2022
2. द तेलंगाना पब्लिक अपॉइंटमेंट (रेगुलेशन ऑफ एज ऑफ सुपरएनुएशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2022

3. द तेलंगाना स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी (एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2022
4. द तेलंगाना पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द तेलंगाना इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज बिल, 2023
6. द फैक्टरीज तेलंगाना (अमेंडमेंट)बिल, 2023
7. द तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. द तेलंगाना पंचायत राज (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
10. द तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (अब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पलाइज इनटू गवर्नमेंट सर्विस) बिल, 2023
11. द तेलंगाना म्युनिसिपालिटीज (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
12. द तेलंगाना पंचायत राज (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2023

उत्तर प्रदेश

1. द उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ (कंपोजीशन ऑफ़ ऑफेंसेस एंड अबेटमेंट ऑफ ट्रायल्स) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द उत्तर प्रदेश अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. द उत्तर प्रदेश अर्बन प्लैनिंग एंड डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द उत्तर प्रदेश म्युनिसिपालिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन दान मंडी (संशोधन) विधेयक, 2023
7. द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. द उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सेलेक्शन कमीशन) बिल, 2023
10. उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
11. उत्तर प्रदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी बिल, 2023
12. द उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज (अमेंडमेंट) बिल, 2023

13. द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2023

पुदुचेरी

1. द पुदुचेरी मेंबर्स ऑफ़ द लेजिसलेटिव असेंबली (प्रिवेंशन ऑफ़ डिसक्वालीफिकेशन) अमेंडमेंट बिल, 2023
2. द पुदुचेरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023

परिशिष्ट छह

1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
		आंध्र प्रदेश			
1.	दि आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (अब्जॉर्प्शन ऑफ़ एम्प्लाइज इनटू गवर्नमेंट सर्विस) (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	23.6.2023	21.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक संख्या 31 द्वारा प्रतिस्थापित
2.	दि आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिन्दू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन्स एंड एंडोमेंट्स (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	23.6.2023	21.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक संख्या 40 द्वारा प्रतिस्थापित
3.	दि आंध्र प्रदेश आधार (टार्गेटेड डिलीवरी ऑफ़ फाइनेंसियल एंड अदर सब्सीडाइज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज) आर्डिनेंस, 2023	3.7.2023	21.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक संख्या 30 द्वारा प्रतिस्थापित
4.	दि आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद् (रेपल) आर्डिनेंस, 2023	24.7.2023	21.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक संख्या 29 द्वारा प्रतिस्थापित

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
5.	दि आंध्र प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (इस्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	28.7.2023	25.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक संख्या 34 द्वारा प्रतिस्थापित
6.	दि आंध्र प्रदेश एसाइन्ड लैंड्स (प्रोहिबिशन ऑफ़ ट्रांसफर्स) (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	27.7.2023	21.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक सं. 38 द्वारा प्रतिस्थापित
7.	दि आंध्र प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	28.7.2023	21.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक सं. 45 द्वारा प्रतिस्थापित
8.	दि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (इनट्रस्टमेन्ट ऑफ़ एडिशनल फंक्शन्स विथ रेस्पेक्ट टू दि सर्विसेज ऑफ़ यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	14.9.2023	22.9.2023	--	विधान सभा के वर्ष 2023 की विधेयक संख्या 35 द्वारा प्रतिस्थापित
			असम		
1.	दि असम मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	8.7.2023	11.9.2023	11.09.2023	विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित
			गुजरात		
1.	गुजरात आर्डिनेंस नं.1 ऑफ़ 2023: दि गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	31.7.2023	13.9.2023	13.9.2023	विधान द्वारा प्रतिस्थापित

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
			हिमाचल प्रदेश		
1.	हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल सर्विसेज अमेंडमेंट आर्डिनेंस, 2023 (आर्डिनेंस नं. 3 ऑफ़ 2023)	23.8.2023	18.9.2023	--	--
			कर्नाटक		
1.	दि कर्नाटक ग्राम स्वराज एंड पंचायत राज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	16.9.2023	--	--	--
2.	दि कर्नाटक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	29.9.2023	--	--	--
			महाराष्ट्र		
1.	दि महाराष्ट्र विलेज पंचायत एंड दि महाराष्ट्र जिला परिषद् एंड पंचायत समिति (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	28.4.2023	17.7.2023	27.8.2023	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
2.	दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	7.6.2023	17.7.2023	27.8.2023	अध्यादेश वापस लिया गया है
3.	दि महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	19.6.2023	17.7.2023	27.8.2023	विधान द्वारा प्रतिस्थापित

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
4.	दि महाराष्ट्र इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन आर्डिनेंस, 2023	3.7.2023	17.7.2023	27.8.2023	विधान परिषद द्वारा प्रतिस्थापित
5.	दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ (सेकंड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	19.6.2023	17.7.2023	27.8.2023	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
6.	दि महाराष्ट्र टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ़ पीरियड फॉर सब्मिटिंग वैलिडिटी सर्टिफिकेट (फॉर सर्टेन इलेक्शंस टू विलेज पंचायत जिला परिषद् एंड पंचायत समिति) आर्डिनेंस, 2023	19.6.2023	17.7.2023	27.8.2023	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
	ओडिशा				
1.	दि ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	29.4.2023	25.9.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
2.	दि ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ़ वैकेन्सीज़ इन पोस्ट्स एंड सर्विसेज (फ़ॉर एससी एंड एसटी) (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	19.8.2023	25.9.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
3.	दि ओडिशा अपार्टमेंट (ओनरशिप एंड मैनेजमेंट) आर्डिनेंस, 2023	21.6.2023	25.9.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
	उत्तर प्रदेश				
1.	दि उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ(कम्पोजीशन ऑफ़ ऑफेंसेस एंड अबेटमेंट ऑफ़ ट्रायल्स) (अमेंडमेंट)	22.3.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
2.	दि उत्तर प्रदेश अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉज़ (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	29.3.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
3.	दि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज़ (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	6.4.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
4.	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2023	20.4.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
5.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	27.6.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
6.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेकंड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	27.6.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
7.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	27.6.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
8.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (फोर्थ अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	28.6.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
9.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (फिफ्थ अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	28.6.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
10.	दि उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	10.7.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
11.	दि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	10.7.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
12.	दि उत्तर प्रदेश जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस, 2023	18.7.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
13.	दि उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	24.7.2023	7.8.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित

परिशिष्ट सात

क. 17वीं लोक सभा में दल-वार प्रतिनिधित्व (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) (30.09.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	बीजेपी	कांग्रेस	द्रमुक	एआईटीसी	वाईएसआरसीपी	एसएस	जद(यू)	बीजद	बसपा	बीआरएस	एलजेएसपी	राकांपा	सपा	सीपीआई (एम)	आईयूएमएल	जेकेएनसी	तेदेपा	एडी(एस)	एआईएमआईएम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	आंध्र प्रदेश	25	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	14	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	40	17	1	–	–	–	–	16	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	11	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर[1]	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
11.	झारखंड	14	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	28	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
13.	केरल	20	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	29	28	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	48	22	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1
16.	मणिपुर	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	ओडिशा	21	8	1	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	13	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	25	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	सिक्किम	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	39	–	8	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
25.	तेलंगाना	17	4	3	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26.	त्रिपुरा	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	80	64	1	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	3	–	–	–	–	2	–
28.	उत्तराखंड	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	42	17	2	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	चंडीगढ़	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	दादरा एवं नगर हवेली[2]	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	दमन एवं दीव[2]	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	लक्षद्वीप	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
36.	पुदुचेरी	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	543	301*	51	24	23	22	19	16	12	9	9	6	5	3	3	3	3	3	2	2

[1] संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित ।

[2] दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया ।

* माननीय लोक सभा अध्यक्ष सहित ।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	भाकपा	एसएडी	आप	अन्नाद्रमुक	एसएडी (ए) (एसएसएम)	एआईयूडीएफ	आजसू	एनपीएफ	एमएनएफ	जद (एस)	झामुमो	वीसीके	एसकेएम	केसी (एम)	एनडीपीपी	एनपीपी	आरएसपी	आरएलपी	निर्दलीय	नामित	कुल	रिक्त पद
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
3.	असम	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	14	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
7.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर[1]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–
12.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	28	–
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	20	–
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	–
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	46	2
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
20.	ओडिशा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–
21.	पंजाब	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–
22.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	25	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
24.	तमिलनाडु	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	39	–
25.	तेलंगाना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–
26.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
27.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	1
28.	उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
29.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	–
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
31.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
32.	दादरा एवं नगर हवेली[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
33.	दमन एवं दीव[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
34.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
35.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
36.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	कुल	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	–	539	4

[1] संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित ।

[2] दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया ।

पार्टियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर :

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी); द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डीएमके); अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी); युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी); शिव सेना (एसएस); जनता दल (यूनाइटेड) [जद(यू)]; बीजू जनता दल (बीजद); बहुजन समाज पार्टी (बसपा); भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस); लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेएसपी); राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी); समाजवादी पार्टी (सपा); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम)]; इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल); जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (जेकेएनसी); तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी); अपना दल (सोनेलाल) [एडी(एस)]; ऑल इंडिया मजलिस –ए– इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई); शिरोमणि अकाली दल (शिअद); आम आदमी पार्टी (आप); अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (एआईएडीएमके); शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान) – [एसएडी (ए) (एसएसएम)]; ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ); आजसू पार्टी (आजसू); नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ); मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ); जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) [जद (एस)]; झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो); विदुथलाई चैरुथाइगल काची (वीसीके); सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम); केरल कांग्रेस (एम) [केसी(एम)]; नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी); नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी); रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी); राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और निर्दलीय (आईएनडी) ।

ख. राज्य सभा में दलीय स्थिति (30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की सं.	भा. ज. पा.	भा.रा.कां.	एआईटीसी	द्रमुक	आप	बीजद	वाईएसआर सीपी	बीआरएस	राजद	सीपीआई (एम)	जद (यू)	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	आंध्र प्रदेश	11	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1(क)	-	11	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3.	असम	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2(ख)	1	7	-
4.	बिहार	16	4	1	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	-	16	-
5.	छत्तीसगढ़	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
6.	गोवा	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	गुजरात	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
8.	हरियाणा	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
9.	हिमाचल प्रदेश	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
10.	झारखंड	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2(ग)	-	6	-
11.	कर्नाटक	12	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(घ)	-	12	-
12.	केरल	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4(ङ)	-	9	-
13.	मध्य प्रदेश	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
14.	महाराष्ट्र	19	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8(च)	-	19	-
15.	मणिपुर	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16.	मेघालय	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(छ)	-	1	-
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(ज)	-	1	-
18.	नागालैंड	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	ओडिशा	10	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	10	-
20.	पंजाब	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
21.	राजस्थान	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
22.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(झ)	-	1	-
23.	तमिलनाडु	18	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7(ञ)	-	18	-
24.	तेलंगाना	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
25.	त्रिपुरा	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26.	उत्तर प्रदेश	31	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3(ट)	1	31	-
27.	उत्तराखंड	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
28.	पश्चिम बंगाल	16	1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1(ठ)	-	16	-
	संघ राज्यक्षेत्र																
29.	जम्मू एवं कश्मीर	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य	4
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	पुदुचेरी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	नाम-निर्दिष्ट	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2
	कुल	245	93	30	13	10	10	9	9	7	6	5	5	36	3	239	6

अन्य (पार्टियों/समूहों का विभाजन)

(क) टीडीपी-1
(ख) एजीपी-1, यूपीपी (एल)-1
(ग) झामुमो-2
(घ) जेडी(एस)-1
(ङ) सीपीआई-2, आईयूएमएल-1, केसी (एम)-1
(च) एनसीपी-4, एसएस-3, आरपीआई (एटीडब्ल्यूएल)-1
(छ) एनपीपी-1
(ज) एमएनएफ-1
(झ) एसडीएफ-1
(ञ) एआईएडीएमके-4, एमडीएमके-1, पीएमके-1, टीएमसी(एम)-1
(ट) बीएसपी-1, एसपी-1, आरएलडी-1
(ठ) सीपीआई(एम)-1

ग. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों में दल-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की सं.	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा.	रा.कां.पा.	ब.स.पा.	ज.द.(यू).	ज.द.(एस)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश वि.स.	175	-	-	-	-	-	-	-	-	175(क)	-	175	-
आंध्र प्रदेश वि.प.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	54(ख)	4	58	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	126	27	63	1	-	-	-	-	-	34(ग)	1	126	-
बिहार वि.स.	243	19	78	2	2	-	-	45	-	96(घ)	1	243	-
बिहार वि.प.	74	4	24	-	1	-	-	22	-	17(ङ)	6	74	-
छत्तीसगढ़ वि.स.	90	71	13	-	-	-	2	-	-	2(च)	1	89	1
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
गुजरात वि.स.	182	17	156	-	-	-	-	-	-	6(छ)	3	182	-
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	68	40	25	-	-	-	-	-	-	-	3	68	-
झारखण्ड वि.स. **	82	16	25	-	1	-	-	-	-	37(ज)	2	81	1
कर्नाटक वि.स.	224	134	66	-	-	-	-	-	19	3(झ)	2	224	-
कर्नाटक वि.प.	75	29	34	-	-	-	-	-	8	1(ञ)	1	73	2
केरल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.स.	288	45	105	1	-	53	-	-	-	71(ट)	13	288	-
महाराष्ट्र वि.प.	78	8	22	-	-	9	-	1	-	13(ठ)	4	57	21
मणिपुर वि.स.	60	5	37	-	-	-	-	1	-	14(ड)	3	60	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	40	5	1	-	-	-	-	-	-	28(ढ)	6	40	-
नागालैंड वि.स.	59	-	12	-	-	7	-	1	-	35(ण)	4	59	-
ओडिशा वि.स.	147	9	22	1	-	-	-	-	-	113(त)	1	146	1
पंजाब वि.स.	117	18	2	-	-	-	1	-	-	95(थ)	1	117	-
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.	234	18	4	2	2	-	-	-	-	208(द)	-	234	-
तेलंगाना वि.स.	120	5	3	-	-	-	-	-	-	110(ध)	1	119	1
तेलंगाना वि.प.	40	1	1	-	-	-	-	-	-	35(न)	1	38	2
त्रिपुरा वि.स. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	403	2	255	-	-	-	1	-	-	145(प)	-	403	-
उत्तर प्रदेश वि.प.	99	-	81	-	-	-	1	-	-	15(फ)	2	98	1
उत्तराखण्ड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संघ राज्यक्षेत्र													
दिल्ली वि.स.	70	-	8	-	-	-	-	-	-	62(ब)	-	70	-
पुदुचेरी वि.स. **	33	2	9	-	-	-	-	-	-	16(भ)	6	33	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

क. युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी)- 151, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी)-23 और जनसेना पार्टी (जेएसपी)-1

ख. युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी)-35, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी)- 8, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ)-3 एवं नामित-8

ग. एजीपी-9, यूपीपीएल-7, एआईयूडीएफ-15 और बीपीएफ-3

घ. राष्ट्रीय जनता दल -79, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन)-12, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन -1 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)-4

ङ. माननीय सभापति-1, माननीय उपसभापति-1, आर.जे.डी.-13, आर.एल.जे.पी.-1 और एचएएम (सेक्युलर)-1

च. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) (जे.सी.सी.) (जे) -2

छ. आम आदमी पार्टी-5 और समाजवादी पार्टी-1

ज. अध्यक्ष-1, झारखंड मुक्ति मोर्चा -28, आजसू पार्टी -3, झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)-2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी -1, राष्ट्रीय जनता दल -1, एवं नामित-1

झ. कल्याण राज्य प्रगति पक्ष (केआरपीपी)-1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष (एसकेपी)-1 और अध्यक्ष-1
ञ. सभापति-1
ट. शिवसेना पार्टी -56, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया -1, बहुजन विकास अघाड़ी -3, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमिन -2, प्रहार जनशक्ति पार्टी -2, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना -1, समाजवादी पार्टी -2, राष्ट्रीय समाज पार्टी -1, स्वाभिमान पार्टी -1, जनसुराज्य शक्ति पार्टी -1 और क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी -1
ठ. शिवसेना -11, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया -1 और राष्ट्रीय समाज पक्ष -1
ड. नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)-7, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-5 और कुकी पीपुल्स एलायंस (केपीए)-2
ढ. मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ)-27 और जोरम पीपल मूवमेंट (जेडपीएम)-1
ण. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-24, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-2, लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी)-2, नेशनल पीपुल्स पार्टी -5 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)-2
त. बी.जे.डी.-113
थ. आम आदमी पार्टी -92 और शिरोमणि अकाली दल -3
द. द्रविड़ मुनेत्र कषगम -132, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम -66, पट्टाली मक्कल काची -5, विदुथलाई चिरुथिगल काची -4 और माननीय अध्यक्ष-1
ध. तेलंगाना राष्ट्र समिति -101, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन -7, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक -1 और नामित-1
न. तेलंगाना राष्ट्र समिति -28, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन -2,निर्दलीय (पीआरटीयू)-1 और नामित-4
प. समाजवादी पार्टी -109, अपना दल (सोनेलाल)-13, राष्ट्रीय लोक दल -9, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल -6, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी -6, और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक -2
फ. समाजवादी पार्टी -9, अपना दल (सोनेलाल) पार्टी -1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल -1, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक -1 शिक्षक दल (गैर-राजनीतिक)-1 निर्दलीय-2
ब. आम आदमी पार्टी -62
भ. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस -10 और द्रविड़ मुनेत्र कषगम -6

संसदीय पत्रिका (त्रैमासिक)

संसदीय पत्रिका लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका दी जनरल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन का हिंदी रूपान्तरण है। यह पत्रिका संसद के साथ साथ राज्यों और विदेशी विधायी निकायों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी का प्रामाणिक अभिलेख है। यह भारत में लोकतंत्र के क्रमिक विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए संसदीय व्यवस्था के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी साझा करती है।